Maulana Azad National Urdu University Gachibowli, Hyderabad.

Placement Details of MANUU CTE Bhopal

Sl. No	Course	Name of student	Academic Year	Placement	Encl. No.
1.	B.Ed.	MD BADRUL ISLAM	2012-13	PGT DELHI	1
2.	B.Ed.	ZAHIRUDDIN MD BABER	2012-13	TGT JHARKHAND	6.1
3.	B.Ed.	MOHAMMAD UMAIR	2013-14	TGT JHARKHAND	2
4.	B.Ed.	MD NOORUL AIN ALI	2013-14	PRT BIHAR	3
5.	B.Ed.	NAUSHAD AHMAD	2013-14	TGT JHARKHAND	4
6.	B.Ed.	MD KAMAL AKHTAR	2013-14	TGT BIHAR	5
7.	B.Ed.	MD MODABBIR HUSSAIN	2014-15	ASST.TEACHER W.B.	6
8.	B.Ed.	SHAMSUL HUDA	2014-15	TGT JHARKHAND	6.1
9.	B.Ed.	ASIF PARVEZ	2014-15	PGT U.P	6.2
10.	B.Ed.	MD JAHANGIR ALAM	2014-15	PRT BIHAR	6.3
11.	B.Ed.	MOHAMMAD SHAHID ANSARI	2014-15	PGT NVS	6.4
12.	B.Ed.	SHARAFAT ALI	2014-15	PGT UP	6.5
13.	B.Ed.	MOHAMMAD RASHID ANSARI	2014-15	PRT UP	7
14.	B.Ed.	AZMATULLAH	2014-15	TGT JHARKHAND	8
15.	B.Ed.	NIKHAT BANU	2014-15	ASST.TEACHER W.B.	9
16.	B.Ed.	MOHAMMAD UZAIR	2014-15	PRT UP	10
17.	B.Ed.	MD IRSHAD	2015-17	TGT BIHAR	11
18.	B.Ed.	MD NASIRUDDIN AHMAD	2015-17	PRT BIHAR	12
19.	B.Ed.	MD WAQUAR	2015-17	PRT BIHAR	13
20.	B.Ed.	SHAKEEL AHMAD	2015-17	PRT BIHAR	14
21.	B.Ed.	MD IRFAN	2015-17	TGT BIHAR	15
22.	B.Ed.	AHMAD HUSSAIN	2015-17	Asst. Prof. MANUU(Cont.)	16
23.	B.Ed.	MD WAQUAR	2015-17	PRT BIHAR	17
24.	B.Ed.	MD MUSTAQUIM RAZA	2015-17	Asst. Prof. M.P.	18
25.	B.Ed.	MD SHAGAL AHMAD	2015-17	UNFPA	19
26.	B.Ed.	MD SHAMSHEER ALAM	2015-17	UNFPA	19
27.	B.Ed.	MD RAIYAN HAZIQ	2015-17	TGT BIHAR	19.1
28.	B.Ed.	RUMAN	2015-17	PRT BIHAR	19.2
29.	B.Ed.	MD MAJID ALI	2015-17	TGT BIHAR	19.3
30.	B.Ed.	MD JAWAID ALAM	2015-17	TGT BIHAR	19.4
31.	B.Ed.	MOHAMMAD ARSHAD ALAM	2015-17	UNFPA MANUU	19.5

Principal
College of Teacher Education,
Maulana Azad National Urdu University,
Shanti Nagar, Behind Holy Family School,
[illegible]port Road, Gandhi Nagar, Bhopal-[illegible]

32.	B.Ed.	AAMIR USMANI	2016-18	UNFPA	19.5
33.	B.Ed.	MD AKHTAR HUSSAIN	2016-18	UNFPA	19.5
34.	B.Ed.	NAYYARUL ISLAM	2016-18	UNFPA	19
35.	B.Ed.	ASADULLAH	2016-18	PRT BIHAR	20
36.	B.Ed.	MD KHURSHEED ALAM	2016-18	Process Associate (Genpact)	21
37.	B.Ed.	MAHMOOD ALAM	2016-18	TGT BIHAR	22
38.	B.Ed.	MAHMOOD ALAM	2016-18	SAHAYAK URDU ANUVADAKBIHAR	23
39.	B.Ed.	AHSAN ZEYA	2016-18	PRT BIHAR	24
40.	B.Ed.	MD AJAZ ANWER	2016-18	PRT BIHAR	25
41.	B.Ed.	AAMIR SADIK	2016-18	PRT BIHAR	26
42.	B.Ed.	MD SOHRAB	2016-18	PRT BIHAR	27
43.	B.Ed.	MD SAHABUL HAQUE	2016-18	PRT BIHAR	28
44.	B.Ed.	MD GHUFRAN HAKIM	2016-18	PGT MP	29
45.	B.Ed.	MD UMAR FAROOQUE	2016-18	ALIM BIHAR	30
46.	B.Ed.	RAMEEZ AHMAD	2016-18	PRT BIHAR	31
47.	B.Ed.	MD QAISAR ALAM	2016-18	PRT BIHAR	32
48.	B.Ed.	MD AJAJ RAJA	2016-18	PRT BIHAR	33
49.	B.Ed.	GULUBUDDIN ANSARI	2016-18	PRT BIHAR	34
50.	B.Ed.	SADIYA KHAN	2016-18	ELT M.P.	35
51.	B.Ed.	MD RAYEES ANWAR	2016-18	PRT BIHAR	36
52.	B.Ed.	MD NASIM AKHTAR	2016-18	TGT BIHAR	37
53.	B.Ed.	MD MANAWAR ALAM	2016-18	TGT BIHAR	38
54.	B.Ed.	MAHFOOZ ALAM	2016-18	PRT BIHAR	39
55.	B.Ed.	SULEMAN GHANI	2016-18	PRT BIHAR	40
56.	B.Ed.	MOHD SALIM	2016-18	PRT BIHAR	40
57.	B.Ed.	MD RASHID IQBAL	2016-18	TGT BIHAR	41
58.	B.Ed.	MD AMMAR HASAN	2016-18	TGT BIHAR	42
59.	B.Ed.	SHADAB AZAM	2016-18	PRT BIHAR	43
60.	B.Ed.	MD ILYAS HUSSAIN	2016-18	PRT BIHAR	44
61.	B.Ed.	ABU AAMIR SIDDIQUI	2016-18	PRT BIHAR	45
62.	B.Ed.	SHAMSHIR AHMAD	2016-18	PRT BIHAR	46
63.	B.Ed.	MD ISTEQBAL ANSARI	2016-18	PRT BIHAR	47
64.	B.Ed.	RAFEA KHATOON	2016-18	TGT BIHAR	48
65.	B.Ed.	ZEENAT KHATOON	2016-18	PRT BIHAR	49
66.	B.Ed.	MD SAMDANI	2016-18	PRT BIHAR	49.1
67.	B.Ed.	RAGHEBUL HASNAIN	2016-18	PRT BIHAR	49.2
68.	B.Ed.	MD. SHANDAR HUSSAIN	2016-18	PRT BIHAR	49.3
69.	B.Ed.	MD FIDA HUSAIN	2016-18	PRT BIHAR	49.4
70.	B.Ed.	MUHAMMAD MAHBOOB ALAM	2016-18	PRT BIHAR	49.5
71.	B.Ed.	MD MUTASSIM	2016-18	PRT BIHAR	49.6
72.	B.Ed.	SHAMSA KHATOON	2016-18	PRT BIHAR	49.7
73.	B.Ed.	MUDASSIR HASRAT	2017-19	PRT BIHAR	50

Principal

College of Teacher Education,
Maulana Azad National Urdu University,
Shanti Nagar, Behind Holy Family School,
Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal-462036

74.	B.Ed.	SHAH AHAD KAMIL	2017-19	TGT BIHAR	51
75.	B.Ed.	SADDAM HUSSAIN	2017-19	PRT BIHAR	52
76.	B.Ed.	AAMIR ALI IMAM	2017-19	PRT BIHAR	53
77.	B.Ed.	MD RASHID NASIM	2017-19	TGT BIHAR	54
78.	B.Ed.	ABDUL BARI	2017-19	PRT BIHAR	55
79.	B.Ed.	MD SHAHZAD HUSSAIN	2017-19	PRT BIHAR	56
80.	B.Ed.	RAZI AHMED	2017-19	PRT BIHAR	57
81.	B.Ed.	AADIL HUSSAIN	2017-19	TGT BIHAR	58
82.	B.Ed.	MD HASAMUDDIN ANSARI	2017-19	TGT NVS	59
83.	B.Ed.	MD AHLULLAH	2017-19	TGT BIHAR	60
84.	B.Ed.	MD ASHIQUE HUSAIN	2017-19	Asst. Prof. BIHAR	61
85.	B.Ed.	MD NADEEM	2017-19	PRT BIHAR	62
86.	B.Ed.	SHUMAILA PARWEEN	2017-19	TGT BIHAR	63
87.	B.Ed.	MD JEESHAN BABU	2017-19	PRT BIHAR	64
88.	B.Ed.	MD AKHTAR HUSSAIN	2017-19	PRT BIHAR	65
89.	B.Ed.	NASRIN	2017-19	TGT BIHAR	66
90.	B.Ed.	FIRDAUS JABEEN	2017-19	PRT BIHAR	67
91.	B.Ed.	KASID ANSARI	2017-19	PRT BIHAR	68
92.	B.Ed.	SALIM	2017-19	PRT BIHAR	69
93.	B.Ed.	RAFAT SULTANA	2017-19	PRT BIHAR	70
94.	B.Ed.	MD ALAM ANSARI	2017-19	TGT BIHAR	70.1
95.	B.Ed.	SHAZIA NAAZ	2017-19	TGT BIHAR	70.2
96.	B.Ed.	DANISH KAMAL	2017-19	PRT BIHAR	70.3
97.	M.Ed.	MAISARA AZIZ KHAN	2014-15	Asst. Prof. MANUU	71
98.	M.Ed.	NOORUDDIN	2014-15	Asst. Prof. DIET BIHAR	72
99.	M.Ed.	MD ZUBAIR ALAM KHAN	2014-15	TGT JHARKHAND	08
100	M.Ed.	MOHD NAZIR	2014-15	CSA PVT. DELHI	73
101	M.Ed.	RAIHAN FAZAL	2014-15	Asst. Prof. JHARKHAND	74
102	M.Ed.	MD AFTAB ALAM	2014-15	Asst. Prof. BIHAR	75
103	M.Ed.	ASHRAF SHAIKH	2014-15	TGT DELHI	76
104	M.Ed.	MOHD MURSALEEN	2015-17	TGT DELHI	77
105	M.Ed.	MOHAMMAD GULFAM	2015-17	Asst. Prof. U.P	78
106	M.Ed.	MOHD AFZAL	2015-17	Asst. Teacher JH	79
107	M.Ed.	MOHD FAISAL ANSARI	2015-17	Asst. Prof. U.P	80
108	M.Ed.	GHULAM MOHAMMAD	2015-17	Lecturer in Bihar	81
109	M.Ed.	MOHD FAIZEN	2015-17	TGT BIHAR	82
110	M.Ed.	MD MUMTAZ	2015-17	PRT BIHAR	83
111	M.Ed.	MD MAHBOOB ALAM	2015-17	PRT BIHAR	84
112	M.Ed.	GHULAM AHMAD RAZA	2015-17	Asst. Prof. BIHAR	85
113	M.Ed.	MUSHTAQUE AHMAD	2015-17	TGT JHARKHAND	85.1
114	M.Ed.	NOOR ANWAR BANDAGI	2015-17	TGT BIHAR	86

Principal
College of Teacher Education,
Maulana Azad National Urdu University,
Shanti Nagar, Behind Holy Family School,
Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal-462036

115	M.Ed.	MD NADIR	2016-18	PRT BIHAR	87
116	M.Ed.	MD SARWAR	2016-18	Asst. Prof. BIHAR	88
117	M.Ed.	YAHYA RAHMANI	2017-19	UNFPA MANUU	89
118	M.Ed.	OBAIDULLAH	2017-19	UNFPA MANUU	90
119	M.Ed.	SHAHAB ULLAH	2017-19	TGT URDU AMU	91
120	M.Ed.	MD SHAMSUZZAMAN	2017-19	UNFPA MANUU	19.5
121	M.Ed.	YAHYA RAHMANI	2017-19	UNFPA MANUU	19.5
122	M.Ed.	OBAIDULLAH ATAULLAH	2017-19	UNFPA MANUU	19.5
123	M.Ed.	NAQUEEB ALAM	2017-19	PRT BIHAR	92
124	M.Ed.	MD NAZRUL HODA	2018-20	PRT BIHAR	93
125	M.Ed.	MAHBOOB ALAM	2018-20	TGT BIHAR	94
126	M.Ed.	JAWED AKHTAR	2018-20	PRT BIHAR	95
127	M.Ed.	MD JAWED RAZA	2018-20	PRT BIHAR	96
128	M.Ed.	MD GHOLAM MUJTABA	2018-20	PRT BIHAR	97
129	M.Ed.	MD AKHTAR HUSSAIN	2018-20	PRT BIHAR	98
130	M.Ed.	MD ASIF OWAIS	2018-20	PRT BIHAR	99
131	M.Ed.	RUMANA	2018-20	TGT DELHI	100
132	M.Ed.	MOHAMMAD SHAHID	2018-20	PGT MP	101
133	M.Ed.	JAWED AKHTAR	2018-20	UNFPA MANUU	19.5
134	M.Ed.	MD GHOLAM MUJTABA	2018-20	UNFPA MANUU	19.5
135	M.Ed.	MD ASIF OWAIS	2018-20	UNFPA MANUU	19.5
136	M.Ed.	WAHID ALAM	2018-20	UNFPA MANUU	19.5
137	M.Ed.	TAWHEED ALAM	2019-21	PRT BIHAR	102
138	M.Ed.	MD AKIF HAIDER	2019-21	Asst. Prof. BIHAR	103
139	M.Ed.	KAZI SARFUDDIN	2019-21	Asst. Prof. BIHAR	104

Principal

Principal
College of Teacher Education,
Maulana Azad National Urdu University,
Shanti Nagar, Behind Holy Family School,
Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal-462036

B.Ed. 2012-13 Encl. No. (1) MANUU, CTE, Bhopal

Khyala, J.J. Colony, No.1-GBSSS-1514003

GUEST TEACHER ENGAGEMENT LETTER 2022-23

Date: 02/07/2022

Application Id: 2014088500

Mr./Ms. **MD BADRUL ISLAM** Son of /Daughter of **HAFIZ ABUL KALAM** resident of **E399/jjcolony khayala Near madrasi mandir New Delhi 110018** is engaged as Guest Teacher in capacity of **LECTURER URDU**, w.e.f. **01/07/2022 for the session 2022-23** from this School.

Your engagement is subject to following terms and conditions:-

1. Your engagement is purely adhoc & stop gap arrangement till the post is filled up on regular basis. Your engagement shall not entitle you to any regular appointment.
2. That no claim for salary, allowances, facilities and other benefits accruing to the regular teachers shall be made and you shall not file any court case regarding salary and regularization etc.
3. Request for change of school shall not be entertained at all at any time during the engagement.
4. You will be dis-engaged from the school as soon as a regular teacher joins the school irrespective of your standing in the order of merit list.
5. The rates of remuneration payable to you will be daily based at the rates approved by honorable LG vide U.O. No. 27930 dated 23-02-2017 and 03-03-2017 and conveyed through order No. DE 18.2(36)/plg/2016/2970-80 dated 03-03-2017. You will not be entitled for any remuneration on holidays / on days of absence /and on days of non engagement.
6. During the course of engagement if it is found that your performance is not up to the mark by HOS concerned, your engagement will be dis-continued/cancelled.
7. Your services can be terminated if you remain absent without prior permission of the HOS.

If you agree to the above terms & conditions, you must join immediately, failing which the offer of appointment will be cancelled.

.....

Signature Of HOS

HOS

Govt. Boys Sr. Sec. School No.1

J J Colony Khyala,

New Delhi-110018

To:-

Mr/Ms MD BADRUL ISLAM-2014088500

B.Ed. 2013-14 Conct. No (2) MANUU, CTE, Bhopal

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़

।। कार्यालय आदेश ।

उप सचिव (प्रभारी सचिव), झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 4/परीक्षा–12–79/2016 (खण्ड III) आ0 6017 दिनांक 08.11.2018 द्वारा पाकुड़ जिला के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के विभिन्न विषयों के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती तथा झारखण्ड सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त अहर्त्ताधरी शिक्षकों को माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा, मेधा सूची स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सचिवालय को प्रेषित है, के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड राँची के पत्रांक 12/नि0 3–01/2016–4409 दिनांक 16.11.2018 द्वारा प्राप्त निदेशानुसार उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला माध्यमिक शिक्षा स्थापना समिति द्वारा गठित त्रि–सदस्य जाँच समिति द्वारा दिनांक 22.12.2018 एवं 23.12.2018 को जिला स्तर पर प्रथम काउन्सिलिंग तथा दिनांक 10.01.2019 एवं 11.01.2019 को जिला के रिक्त पद पर छात्र संख्या, वरीयता, रिक्ति को दृष्टिपथ पर रखते हुए पदस्थापन हेतु सभी बिन्दुओं को प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हुए उपस्थित अभ्यर्थियों की अधीक्षा के आधार पर पदस्थापन हेतु द्वितीय काउन्सिलिंग के पश्चात् पदस्थापन हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को जिला माध्यमिक शिक्षा स्थापना समिति की बैठक दिनांक 11.01.2019 के निर्णयानुसार सरकारी माध्यमिक विद्यालय में उर्दू विषय के स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर वेतनमान 9300–34800/– ग्रेड वेतन 4600/–(सातवाँ वेतन Level 7- 44900/–) रू0 एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों साथ बिशुद्ध अस्थायी रूप से नियुक्ति करते हुए निम्न रूप से उनके नाम के सामने अंकित सरकारी माध्यमिक विद्यालय में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है :–

क0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थियों का नाम	नियुक्ति कोटी	अभ्यर्थियों के प्रखण्ड का नाम	पदस्थापित विद्यालय का नाम	पदस्थापित प्रखण्ड
1	2	3	4	5	6	7
1	13119134302	मो0 मुसलेहुद्दीन अंसारी	EBC1	हिरणपुर	उत्क्रमित उ0वि0 मोहनपुर	हिरणपुर
2	16115164720	मो0 शाहिद अख्तर	EBC1	पाकुड़	उत्क्रमित उ0वि0 रामचन्द्रपुर	पाकुड़
3	15111156443	मोहम्मद उमैर	EBC1	हिरणपुर	रा0कृ0उ0वि0 बड़तल्ला	हिरणपुर
4	11119117361	मो0 इमदादूल इसलाम	UR	महेशपुर	उत्क्रमित उ0वि0 गढ़वाड़ी	महेशपुर
5	16140175625	मो0 आलमगीर अंसारी	EBC1	हिरणपुर	उत्क्रमित उ0वि0 बेलडंगा	पाकुड़
6	19116187012	सफिउर रहमान	BC2	पाकुड़	उत्क्रमित उ0वि0 इलामी	पाकुड़
7	31111277106	मो0 अताउल्लाह	EBC1	महेशपुर	उत्क्रमित उ0वि0 खाँपुर	महेशपुर
8	12112129039	मो0 नुरूल इस्लाम अंसारी	EBC1	हिरणपुर	उत्क्रमित उ0वि0 अंजना	पाकुड़
9	32119284406	मनजारूल इस्लाम	BC2	पाकुड़	उत्क्रमित उ0वि0गोपीनाथपुर	पाकुड़
10	26116224154	मो0 सेराजुल इस्लाम	EBC1	महेशपुर	रा0कृ0उ0वि0 अमड़ापाड़ा	अमड़ापाड़ा

PNK Sir

।। बस्ती–बस्ती, गाँव–गाँव में ये माहौल बनाना है, घर–घर में शिक्षा का दीप जलाना है ।।

15/1/19

15/01/19.

2. यह नियुक्ति अस्थाई है तथा दो वर्षो की परीक्ष्यमान अवधि होगी। तदोपरान्त संतोषप्रद सेवा के उपरान्त सेवा संपुष्टि पर विचार किया जायेगा।

3. नियुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 31.01.2019 तक अपना योगदान पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष समर्पित करना होगा अन्यथा युक्तियुक्त कारण नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

4. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा जिला स्तरीय काउन्सलिंग के दौरान समर्पित किये गये कागजातों एवं काउन्सलिंग हेतु प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुशंसा के आधार पर किया जा रहा है। अतः संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय में योगदान कराने के पूर्व निम्न कागजातों की जाँच अपने स्तर से आवश्यक रूप से कर लेंगे।

(i) जाँचोपरान्त यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी बी0एड0 मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये है, तो उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त करते हुए उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0ई0)द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0ई0) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में संबंधित राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान। अतएव इस आलोक में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जाँच अपने स्तर से अवश्य कर लेगें कि संस्थान (विश्वविद्यालय नहीं) मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के वेवसाइट www.ncte-india.org की मदद ली जा सकती है। अकनीय है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जिस सत्र से मान्यता दिया गया है, मात्र वही मान्यता प्राप्त होगा।

(ii) आरक्षित वर्ग में नियुक्त होने वाले अभ्यथियों का झारखण्ड़ राज्य का निवासी एवं पाकुड़ जिला का वासी होना अनिवार्य है। अतः सक्षम प्राधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पाकुड़ जिला में निवास करने एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उनरान्त ही अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकृत होगा। पाकुड़ जिला के इतर जिला के अभ्यथियों का योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5. नियुक्त अभ्यर्थियों को वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–518 दिनांक 09.12.04 एवं 05 दिनांक 12.03.05 में निहित प्रावधानों के आलोक में अंशदायी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य होगा।

6. जिलान्तर्गत पदस्थापित शिक्षकों का शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/आवासीय/जाति प्रमाण पत्र के सत्यार्पनोपरान्त वेतनादि का भुगतान आदेश दिया जायेगा।

7. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों की जाँच संबंधित बोर्ड या संस्था से कराये जाने पर उनका कोई भी प्रमाण पत्र/कागजात जाली अथवा गलत पाये जाने की स्थिति में बिना सूचना के किसी भी समय उनकी नियुक्ति रदद् कर दी जायेगी और उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

8. योगदान के समय मुख्य असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् उनका योगदान स्वीकृत हो सकेगा।

9. योगदान के समय अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी फौजदारी मुकदमें में न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किये गये है या उनके विरूद्ध ऐसा कोई भी मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

10. विद्यालय के अवकाश के दिनों में भी इन नवनियुक्त शिक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण/क्षमता वर्धन कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा तथा उनकी प्रशिक्षण में सहभागिता अनिवार्य होगी।

11. इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरीयता झारखण्ड़ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

12. योगदान के समय अभ्यर्थी (अविवाहित) को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि वे विवाह के समय न तो दहेज लेंगे और न दहेज देंगे।

13. योगदान के समय प्रत्येक नियुक्त शिक्षक अपना स्वहस्ताक्षरित तीन पासफोट साईज Black & White Photograph एवं झारखण्ड़ अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं अपने शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को जमा करेंगे।

14. योगदान के लिए कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

15/1/19

15/01/19

झारखण्ड सरकार

15. प्रत्येक अभ्यर्थी योगदान करने के पूर्व उक्त सभी निदेशों/शर्त्तो की जानकारी लेते हुए सुनिश्चित हो लेंगे कि वे सभी निदेशों/शर्त्तो को पूरा करते है तथा तत्पश्चात् ही योगदान देंगे अन्यथा किसी शर्त्त को पूरा नहीं होने हेतु वे स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा उनकी नियुक्ति बिना किसी कारण पृच्छा की समाप्त की जा सकती है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पाकुड़।

ज्ञापांक 29 /पाकुड़, दिनांक 15 जनवरी 2019

प्रतिलिपि :– संबंधित नव नियुक्त सहायक शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़/ कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़ एवं महेशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/01/19

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पाकुड़।

15/1/19

Md. Noorul Ain Ali ③ B.Ed. 2013-14

MANUU, CTE, Bhopal.

कार्यालय ग्राम पंचायत अगन्धा –सह– सचिव पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन समिति अगन्धा

नियोजन पत्र

पंचायत शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 एवं संशोधित नियमावली 2015 के अंतर्गत पंचायत शिक्षक नियोजन समिति के निर्णयोपरान्त श्री / श्रीमती / कुमारी ..... पिता – ..... ग्राम – ..... पोस्ट – ..... थाना – ..... जिला – ..... को पंचायत शिक्षक वर्ग I से V तक कुल कोटि के लिए चयनित किया जाता है। उक्त चयनित श्री / श्रीमती / कुमारी ..... को विद्यालय का नाम ..... प्रखण्ड – बैलागंज में वेतनमान 5200–20200 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक पद पर नियोजित कर पदस्थापित किया जाता है।

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 479 दिनांक 19.07.2012 में निहित निर्देश एवं प्रावधान के तहत अधिकतम आयु में छूट दी गई है। हाँ / नहीं ...हाँ...

पत्र निर्गत तिथि से तीस दिनों अंदर पदस्थापित विद्यालय में योगदान नहीं करने पर आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा। तथा दावा मान्य नहीं होगा।

सह पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर योगदान लेंगें। तथा सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्र की जाँच कर इसकी एक छाया प्रति जिस पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हो, को प्राप्त कर लेंगें। छाया प्रति मिलान एवं जाँच के बाद मूल प्रमाण-पत्र वापस करेंगें, साथ ही प्राप्त छायाप्रति को प्रधानाध्यापक के द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा।

सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरान्त ही नियत वेतन का भुगतान किया जायेगा। किसी प्रकार की गड़बड़ी एवं प्रमाण-पत्र जाली पाये जाने पर सेवा समाप्त करते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कारवाई की जायेगी।

पंचायत सचिव
–सह– सदस्य सचिव
प्रा० पं० शिक्षक नियोजन समिति अगन्धा
बैलागंज (सासा)

ज्ञापांक 624 /सौ०प्र० दिनांक 18.11.2016

प्रतिलिपि – जिला शिक्षा पदाधिकारी, सासा / सुविधा –सह– अध्यक्ष प्रारं पं० प्रा० शिक्षक नियोजन समिति अगन्धा / प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी बैलागंज / संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पंचायत सचिव
–सह– सदस्य सचिव
प्रा० पं० शिक्षक नियोजन समिति अगन्धा
बैलागंज (सासा)

(4) B.Ed. 2013-14 MANUU-CTE-BPL.

कार्यालय :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा

समाहरणालय परिसर, विकास भवन–बी0, गढ़वा
फोन– 06561–223772, फैक्स– 06561–223772, ई–मेल– deo.garhwa@rediffmail.com

–:आदेश:–

गढ़वा, दिनांक 06/06/2019

संख्या– 20 नियुक्ति (उच्च वि.) 42–01/2019 ...876... /स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या– 434 दिनांक 01.03.2016 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2015 के अध्याय–3 नियम–ख (i) के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची के पत्रांक–4/परीक्षा–12–79/2016 (खण्ड III) आ0 2684 दिनांक 22.02.2019 द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का दिनांक 06.03.2019 एवं 07.03.2019 को जिला स्तरीय सम्पन्न काउन्सिलिंग के फलस्वरूप काउन्सिलिंग टीम द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु नियमावली के अध्याय–8 के नियम–(ii) द्वारा यथा प्रावधानित जिला स्तरीय स्थापना समिति की बैठक, दिनांक 08.06.2019 में लिये गये निर्णय के आलोक में जिले के माध्यमिक विद्यालयों में निम्न अभ्यर्थी को उर्दू विषय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पद पर वेतनमान 9300–34800/– एवं ग्रेड पे 4600/– एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अस्थायी रूप से आरक्षण कोटि में नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने अंकित पदस्थापित विद्यालय में योगदान देने का निदेश दिया जाता है।

क्र0	अनुक्रमांक	नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	नियुक्ति की कोटि	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	25116221727	NAUSHAD AHMAD	ISHTEYAK AHMAD	VILL- TAKIA M.U. DARGAH, POST- SUKRIT, SONBHADRA UTTAR PRADESH, 231216	20 Sep 88	UNRESERVED	उत्क्रमित उच्च वि0 लमारीकला, काण्डी

2. योगदान के पश्चात् 2 वर्षों की सेवा परीक्ष्यमान अवधि की होगी। तदोपरान्त संतोषप्रद सेवा के आधार पर उनकी सेवा सम्पुष्टि पर विचार किया जायेगा।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को पत्र निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा युक्तियुक्त कारण नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

वैसे अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं कर पाते हैं, उनके द्वारा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा को वैधानिक सकारण प्रमाण के साथ अभ्यावेदन समर्पित किया जायेगा, जिस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा का निर्णय अंतिम होगा।

4. जाँचोपरांत यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी बी0एड0 मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हैं तो उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त करते हुए उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 के पूर्व के मामलों में संबंधित राज्य सरकार अथवा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

5. आरक्षित वर्ग में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों का झारखण्ड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। अतः सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी) द्वारा झारखण्ड राज्य में निवास करने एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही ऐसे अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकार होगा। झारखण्ड राज्य से इतर के अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। जाँचोपरांत अगर यह पाया जाता है कि आरक्षित वर्ग में नियुक्त अभ्यर्थी झारखण्ड राज्य का निवासी नहीं है तो उनकी सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016 प्रभावी रहेगा।

6. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेखों की जाँच संबंधित बोर्ड/संस्था से कराये जाने पर अगर उनका कोई भी प्रमाण–पत्र/

SL.NO- 17 B.Ed 2013-14 (5) MANUU, CTE, Bhopal
M.Ed-2014-15
SL.No-21-M.Ed 2019-21

अनुसूची – 3

दरभंगा

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, जाले

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली – 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध मध्य विद्यालय के उर्दू के शिक्षक के रुप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों को चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो० शर्फे आलम	मो० युनुस	सकरपुर, दरभंगा	647	OH	05.02.1991	स्नातक	मध्य विद्यालय जहाँगीर टोल
2	मो० मुमताज	मो० शफीक	दोघड़ा, दरभंगा	01	UR	08.01.1981	स्नातक	बुनियादी विद्यालय दोघडा
3	मो० खुर्शीद आलम	मो०इजहारूल हक	श्रीरामपुर, दरभंगा	47	UR	07.01.1987	स्नातक	मध्य विद्यालय निमरौली उर्दू
4	रिजवानुल हसन	मो० इस्माइल	अररिया	50	UR	01.01.1992	स्नातक	मध्य विद्यालय बघौली
5	मो० अताउर रहमान	मो० कासीम	मधुबनी	62	UR	03.01.1992	स्नातक	मध्य विद्यालय मनामखेदू
6	मो० अकील अख्तर	मो० उमर	मधुबनी	65	UR	31.01.1988	स्नातक	मध्य विद्यालय कमतौल कन्या
7	अब्दुल्लाह	दब्बिर आलम कासमी	दोघड़ा, दरभंगा	74	UR	16.01.1989	स्नातक	मध्य विद्यालय चन्द्रदीपा
8	रहमतुल्लाह शाहिद	मो० शाहिद	दरभंगा	77	UR	28.01.1996	स्नातक	मध्य विद्यालय बघौली
9	तमीम अख्तर	जमील अख्तर	मधुबनी	106	UR	08.08.1988	स्नातक	मध्य विद्यालय करवा उर्दू
10	मो० इजराइल	मो० मनीरुद्दीन	मधुबनी	107	UR	20.11.1977	स्नातक	मध्य विद्यालय सहसपुर
11	हबीबुल्लाह	मो० रफीक	सुपौल	127	UR	19.06.1992	स्नातक	मध्य विद्यालय जाले टोला गरुरी
12	अबुल्लैस	जमील अहमद	अररिया	130	UR	15.05.1982	स्नातक	मध्य विद्यालय भटपोखरा
13	मो० अब्दुर्रहमान	रमजान अली	मधुबनी	82/ 130A	UR	02.01.1985	स्नातक	मध्य विद्यालय बिहारी

	मो० शहाबुद्दीन	मो० मुस्लिम	मधुबनी	147	UR	18.01.1986	स्नातक	मध्य विद्यालय निर्जापुर
15	अमीना बेगम	मजनू अंसारी	बलुआ, ऊ०प्र०	491	URF	13.06.1990	स्नातक	मध्य विद्यालय जाले
16	शबीना कुरैशी	मो० लल्लन कुरैशी	प्रयागराज, ऊ०प्र०	548	URF	02.12.1988	स्नातक	मध्य विद्यालय जाले पूर्वी
17	मो० कमाल अख्तर	मो० शफीक	भागलपुर	362	BC	25.08.1991	स्नातक	मध्य विद्यालय राढ़ी
18	सिबगतुल्लाह	दब्बीर आलम कासमी	दौघड़ा, दरभंगा	208/ 157A	EBC	16.02.1990	स्नातक	मध्य विद्यालय पिठरिया खुर्द
19	मो० अमानुल्लाह	मो० हारून रशीद	मधुबनी	177	EBC	03.11.1974	स्नातक	मध्य विद्यालय कमतौल बाजार
20	अब्दुस सतार	मो० याकूब	मधुबनी	207	EBC	16.05.1980	स्नातक	मध्य विद्यालय दिघोपट्टी
21	ओबैदुर रहमान	सगीर अहमद	सीतामढ़ी	218	EBC	21.02.1995	स्नातक	मध्य विद्यालय घोघराहा
22	निशात अहमद	अयाज अहमद	पूर्णियां	249	EBC	25.03.1988	स्नातक	मध्य विद्यालय जाले
23	मो० अख्तर हुसैन	मो० नूह आलम	कटिहार	264	EBC	01.01.1994	स्नातक	मध्य विद्यालय पकटोला
24	मो० हम्माद हसन	मो० इफ़्तेख़ार आदिल	मधुबनी	259	EWS	04.02.1991	स्नातक	मध्य विद्यालय नगरडीह
25	मो० रेहानुल इजहार	मो० इजहार अहमद	मधुबनी	278	EWS	13.02.1992	स्नातक	मध्य विद्यालय दिघोपट्टी
26	तौकीर आलम	मो० अबुल हसन	मधुबनी	421	EWS	08.04.1992	स्नातक	मध्य विद्यालय बसंत

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक – पत्र, BETET/CTET Result card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

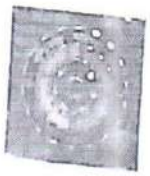
(6) B.Ed. 14-15

West Bengal Board of Secondary Education

Nivedita Bhavan, DJ – 8, Sector II, Salt Lake, Kolkata-700091.

Memo No: WBBSE/App./UDJ/URDU-(GRAD)/AT-0245

Date 08.07.2019



To
MD MODABBIR HUSSAIN
S/o MD RAZIUDDIN
VILL BASATPUR P.O. BARSOI,
KATIHAR, 854317

Sub:- Appointment to the Post of ASSISTANT TEACHER (Class IX – X) against revised Recommendation of The W. B. C. S. S. C

In pursuance with the Notification no: 214-SI/S/10M-01/18 dated 8th March, 2018 read with Memo no: 244 SI S/10M-01/18 dated 16/03/2018 and in reference with West Bengal Central School Service Commission revised Memo no **22/6916/AT(GRAD)/URDU/CSSC/ESTT/2018** dated: **30.05.2019** you are hereby appointed provisionally for two years to the post of **Assistant Teacher (for class IX – X)** against a vacant post belonging to GEN category in the noted below school. Your pay band will be ₹7,100/- to ₹37,600/- with a Grade Pay of ₹4,100/- plus usual allowances with effect from your date of joining, pending Police Verification of your antecedents and Medical Fitness examination which must be received by the authority before your confirmation to the service. **In case of any adverse report in Police Verification or Medical Fitness Examination, your appointment is liable to be cancelled.** Verification Roll may be downloaded from "Sample Forms" section under ACADEMICS in Board's Website, **www.wbbse.org**. The same shall be duly filled up and signed by you and submitted in triplicate, within three months from the date of joining, to the President, WBBSE, Nivedita Bhavan, Saltlake, Kolkata-700091. Your service shall be regulated by the relevant Govt. Act, Rules and Regulations and by the Orders of the Board. This service is transferable. No travelling or any other allowance is admissible for joining the post. In case of employed person, proper Release / Acceptance of Resignation Order etc. must be submitted at the time of joining.

Name: MD MODABBIR HUSSAIN
Address: VILL- BASATPUR, P.O- BARSOI, KATIHAR, 854317

Roll No: **22211683000075** Gender: MALE
Date of Birth: 03-Nov-90 Roster Point : 35
Post in which selected: ASSISTANT TEACHER
Subject : URDU(GRAD)

School Name with Address: **KANKI SHREE JAIN VIDYA MANDIR**, Kanki Goalpokher-II ISLAMPUR, UTTAR DINAJPUR, 733209

Qualification : GRAD WITH BED
Vacancy Medium: URDU

You are requested to join the school within 15 days from the date of issuance of this appointment letter failing which this appointment may be treated as cancelled without any further reference to you in this regard.

Kalyanmoy Ganguly
President

Memo. No. WBBSE/App./UDJ/URDU-(GRAD)/AT-02[illegible] 08.07.2019

Copy forwarded for kind information to:-

1. Principal Secretary, Dept. of School Educa[illegible] West Bengal.
2. Commissioner of School Education, Govt [illegible]
3. OSD to Hon'ble MIC, Dept. of School Ed[illegible] of West Bengal.
4. Secretary, West Bengal Central School Service Commission.
5. Deputy Director of Health Services(MERT), WB, Directorate of Health Services, Swastha Bhavan, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-91 with request to take necessary action for medical examination of incumbent, regarding his medical fitness, in any Govt. medical hospital and submit a report thereof to this office within 6 months.
6. DI of Schools(SE), **UTTAR DINAJPUR**, with request to send a status of joining of all incumbents in the district within one month from the date of issue of their appointment letters, to the President, WBBSE.
7. President/ Secretary of the Managing Committee/Administrator **KANKI SHREE JAIN VIDYA MANDIR**
8. HM/TIC **KANKI SHREE JAIN VIDYA MANDIR** with a direction to verify the original certificates in respect of identity, educational qualifications, date of birth, caste, P.H. etc. at the time of joining and send a copy of joining Report to the President, WBBSE within 15 days.
9. HM/TIC **KANKI SHREE JAIN VIDYA MANDIR**
10. Office file

Kalyanmoy Ganguly
President

Enc. No- (6.1) SL- 19, 20 and 01

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू

नया समाहरणालय परिसर, ब्लॉक–C मेदिनीनगर, पलामू (झारखण्ड) 822101
Email – deo.palamu@gmail.com

996
A/6/2019

कार्यालय – आदेश

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड रॉची की अधिसूचना संख्या 434 दिनांक 01.03.2016 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रॉची के विज्ञापन संख्या 21/2016 द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के परीक्षाफल एवं काउसिलिंग के उपरान्त अंतिम रूप से नियुक्ति के लिये अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक दिनांक 03.06.2019 के निर्णयानुसार जिले के माध्यमिक विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को विषयवार स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पद पर वेतनमान 9300–34800 रू0 ग्रेड पे0 4600/– (44,900–1,42,400) एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तो के साथ अस्थायी रूप से आरक्षण कोटि में उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है–

क्र0 सं0	मेधा क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	चयन की कोटि	लिंग	पदस्थापन हेतु अनुशंसित विद्यालय का नाम
विषयः– जीव विज्ञान/रसायन								
1	1	14144150315	ASHUTOSH LAL	SURAJ LAL	19.06.1989	UR	M	राजकीय बालिका उच्च विद्यालय (के0जी0), मेदिनीनगर
2	2	14112136161	KRISHNA MURARI	SRINIWAS SINGH	20.01.1983	UR	M	राजकीयकृत सद्गुरू हरिप्रताप उच्च विद्यालय, चैनपुर
3	3	14117136068	ASHOK KUMAR	TRILOKI NATH	15.12.1983	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, बरवाडीह, पीपरा 2010–11
4	5	14136147026	KAPIL KUMAR KULSHRESTHA	DEVENDRA KULSHRESTHA	16.07.1987	UR	M	राजकीयकृत सीता उच्च विद्यालय, हरिहरगंज
5	6	14140148364	AJIT PRATAP SINGH YADAV	SUBEDAR SINGH YADAV	15.07.1977	UR	M	राजकीयकृत हार्वे सोनभैली उचांग्ल उच्च विद्यालय, जपला
6	7	14135146691	BHOLA PRASAD SINGH	JANARDAN PRASAD SINGH	18.05.1980	UR	M	राजकीयकृत उच्च विद्यालय, छतरपुर
7	8	14140148707	AMBRISH KUMAR	JAGDISH PANDEY	02.10.1982	UR	M	राजकीयकृत उच्च विद्यालय, लेस्लीगंज
8	9	14142149516	PRITY KUAMRI	SURENDA KUMAR TIWARI	29.06.1986	UR	F	राजकीयकृत उच्च विद्यालय, पोलडीह
9	10	14126142107	HARISHANKAR KUMAR	TDN SINHA	01.02.1987	UR	M	राजकीयकृत आर्दश उच्च विद्यालय, दिपौआ
10	11	14119138819	SUNIL KUMAR	BALDEVA PAL	05.01.1982	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय चान्दों, चैनपुर
11	12	14114136694	NILIMA KHANKA	LATE. MAHENDRA SINGH KHANKA	03.04.1980	UR	F	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, लठैया, छतरपुर 2009–10
12	13	14144150708	SEEMA SINGH	UPENDRA SINGH	15.12.1986	UR	F	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, सिक्की कला, पाटन 2010–11
13	15	14141149109	SUNIL KUMAR SHUKLA	RAM DHANI SHUKLA	08.01.1984	UR	M	राजकीयकृत उच्च विद्यालय, तरहसी
14	16	14119139239	BRIJESH SINGH	HARISHANKAR SINGH	11.05.1985	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय चक, मनातू

996/4/6/19

क्र० सं०	मेधा क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	चयन की कोटि	लिंग	पदस्थापन हेतु अनुशंसित विद्यालय का नाम
18	18	31112277682	MD ABRAR ALAM	MD ABDUR RAB	05.01.1984	UR	M	राजकीयकृत राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय, पांकी
19	19	30119275932	ZAHIRUDDIN MD BABAR	SHAMSUL HODA	07.08.1986	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय विश्रामपुर पिठौरा, पीपरा
20	20	19129192714	SHAMSUL HUDA	MUNSHIR RAZA	04.05.1990	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, बहेरा नौडीहा, पांकी 2011–12
21	21	15127163237	ABDUR RAHMAN	MOHD JAHANGEER ALAM	11.05.1990	UR	M	राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय, हरिहरगंज
22	22	19131193205	MD SHAHID ANWAR	MD MUSLIM ANSARI	15.01.1991	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, महुगांवा, चैनपुर 2011–12
23	23	24111213962	MOHAMMED INAM	MAMOOR	15.06.1991	UR	M	स्तरोन्नत उर्दू उच्च विद्यालय, गुरहा, तरहसी 2009–10
24	24	25114220408	HUSN ARA	MD MAQSUD ALAM	28.09.1985	UR	F	राजकीयकृत उच्च विद्यालय, तरहसी
25	25	29116271921	FAKHARUL ISLAM	AHAM DULLAH	10.07.1988	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, आसेहार, पांकी 2009–10
26	26	32112281909	MD SAJJAD HUSSAIN	MD MOBARAK HUSSAIN	07.08.1988	UR	M	स्तरोन्त उच्च विद्यालय, बांसडीह खुर्द, चैनपुर 2011–12
27	27	11131124111	IMAMUDDIN	MOHAMMAD AHMAD	05.01.1989	UR	M	राजकीयकृत सर्वोदय उच्च विद्यालय, सतबरवा
28	30	16130171238	ABU SAAD	IMTIYAZ AHMAD	12.10.1977	UR	M	राजकीयकृत सीता उच्च विद्यालय, हरिहरगंज
29	31	25114220547	SHABANA FARHAT	ABDUL RAUF	20.07.1979	UR	F	राजकीयकृत श्याम बिहारी सिंह उच्च विद्यालय, नामूदाग
30	32	17115179434	KAMRUN KHATOON	MD NOOR ANSARI	12.10.1981	UR	F	राजकीयकृत महात्मा गांधी उच्च विद्यालय, सरजापोलपोल
31	33	24119216680	MD AFTAB ALAM	MD NAZIM	01.04.1984	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, सहरसवां, छतरपुर 2010–11
32	34	31116280721	MOHD IRFAN SAJID	MD FAROOQUE	22.05.1984	UR	M	राजकीयकृत जनता उच्च विद्यालय, विश्रामपुर
33	35	14156155951	NAZIA NIKHAT	MD SHAKIL ANSARI	16.07.1986	EBC-1	F	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, भितीहारा, उटारी रोड 2011–12
34	38	32116283422	MOSHARRAF ALAM	MD ISHAQUE ANSARI	05.01.1991	EBC-1	M	स्तरोन्त उच्च विद्यालय, ताल, पांकी 2010–11
35	40	13119134189	MOHAMMAD SERAJUL HAQUE QUADRI	ROZ MAHAMMAD	10.09.1992	EBC-1	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, सेमरा, चैनपुर 2011–12
36	43	19127191850	ANZARUL HAQUE ANSARI	KASIM ANSARI	15.08.1982	EBC-1	M	राजकीयकृत जनता उच्च विद्यालय, लोहरसी पगार
37	44	26124227457	NAZIA PERVEEN	MD RIZWAN	01.01.1985	EBC-1	F	राजकीयकृत रहमानियां उच्च विद्यालय, तारा
38	46	20119200558	MD ABUL KALAM ANSARI	MD ABDUL AJIJ ANSARI	31.05.1981	EBC-1	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, करसो, चैनपुर 2011–12

B.Ed 2012-13

B.Ed 2014-15

996/4/6/2017

क्र0 सं0	मेधा क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	चयन की कोटि	लिंग	पदस्थापन हेतु अनुशंसित विद्यालय का नाम
70	513	12111128686	PRADEEP KUMAR	NEHAL RAM	07.06.1989	SC	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, रामगढ़ चैनपुर 2009–10
71	596	32115283230	DILIP KUMAR	SURENDRA BAITHA	03.05.1993	SC	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, खुर्शकला, चैनपुर 2011–12
72	680	30116274894	YASH ARYA	SHYAMBIHARI PRASAD	07.02.1987	SC	M	परियोजना धनमानी उच्च विद्यालय, पीपरा बरदाग (1981–82)
73	701	24111213835	BHUNESHWAR RAJWAR	MANKI RAJWAR	04.01.1984	SC	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय सलतुआ, चैनपुर
74	722	24115214795	PRIYANKA KUMARI	KARMDEW RAM	10.08.1993	SC	F	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, करकटा, पाण्डू 2009–10
75	751	16139175310	SULEKA RANI	GANESH RAM	20.01.1993	SC	F	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय कण्डा, नावाबाजार
76	766	30119275979	SUJIT LAKRA	PRABHUDAN LAKRA	13.03.1981	ST	F	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, बरवाडीह, पीपरा 2010–11
77	780	19133194580	SATYENDRA RAM	NARESH RAM	02.07.1987	SC	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय खड़गपुर, हरिहरगंज
78	840	11125121050	ASUNTA TIGGA	IGNATIUS TIGGA	20.02.1993	ST	F	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय नौडीहा पाटन
79	841	11118116354	DHARMENDRA KR SINGH	NAND KR SINGH	13.02.1989	ST	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, परसांवा, तरहसी 2011–12
80	754	22121209791	RAKESH KUMAR	MATHURA DAS	20.06.1971	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय चान्दो, चैनपुर
81	755	22118208662	MANISHA SAHAY	ASHOK KUMAR SAHAY	11.03.1972	UR	M	राजकीयकृत उच्च विद्यालय, हरिनामांड
			विषयः– उर्दू					
1	1	18116181363	MD SHARIB	MD JAHANGIR	12.02.1984	UR	M	स्तरोन्त उच्च विद्यालय, तेन्दुआ, हरिहरगंज 2009–10
2	2	13113131942	MD FIROZ ALAM	MD MURAD ALI	01.11.1990	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, उदयपुरा, तरहसी 2009–10
3	3	18119182765	OBIDULLAH KALEEM	KALEEM ALAM	08.06.1992	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, पांती, हैदरनगर 2009–10
4	4	15125162568	HOMMAID ARAFAT	SHAFI AHMAD	08.04.1975	UR	M	राजकीय उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), मेदिनीनगर
5	5	31116280541	KALEEM AHMAD	SHAMSUDDIN	15.07.1989	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, रामगढ चैनपुर 2009–10
6	6	16120167190	AFROZ ANSARI	ABDUL SAMAD	08.07.1983	UR	M	राजकीयकृत बक्सी उच्च विद्यालय, हुसैनाबाद
7	7	29117272159	ABDUL KARIM RIZVAN	SYED ZIAURRAHMAN	15.07.1983	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, खुर्शकला, चैनपुर 2011–12
8	8	13112131353	ABDUL WADOOD	MOHD HASAN	25.07.1985	UR	M	राजकीय बालिका उच्च विद्यालय (के0जी0), मेदिनीनगर
9	9	12114130200	NASIM ANSARI	ASH MOHAMMAD ANSARI	19.08.1986	UR	M	स्तरोन्नत उर्दू उच्च विद्यालय, झाबर, मेदिनीनगर 2009–10
10	10	26113222974	BADRUL HODA	NURUL HODA	06.02.1991	UR	M	राजकीयकृत उच्च विद्यालय, हैदरनगर
11	11	13111121051	MD MUSTAQUIM RAZA	MD ASGHAR ALI	14.05.1983	UR	M	राजकीयकृत गणेश लाल अग्रवाल उच्च विद्यालय, मेदिनीनगर
12	12	26111222226	JAVED ALI	ASGAR ALI	02.02.1976	UR	M	राजकीयकृत ब्राहमण उच्च विद्यालय, मेदिनीनगर
13	13	23114212705	AHMAD ISMAIL	MOHAMMAD AKHTAR	24.08.1988	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, नौडीहा बाजार, 2009–10
14	14	16138174656	MOHAMMAD SHOAIB	MOHAMMAD MUSLIM	02.01.1991	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय डाली, छतपुर
15	15	11119117436	FAIZUL BARI	ABDUL RAUF	01.02.1984	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, सेलारी, तरहसी 2010–11
16	16	25113219594	MD CHULAMNABI	MD ZAHOOR	10.06.1982	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय सलतुआ, चैनपुर
17	17	16111163670	RAFI AHMAD	MUSHTAQUE AHMAD	10.06.1982	UR	M	राजकीयकृत कल्याण उच्च विद्यालय, पाण्डू

(6.2) B.Ed. 2014-15

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION (REGIONAL OFFICE)
35-B, M.G. MARG, CIVIL LINES, ALLAHABAD-211001
PHONE:(0532) 2407970 2408971 2407972 FAX:(0532) 2408977

RO/ALLD/Conf./Pract Appt/2022/Term2/0280181 26/02/2022

ASIF PARVEZ , PGT
71084 RAM LAGAN SENIOR SECONDARY SCHOOL
KALYANPUR MAU
TEHSIL GHOSI
MAU 275105

SUBJECT: APPOINTMENT OF EXTERNAL PRACTICAL EXAMINER FOR TERM 2 AISSCE 2022

Sir/Madam,

On the subject cited above, you are informed that you have been appointed as an external practical examiner in the subject 028 (POLITICAL SCIENCE) & alloted Examiner No. 0280181 for conduct of Term 2 Practical examination of AISSCE 2022 in respect of the candidates of the school(s) as per the list enclosed.

The appointment & other information related to conduct of practical be kept strictly confidential and examination be conducted strictly in accordance with the instructions issued by the Board / Regional Office. The practical examination should be conducted on a mutually decided date. The detailed guidelines and other material for conduct of Practical exam are being supplied to the Principal of the concerned school.

YOU ARE REQUESTED TO GO THROUGH THE INSTRUCTION LAID DOWN IN THE ENCLOSED PRACTICAL GUIDLINES TO AVOID ANY COMPLICATION AT A LATER STAGE.

It is further informed to you that as per Affiliation Bye Laws of the Board, it is mandatory for all the affiliated schools to relieve teachers for the work assigned by the Board. Therefore, you are requested to perform the assigned work or action as per affiliation bye-laws of the Board otherwise appropriate action will be taken against schools for non-relieving of teachers.

Your cooperation for the fair & smooth conduct of Term 2 Practical examination 2022 is solicited.

Yours faithfully,

(SHVETTA ARORA)
REGIONAL OFFICER

Note : - Detailed circular for Conduct of Practical Examination is availalbe in the following link:-

https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents//Guidelines_Practical_Term_II_24022022.pdf

(6·3) B·Ed. 2014-15

जिला :–रोहतास

प्रखण्ड नासरीगंज

प्रारम्भिक शिक्षक नियोजन इकाई का नाम अतिमी

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा– शर्त) –2012 नियमावली– 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (यथा संशोधित)के आलोक में **प्राथमिक विद्यालय अतिमीगंज,प्रखण्ड–नासरीगंज,रोहतास** विषय – उर्दू के शिक्षक के रूप में चयन नियुक्ति हेतु किया गया है । शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णत: औपबंधिक होगी ।

अत: यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अन्दर वे पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा आपका दावा स्वत: समाप्त हो जायेगा ।

क्रमसं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	मो0 जहाँगीर आलम	मो0 हारूण अंसारी	गोला महल्ला दाउदनगर थाना– दाउदनगर औरंगाबाद 824143	09	अत्यंत पिछडा वर्ग	10.01.1994	ग्रेड बेसिक	प्राथमिक विद्यालय अतिमीगंज

01. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय मे योगदन देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण/अंकपत्र,बीटीईटी/सीटीईटी रिजल्ट कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगें । साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र मूल में नियुक्ति पत्र प्राप्ति के समय उपलब्ध करने के पश्चात ही नियुक्ति मान्य होगा ।

02. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

03. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

04. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोक्ता के द्वारा नियुक्ति पत्र रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक काननूनी कार्रवाई की जायेगी ।

5. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे ।

6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा –शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा ।

सचिव
पंचायत नियोजन इकाई अतिमी

ज्ञापांक–––05–––/ अतिमी दिनांक 25/02/2022,

प्रतिलिपि:– 01. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

02. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय,नासरीगंज को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें ।

03. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगें ।

सचिव
पंचायत नियोजन इकाई अतिमी

25.02.2022.
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अतिमी
प्रखण्ड–नासरीगंज (रोहतास)

मानव संशाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
भारत सरकार

Ministry of Human Resource Development
Deptt. of Education
Govt. of India
0370-2806186
e-mail: jnvphek@yahoo.co.in
website: http://phek.jnv.academy/

B.Ed. 2014-15

6.4

AFFILIATION NO: 140004
CBSE SCHOOL CODE: 05309

To

Ref: 1-8/JNVP/(CONTRACT)/

Dated:01/09/2021

To,
Mr.Mohammad Shahid Ansari
Mohammadshahid3475@gmail.com,
9044704981

Sub: Appointment for the post of PGT.(Geog) on Contract basis at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Zuketsa ,Dist. Phek, Nagaland-reg.

Sir,

Consequent upon the fulfilment of selection criteria based on merit list prepared by NVS, RO, Shillong vide letter No.PERS.2-16(PGT-Com)/NVS(SHR)Estt.1/1665/ Dt.23/08/2021,the undersigned is please to offer the appointment to the post of FCSA in our Vidyalaya for the academic session 2021-22 on the following terms and conditions.

1. You are entitled to draw remuneration of Rs,42250/-(Forty Two Thousands Two Hundred Fifty Only)) consolidated pay fixed by NVS, RO, Shillong.)
2. No TA and joining time will be admissible for joining the post.
3. Your appointment is purely on contract basis till the end of April-2022 and will automatically stand terminated on the afternoon of 30th April-2022,will not claim, for your regularisation or terminal benefits on the post offered to you.
4. Notwithstanding anything in the Contract, the Principal may terminate your service before the expiry of the contract period or in case

a) Your work is found unsatisfactory.

b) If your conduct is found to be unbecoming of a Govt. servant and unsuitable for a Co-educational residential Institution.

5. You have to stay in the Vidyalaya Campus and entitled free bachelor accommodation, and free meal if and as available and will employ yourself efficiently and diligently and will devote whole time to the duties of the service and will not engage directly or indirectly in any trade ,business or occupation in your own account.
6. You will earned 1 day Casual Leave for each complete month of service maximum 8 days Casual Leave for the tenure of 10 months.
5. You will have to execute a bond for contract appointment in prescribed format on a FIFTY rupees non judicial stamp paper

In case, if you are willing to accept the offer on terms and conditions mentioned above, you should join on or before 03/09/21

Yours faithfully

(HIMANSHU KUMAR)
Principal
PRINCIPAL/प्राचार्य
Jawahar Navodaya Vidyalaya
जवाहर नवोदय विद्यालय
Zuketsa, Dist. Phek, Nagaland-797107

6.5

King's Eden

INTERNATIONAL SCHOOL

MOHAMMADABAD GOHNA, MAU (U.P.)

+91-78395949 06,7233993030



B.Ed.
~~2018-20~~
2014-15

SHARAFAT ALI

MR. IRSHAD AHMAD

P.G.T. (POL.SCINCE)

6392856021

DOMAN PURA KASARI MAU NATH
BHANJAN 275101

B.7

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

B.Ed. 2014-15

पत्रांक/31277-नियुक्ति/ 17818-29 /2020-21 दिनांक-16 अक्टूबर, 2020

नियुक्ति आदेश

सचिव, उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पत्रांक/बे0शि0प0/9609-9931/2020-21 दिनांक 11.10.2020, अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 पत्र संख्या-1125/68-5-2020 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-1191(1)/68-5-2020 दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 रिक्त पदों के सापेक्ष 31277 पदों पर सहायक अध्यापकों की चयन/नियुक्ति हेतु जनपद में दिनांक 14.10.2020 से 15.10.2020 को सम्पन्न काउन्सिलिंग के आधार पर चयनित अभ्यर्थी जो प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता बी0टी0सी0, द्विवर्षीय बी0टी0सी0.(उर्दू), विशिष्ट बी0टी0सी0, बी0एड0 (यू0जी0सी0/एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था) भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या प्रारम्भिक शिक्षा (बी0एल0एड0) में चार वर्षीय उपाधि या राष्ट्रीय अध्यापक परिषद (मान्यता मानक और प्रक्रिया) विनियमावली-2002 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निर्धारित द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो और सरकार और भारत सरकार द्वारा संचालित 1 से 5 अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, जिनका विवरण निम्नलिखित है। उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के बाइसवें संशोधन के नियम-08 में निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर नियुक्ति हेतु उ0प्र0 अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली 2006, (यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार गठित चयन समिति द्वारा चयनित किये जाने के उपरान्त विधिवत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अध्यापक पद पर साधारण वेतनमान 9300-34800, ग्रेड वेतन रू 4200 में एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों यथा शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियां/जाति प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं सम्बन्धी प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्र यदि जाचोपरान्त झूठी, कूटरचित अथवा अन्य किसी कारण से दूषित/फर्जी पायी जाती है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के साथ-साथ उनकी नियुक्ति, नियुक्ति तिथि से निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा। कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 (यथा संशोधित) के अनुक्रम मे पुरूष अध्यापकों को पिछड़े विकास खण्डों मे पाँच वर्ष सेवा करना अनिवार्य है। यह नियुक्ति आदेश निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है-

1-मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

2-अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद भी मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

सूची क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नं0	श्रेणी	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	लिंग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1047	5000081042	OBC	MOHAMMAD RASHID ANSARI	IZHAR AHMAD	1994-07-01	MALE	

(अम्बरीष कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

पृ0सं0/31277-नियुक्ति/ /2020-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ0प्र0, लखनऊ।
2-विशेष सचिव, शिक्षा अनुभाग-5, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3-निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
4-शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
5-सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
6-सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, प्रयागराज।
7-प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर, आजमगढ़।
8-सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
9-वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, आजमगढ़।
10-समस्त नवनियुक्त शिक्षकों से किसी अन्य विभाग मे अथवा बेसिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत किसी अन्य पद पर कार्यरत न होने विषयक शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
11-मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
12-सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय से कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ में उपरोक्त वर्णित निर्देशानुसार 15 दिन के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति/तैनाती आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित स्वयं उत्तरदायी होंगे।
13-गार्ड फाईल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

(8)

Sl. No. 31 and 51

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा

बी0 जे0 इंस्टीट्युट भवन, पुराना कचहरी परिसर चतरा

Email Id- deormsachatra@gmail.com

कार्यालय आदेश

नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (TGT) जिनके सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय एवं कार्यालय से प्राप्त हो चुका है, ऐसे निम्नांकित शिक्षक / शिक्षिकाओं को योगदान की तिथि से वेतनादि भुगतान की अनुमति दी जाती है। भविष्य में यदि शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक अथवा अन्य किसी प्रमाण पत्रों में कोई भिन्नता प्रकाश में आती है तो भुगतान की गयी राशि की वसूली करते हुए सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारवाई की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बंधित शिक्षक की होगी।

क्रम संख्या	शिक्षक/शिक्षिकाओं का नाम	विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	FARZANA KHATOON	S.S. +2 HIGH SCHOOL SIMARIYA	
2	KAUSHAL KUMAR	UTKRAMIT HIGH SCHOOL BANKA	
3	ASHISH KUMAR VERMA	UTKRAMIT HIGH SCHOOL DUMRI, BARABAGI	
4	MURARI SHARAN PANDIT	UTKRAMIT HIGH SCHOOL DUMRI, BARABAGI	
5	RASHMI DHAN	PROJECT GIRL HIGH SCHOOL HUNTERGUNJ	
6	AJAY KUMAR MANDAL	UTKRAMIT HIGH SCHOOL KONI	
7	KUSUM KUMARI	UTKRAMIT HIGH SCHOOL NAWADIH	
8	MAHESH RAVIDAS	UTKRAMIT HIGH SCHOOL HESATU	
9	MD TAMIM AHMAD	GANGA SMARAK +2 HIGH SCHOOL GIDHAUR	
10	ABDUL QAIYUM	UTKRAMIT HIGH SCHOOL RIMI	
11	SIMA KUMARI	UTKRAMIT HIGH SCHOOL PITIJ	
12	RAJ KUMAR RAVIDAS	UTKRAMIT HIGH SCHOOL TETARIYA HUNTERGUNJ	
13	RAJ KISHOR MAHTO	UTKRAMIT HIGH SCHOOL BARGAON	
14	PRAMOD KUMAR MAHTO	UTKRAMIT HIGH SCHOOL ICHAK KHURD	
15	SHANKAR KUMAR SAHU	UTKRAMIT HIGH SCHOOL ICHAK KHURD	
16	SONY KUMARI	UTKRAMIT HIGH SCHOOL JORI	
17	SUNIL KUMAR	UTKRAMIT HIGH SCHOOL SHALGI	
18	REKHA KUMARI	BACHARA +2 HIGH SCHOOL TANDWA	
19	ASHOK RAM	UTKRAMIT HIGH SCHOOL LAWALONG	
20	DASHRATH KUMAR	UTKRAMIT HIGH SCHOOL BENTI	
21	JITENDRA GUPTA	UTKRAMIT HIGH SCHOOL PINDARKON	
22	VIKASH KUMAR KESHRI	UTKRAMIT HIGH SCHOOL PINDARKON	
23	NIKHAT ARFIYA	PRJECT GIRLS HIGH SCHOOL ITKHORI	
24	MUNNA KUMAR RAJAK	RAM NAGAR UCHH VIDYALAY KANHACHATTI	
25	RAMAWTAR KUMAR RAVIDAS	UTKRAMIT HIGH SCHOOL SOKI	
26	RUBI KUMARI	JANTA HIGH SCHOOL PATHALGADA	
27	RAGHWENDRA KUMAR CHAUDHARY	UTKRAMIT HIGH SCHOOL MOKATMA	
28	JAYPAL BHAGAT	UTKRAMIT HIGH SCHOOL CHADRAM	
29	SANJAY KUMAR YADAV	UTKRAMIT HIGH SCHOOL PARSONI	
30	RANJAN TOPPO	UTKRAMIT HIGH SCHOOL BIJKRU	
31	AZMATULLAH	UPGRADED HIGH SCHOOL LEPO SIMARIYA	
32	NAJMUT TARIQUE	UTKRAMIT HIGH SCHOOL ARA	
33	SATYAPAL SINGH	UTKRAMIT HIGH SCHOOL DUMRI, BARABAGI	

B.Ed 14-15

34	MADAN KUMAR GUPTA	UTKRAMIT HIGH SCHOOL KONI	
35	NESAR AHMAD HAFZI	UTKRAMIT HIGH SCHOOL PITIJ	
36	MD HANZALA	UTKRAMIT HIGH SCHOOL CHADRAM	
37	RAJESH KUMAR GUPTA	+2/UTKRAMIT HIGH SCHOOL BARISAKHI	
38	UMESH PRASAD	+2/UTKRAMIT HIGH SCHOOL BARISAKHI	
39	NOOR ANZAR	UTKRAMIT HIGH SCHOOL LAMTA	
40	RAMSHIV BHARTI	S.S+2 HIGH SCHOOL PRATAPUR	
41	PRAMOD KUMAR SINGH	UTKRAMIT HIGH SCHOOL LIPTA	
42	UMESH KUMAR DANGI	UTKRAMIT HIGH SCHOOL PHULANG	
43	VIJETA SINHA	RAJYA SAMPOSHIT BALIKA UCHYA VIDYALAY	
44	GANGA DHAR YADAV	S.S. +2 HIGH SCHOOL PANDEYPURA	
45	RAJESH KUMAR	UTKRAMIT HIGH SCHOOL DWARI	
46	MOHD AMIR KHAN	UTKRAMIT HIGH SCHOOL DWARI	
47	MD SHARIQUE	UTKRAMIT HIGH SCHOOL BENTI	
48	MOHD FAHAD	UTKRAMIT HIGH SCHOOL PINDARKON	
49	RAM KRISHNA BHARTI	UTKRAMIT HIGH SCHOOL SILDAG	
50	ASHISH KUMAR	UTKRAMIT HIGH SCHOOL SARADHU	
51	MD ZUBAIR ALAM KHAN	UTKRAMIT HIGH SCHOOL DATAM	
52	BINIT KUMAR	PRJECT GIRLS HIGH SCHOOL ITKHORI	
53	NEHA KUMARI	PRJECT GIRLS HIGH SCHOOL ITKHORI	
54	BASANT KUMAR SAW	RAM NAGAR UCHH VIDYALAY KANHACHATTI	
55	SANDEEP KUMAR SINGH	RAM NAGAR UCHH VIDYALAY KANHACHATTI	
56	SANJAY KUMAR	PARIYOJNA +2 HIGH SCHOOL MISHROL	
57	GURU SHARAN MISHRA	S.S.+2 HIGH SCHOOL CHATRA	
58	SHASHANT KUMAR	UTKRAMIT HIGH SCHOOL MARAMDIRI	
59	GAGAN KUMAR	UTKRAMIT HIGH SCHOOL KHAIRA	
60	RAZI AHMAD	BACHARA +2 HIGH SCHOOL TANDWA	
61	RAVI KANT VERMA	UTKRAMIT HIGH SCHOOL TONATAND	
62	SANGITA KUMARI	PARIYOJNA +2 UCHH VIDYALAY BIRHU	
63	ANURADHA KUMARI	UTKRAMIT HIGH SCHOOL MARAMDIRI	
64	MUKESH KUMAR	PROJECT GIRL HIGH SCHOOL HUNTERGUNJ	
65	BAIDYANATH PRASAD	UPGRADED HIGH SCHOOL TETARIYA PATHALGADA	

M.Ed-2014-15

ह0/=
जिला शिक्षा पदाधिकारी
चतरा

ज्ञापांक 275 / चतरा, दिनांक 22/02/ /2020

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी चतरा/ सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा सम्बंधित शिक्षक/शिक्षिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी विपत्र लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी चतरा को सूचनार्थ प्रेषित। सम्बंधित शिक्षक/शिक्षिकाओ का बायोमेट्रिक उपस्थिति प्राप्त कर ही विपत्र पारित करेंगे।

Azmatullah
25/02/2020

जिला शिक्षा पदाधिकारी
चतरा।
24.02.20

(9) B. 14-15

Government of West Bengal
Office of the District Inspector of Schools (SE), Uttar Dinajpur
P.O-Karnajora, Dist-Uttar Dinajpur

Memo No: ..... Date...../...../2019

From: The District Inspector of Schools(S.E)
Uttar Dinajpur

To: The Secretary/ Administrator,
Dharampur High School(H.S)
P.O-Gendabari, Dist.Uttar Dinajpur.

Sub: Approval of appointment of **Assistant Teacher**.

Ref: Your Memo No.17/19, Date-07.08.19 & West Bengal Board of Seceondary Education vide Memo No.WBBSE/App./UDJ/URDU(GRAD)/AT-0158/1,Date-30.07.19.

The undersigned has to state that the Appointment of undermentioned Headmaster/Headmistress / Asstt Headmaster/Asstt Headmistress/**Assistant teacher**/Librarian/Clerk/Group-D of the school / Madrasah is/ are approved on salaries as admissible Under the rules with effect from the dates noted against their on usual conditions.

Sl.No.	Name,qualification & designation	Post in which or persons in whose place appointed	Date from which approved
1.	**Nikhat Banu** Urdu(GRAD), B.Ed Assistant Teacher in Urdu Medium	Addl Post vide Memo No.619-SE(S), Date-30.03.2012	31.07.2019 to 30.07.2021

(N.B- Police verification and medical fitness examination are pending regarding confirmation)

District Inspector of Schools(SE)
Uttar Dinajpur

Memo No.2577.../1(2) Date..19.../08.../2019

Copy forwarded to :

1) **Nikhat Banu**, Assistant Teacher of Dharampur High School(H.S) for information.

2) Vacancy section.

ATTESTED 16/8/19
Teacher-in-Charge
Dharampur High School(H.S.)
P.O.Gendabari,Dist:U/Dinajpur

District Inspector of Schools(SE)
Uttar Dinajpur
15/8/19

B.Ed-2014-15 (10) MANUU, CTE, Bhopal

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बाराबंकी

पत्रांक–बेसिक/नियुक्ति–69000(3)/2424–2567/2021–22/ दिनांक 23 जुलाई 202

नियुक्ति आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–11198/2020 रामशरण पाँर्या व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.11.2020 के क्रम में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के पदों पर शासनादेश संख्या–1191(1)/68–5–2020 दिनांक 06.10.2020 एवं परिषद के पत्रांक–बे0शि0प0/9609–9931/2020–21 दिनांक 11.10.2020 के अनुपालन में प्रथम चरण में 31277 एवं शासनादेश संख्या–1569/68–5–2020–17/2020 दिनांक 24 नवम्बर 2020 एवं परिषद के पत्रांक–बे0शि0प0/14101–14275/2020–21/दिनांक 28.11.2020 के अनुपालन में द्वितीय चरण में 36590 अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की गई थी।

शासनादेश संख्या–456/68–5–2021–17/2020 दिनांक 17.05.2021 एवं परिषद के पत्रांक–बे0शि0प0/10777–11022/2021–22/दिनांक 26.05.2021 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981(अद्यतन यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार गठित चयन समिति द्वारा चयनित किये जाने के उपरान्त विधिवत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अध्यापक के पद पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800(ग्रेड वेतन 4200)लेवल–6 में एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर अस्थाई रूप से निम्नवत शर्तों के अधीन निम्न तालिका में अंकित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क0सं0	रजिस्ट्रेशन सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	लिंग	श्रेणी/जाति	विशेष आरक्षण	स्थायी निवास का पता थाना के नाम सहित	आधार संख्या	पैन संख्या	वोटर आई0डी0 संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	6000054845	MOHAMMAD UZAIR	MOHAMMAD KAFEEL	1993-09-18	MALE	GENERAL	0	H.No. 122 V.P.O BANSWANI, AMBEDKAR NAGAR, 224129	352987484875	AJCPU8829P	TYX1848852

यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण(काउन्सिलिंग)के समय प्रस्तुत किये गये समस्त शैक्षणिक अभिलेख,सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2019 का प्रमाण पत्र,अध्यापक पात्रता परीक्षा,आरक्षण/विशेष आरक्षण से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र सत्यापनोपरान्त गलत/फर्जी पाये जाते है तो उनके विरूद्ध प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा नियुक्ति प्रारम्भ से शून्य(void ab initio)माना जायेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह नियुक्ति 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले आदेश के अधीन होगी।

(अजय कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी।

पृ0स0–बेसिक/नियुक्ति–69000(3)/2424–2567/2021–22/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1) महानिदेशक,स्कूल शिक्षा,उ0प्र0,लखनऊ।
2) जिलाधिकारी बाराबंकी।
3) शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0 लखनऊ।
4) सचिव,उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,प्रयागराज।
5) सचिव,परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0 प्रयागराज।
6) मुख्य विकास अधिकारी,बाराबंकी।
7) मुख्य चिकित्साधिकारी बाराबंकी।
8) वित्त नियन्त्रक,बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 प्रयागराज।
9) प्राचार्य,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,गनेशपुर,बाराबंकी।
10) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) अयोध्या मण्डल,अयोध्या।
11) सम्बन्धित सदस्य जनपदीय चयन समिति,बाराबंकी।
12) वित्त एवं लेखाधिकारी,बेसिक शिक्षा,बाराबंकी।
13) सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी,जनपद बाराबंकी।
14) यूनिट इंचार्ज कन्ट्रोल रूम समग्र शिक्षा।
15) यूनिट इंचार्ज,एम0आई0एस0,समग्र शिक्षा।
16) सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 07 दिवस के अन्दर सम्बन्धित जनपद जिसमें योगदान किया जा रहा है के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव,जनपदीय चयन समिति को प्राप्त करायेगें।

(अजय कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी।

गोपालभिया
पृ०स०

(11)

अनुसूची–3
दरभंगा

प्रखण्ड नियोजन इकाई, हनुमाननगर

–: कार्यालय आदेश :–

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध मध्य विद्यालय के **उर्दू** के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर में सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01	फरहत फातमा	अब्दुल वाजिद कादरी	ग्राम–किलाघाट लालबाग जिला–दरभंगा	311	URF	10.08.1981	स्नातक	उ0म0वि0 बसुआरा
02	इम्तेयाज अहमद	मो0 गुलाम अब्बास	ग्राम–भिरगयास चक पो0– लालबाग जिला–दरभंगा	227	UR	13.05.1984	स्नातक	उ0म0वि0 सिरनियाँ
03	मो0 अहरार अली	अनजार अली	ग्राम–शाहपुर ओझौल पो0–ओझौल जिला–दरभंगा	283	EBC	03.07.1993	स्नातक	उ0म0वि0 सिरनियाँ
04	मो0 इरशाद	मो0 जाहिद	ग्राम– हत्था गंगसहा प्रखंड–बंदरा जिला– मुजफ्फरपुर पिनकोड–843115	251	EWS	04.01.1995	स्नातक	उ0म0वि0 विष्णुपुर

B.Ed-15-17
M.Ed 2017-19

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र BEET/CTET Result Card भी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण–पत्र आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र संलग्न) प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थी को अधीनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थी को संबंधित जिला से सक्षम पुलिस पदाधिकारी से निर्गत चरित्र/पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. प्रमाण–पत्र जाली/अन्तर्लेपण गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
6. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान सुनिश्चित करेंगे।
7. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर निर्गत अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा शर्तें संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होंगी।

सचिव
प्रखंड नियोजन इकाई,
–सह–
कार्यपालक पदाधिकारी
हनुमाननगर।

पत्रांक – 65 दिनांक – 25.02.2022

प्रतिलिपि – संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – संबंधित विद्यालय के प्रधान/प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक को योगदान की सूचना अपीलदस्ताबेज कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को अद्यतन रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिला के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

25.02.22

सचिव
प्रखंड नियोजन इकाई,
–सह–
कार्यपालक पदाधिकारी
हनुमाननगर।

B.Ed. 2015-17
MANUU. CTE. BPL

अनुसूची–3

कटिहार

पंचायत नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज निमौल

–: : कार्यालय आदेश : :–

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक(नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012(यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित वर्ग के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के वर्ग i-v विषय सामान्य के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	मो० नासिरुद्दीन अहमद	मो० शोयेबुर रहमान	ग्राम–वार्ड नं०–आजमनगर थाना–आजमनगर जिला–कटिहार	03/14	EWS	02.03.1988	बेसिक (I-V)	नया प्रा० वि० गच्छ

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETE/CTET Result Card की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष दिया गया शपथ–पत्र निर्धारित प्रपत्र में (निर्धारित प्रपत्र अलग संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक/सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेखन/बदला पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन करने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23.02.22
पंचायत नियोजक, इकाई
ग्राम पंचायत राज [illegible]

ज्ञापांक 01 दिनांक 23.02.2022

प्रतिलिपि– संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अनुरक्षण रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी [illegible] को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के website पर upload करना चाहेंगे।

23-02-22
पंचायत नियोजक, इकाई
पंचायत नियोजन इकाई
ग्राम पंचायत राज [illegible]

B.Ed. 2015-17 (13) MANUU. C.T.E. Bhopal.

अनुसूची–3

B.Ed. 2015-17

जहानाबाद

(पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, कचनावाँ)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त)नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्रधानिक /विद्यालय के सामान्य विषय के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थियों का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

(चयनित अभ्यर्थियों की सूची)

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	बेंड बेसिक ग्रेड/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रजनीश कुमार	विशम्भर शर्मा	सेवती	26	GEN	25.11.1989	बेसिक ग्रेड	प्रा०वि० महमदपुर
2	मो० वकार	मो० एखलाख	लक्ष्मीपुर	8	GEN	10.02.1992	बेसिक ग्रेड	प्रा०वि० महमदपुर

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअनिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक /प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रामणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दाण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई,
कचनावाँ, मखदुमपुर

ज्ञापांक...414...दिनांक...23.../02/2022

प्रतिलिपि :संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

Md. Maqsood

23.2.22
सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई,
कचनावाँ, मखदुमपुर

(14) M MANUU, CTE, BPL

कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्र0 पंचायत राज पदाधिकारी, दिनारा (रोहतास)

नियोजन इकाई का नाम :– प्रखण्ड दिनारा

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (उर्दू 1 से 5) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	शकील अहमद	अबदुल वहाब	ग्राम+पो0– रामपुर चाय, थाना–कर्पी, जिला– अरवल, पिन को0–804428	24/91	EBC	22.10.1993	बेसिक(उर्दू)	कन्या मध्य विद्यालय जमरोढ़

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण– पत्र/अंक पत्र BETET/CTET RESULT CARD की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा– शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

B.Ed – 2015-17
M.Ed. – 2017-19

B/L
26/02/22
कार्यपालक पदाधिकारी
–सह–
सचिव प्रखण्ड नियोजन ईकाई
दिनारा, रोहतास

ज्ञापांक–25/दिनांक 26/2/22

प्रतिलिपि:– संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

B/L
26/02/22
कार्यपालक पदाधिकारी
–सह–
सचिव प्रखण्ड नियोजन ईकाई
दिनारा, रोहतास

B.Ed. 2015-17

अनुसूची-3 (15)

सीतामढ़ी

MANUU, CTE, Bhopal

प्रखण्ड / ~~पंचायत~~ नियोजन इकाई- चोरौत

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध ~~प्राथमिक~~/ मध्य विद्यालय के 6-8 विषय - अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में निम्नांकित अभ्यर्थी का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पुर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते है, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
मो० इरफान	मो० शमीम कौंख	ग्रा०-निर्मलपुर मो०-मदारीपुर थाना-बाजपट्टी जिला-सीतामढ़ी	764	UR	26-03-1994	स्नातक ट्रेड	म०वि० बसेपरा

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/ प्रशेक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/ अन्तर्लेपन/ गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचना नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

नियोजन पत्र सत्यापन के बाद योगदान की अनुमति प्रदान की जाती है। 28.2.22

सचिव

प्रखण्ड / ~~पंचायत~~ नियोजन इकाई- चोरौत

ज्ञापांक-~~प्रा~~-3/ चोरौत, दिनांक- 24/02/2022

प्रतिलिपि- 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

सचिव

B.Ed. 2015-17 (16) MANUU, CTE, Bhopal

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

(Accredited "A" Grade by NAAC)

No. MANUU/ER-I(B)/F.309/2020-21/1379 8th March, 2021

ORDERS

Sub:- MANUU-ER-I Section - Mr.Ahmad Husain - Contractual Engagement as Assistant Professor - Education (Mathematics) on contract basis at CTE, Bhopal - Orders - Issued.

Ref: - Approval of the Vice-Chancellor i/c dated 08.03.2021.

* * * *

Mr.Ahmad Husain is engaged as Assistant Professor- Education (Mathematics) under Un-reserved (UR) Category on contractual basis to serve at MANUU CTE-Bhopal for a period of six months or till commencement of Summer Vacations-2021 or till further orders whichever is earlier w.e.f. date of joining duty on a consolidated remuneration of ₹50,000/- per month on the following terms and conditions:

1. That the above engagement is on full time basis and he shall attend to his duties following the regular office timings and required to mark bio-metric and physical attendance as per NCTE guidelines;
2. That he is required to maintain good conduct and is required to adhere to rules/regulations laid down by the University in this regard.
3. That during the term of the contractual engagement he shall not be entitled for availing any vacation or leave other than one day leave in a month;
4. That the monthly remuneration will be paid as per the attendance certified by the Incharge / Head concerned;
5. That the contractual engagement is liable for termination at any time if the performance is not satisfactory;
6. That the contractual engagement shall not entitle him for any claim whatsoever for a regular appointment in the University;
7. That he shall work under the direct control of the Principal, CTE, Bhopal and required to perform such other academic/ administrative duties required for the position in the CTE;
8. That he shall take classes at CTE, Bhopal and complete the assigned syllabus as per the prescribed schedule;
9. That he will not be permitted to pursue Ph.D. programme either part-time or full time.
10. That on termination of the contractual engagement he shall not be entitled to any terminable benefits;
11. That this order shall not form a basis for claiming regular employment in the University. He shall have no claim whatsoever for further continuation on the expiry of the term of this contractual engagement.

//BY ORDER//

Deputy Registrar
(ER-I Section)

To
Mr.Ahmad Husain
Fakhruddin Ali Ahmad Teacher's Training College
Noor Nagar, Jiwatch Bhatt, Darbhanga-847115.
Mob:**9630569810** Email:**ahmadhusainamu@gmail.com**

Copy to:
- Dean, School of E&T, Principal, CTE - Bhopal, Office of the Finance Officer, Concerned file

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

(Accredited "A" Grade by NAAC)

No. MANUU/ER-I(B)/F.270/2021-22/1171 21st June, 2021

ORDERS

Sub: MANUU - Establishment and Recruitment - I Section - Engagement of Assistant Professors/Part-time Guest Faculty on contract basis at MANUU CTE, Bhopal - Orders - Issued.

Ref: Approval of the Vice-Chancellor i/c dated: 04.06.2021.

* * * *

The term of engagement of following Assistant Professors/Part-time Guest Faculty working on contract basis at MANUU CTE, Bhopal are extended for a period of six months or further orders or till the need ceases whichever is earlier with effect from 11.05.2021:

Sl. No.	Name & Designation	Category	Monthly Remuneration
01	Mr.Ahmad Husain Asst. Professor - Education (Maths)	GENERAL	₹50,000/-
02	Mr.Safiuddin Ansari Asst. Professor - Fine Arts	OBC-23	₹35,000/-
03	Dr.Naheed Jahan Siddiqui Assistant Professor - Performing Arts	GENERAL	₹35,000/-

Part-time Faculty

Sl. No.	Name & Designation	Remuneration
01	Mr. Faheem Mohd. Khan Part-time Visiting Faculty - Health & Physical Education	₹500/- per session of 90 minutes (maximum two sessions a day)

The other terms and conditions stipulated in earlier orders shall remain same.

//By Order//

Deputy Registrar
(ER-I Section)

To

Individuals concerned
(through Principal, CTE, Bhopal)

Copy to.

1. Dean, School of Education & Training
2. Principal, CTE, Bhopal
3. Office of the Finance Officer
4. Concerned file

B.Ed. 2015-17 (17) MANUU, CTE, Bhopal

अनुसूची–3

जहानाबाद

(पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, कचनावाँ)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त)नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्रथमिक /विद्यालय के **सामान्य विषय** के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थियों का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

(चयनित अभ्यर्थियों की सूची)

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक ग्रेड/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रजनीश कुमार	विशम्भर शर्मा	सेवती	26	GEN	25.11.1989	बेसिक ग्रेड	प्रा०वि० महमदपुर
2	मो० दकार	मो० एखलाख	लक्ष्मीपुर	8	GEN	10.02.1992	बेसिक ग्रेड	प्रा०वि० महमदपुर

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक /प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रामणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दाण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही यागदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23-2-2022
सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई,
कचनावाँ, मखदुमपुर

सचिव
ग्राम पंचायत कचनावाँ
मखदुमपुर (जहानाबाद)

ज्ञापांक 03 714 दिनांक 23 /02/2022

प्रतिलिपि संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

23-2-2022
सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई,
कचनावाँ, मखदुमपुर

ग्राम पंचायत कचनावाँ
मखदुमपुर (जहानाबाद)

B.Ed. 2015-17 (18) MANUU, CTE, Bhopal

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 6 /12/2019

क्रमांक एफ 1-73/2019/38/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को **उर्दू विषय** के लिए सहायक प्राध्यापक के पद पर प्रारम्भिक वेतन रू. 57,700/- के साथ अकादमिक स्तर 10 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में आगामी आदेश तक पदस्थापना देते हुए अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है -

क्रं.	लो.से.आ. की चयन सूची का क्रमांक/ चयन सूची का वर्ष	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय, जहां आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।
1	1/2019	मोहम्मद अब्बास, ग्राम व पोस्ट मितूपुर तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश 276143	शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, Dist.- रीवा
2	2/2019	अब्दुल वाहिद, ग्राम - चमरौआ , पोस्ट - अक्का डिलारी , थाना - मुंडा पांडेय , जिला - मोरादाबाद , राज्य - उत्तर प्रदेश पिन २४४००१	शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किलाभवन, इंदौर, Dist.- इंदौर
3	3/2019	इमामुद्दीन खान, गांव व पोस्ट - शिवतारा , थाना - आलापुर , जिला -अम्बेडकर नगर , राज्य -उत्तर प्रदेश , पिन कोड - २२४१२९	शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय, दमोह, Dist.- दमोह
4	4/2019	कमरुज्जमा सिद्दीकी, ग्राम व पोस्ट मंगलसी तहसील सोहावल थाना रौनाही जिला फैजाबाद पिन कोड 224188	शासकीय कमला राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर, Dist.- ग्वालियर
5	5/2019	नुसरत सुल्ताना , एच 8 सेंट्रल जेल कैम्पस जेल रोड बहोड़ापुर ग्वालियर 474012	शासकीय कृष्णाजीराव पवार स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवास, Dist.- देवास
6	6/2019	मो. मुस्तकीम रज़ा, वार्ड नंबर ४३ ग्राम -हिरवाह ,पोस्ट-पचौर ,जिला -सिंगरौली , मध्य प्रदेश पिनकोड ४८६८८६	शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर, Dist.- जबलपुर

6/12/19

7	8/2019	गुले नगमा, हाउस नंबर १६८ साउथ सिविल लाइन नियर हेड पोस्ट ऑफिस जबलपुर ४८२००१	शासकीय माता जीजा बाई कन्या स्नातकोतर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर, Dist.- इंदौर
8	9/2019	शबाना निकहत अन्सारी, हाउस नं 103, C/O डी एस पी ए. के . खान , ईदगाह, कम्पू, ग्वालियर 474001	शासकीय भगतसिंह स्नातकोतर महाविद्यालय, जावरा, Dist.- रतलाम
9	10/2019	नारायण पाटीदार, ग्राम पोस्ट अनंतखेड़ी तहसील पेटलावद जिला झाबुआ मध्य प्रदेश 457773	शासकीय भगतसिंह स्नातकोतर महाविद्यालय, जावरा, Dist.- रतलाम

2. मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990 के नियम-22 के अनुसार ये नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

3. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में नियुक्त उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

4. उपर्युक्त नियुक्ति मेडीकल बोर्ड से उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। मेडीकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।

5. अस्थायी नियुक्ति के दौरान यह सेवा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।

6. नियुक्ति आदेश के अनुसार पदभार ग्रहण करने पर नियुक्त किए गए सभी उम्मीदवार राज्य शासन के सेवक होंगे तथा ये राज्य-शासन द्वारा शासकीय सेवकों के संबंध में जारी तथा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियुक्ति के उक्त पद पर एवं श्रेणी पर लागू सभी अधिनियम, नियम, आदेश एवं परिपत्र से शासित होंगे एवं इनका पालन करना इनके लिए अनिवार्य होगा। विशेषतः नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएँ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की शर्तें) नियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं इन नियमों के संशोधनों के अध्यधीन होंगी।

7. वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होगा, नियुक्त उम्मीदवारों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की पात्रता होगी। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2.4.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होगा।

8. यदि किसी उम्मीदवार ने राज्य सरकार के किसी अन्य शासकीय विभाग में वर्ष 2005 के पूर्व से सेवारत रहते हुए इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त की है तथा उच्च शिक्षा विभाग की सेवा में वह कार्यभार ग्रहण करता है तो पूर्व विभाग की सेवा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976 के तहत मान्य करने हेतु उसके द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर शासन स्तर से उक्त नियम के तहत कार्यवाही की जावेगी

9. नियुक्त उम्मीदवार के द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त(5) के अंतर्गत देय रकम उससे भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल होगी।

10. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियमानुसार आरक्षित संवर्ग के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि प्रदायकर्ता से कराने पर त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त मान्य होंगी।

11. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-3/2013/आ.प्र./एक,भोपाल,दिनांक 17.07.2014 के अनुसार नियुक्त नि:शक्तजनों के नि:शक्तता प्रमाण - पत्र का परीक्षण कार्यभार ग्रहण कराये जाने के पूर्व संबंधित जिला मेडीकल बोर्ड से कराया जाये। जांच में 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता पाई जाती है तभी उनको प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जाये, अन्यथा नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2015/आ.प्र./एक,भोपाल,दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक-बधिर श्रेणी के नि:शक्तजनों के लिए बैरा-टेस्ट कराना अनिवार्य है।

12. नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन विभाग द्वारा किया गया है, तथा शासकीय सेवा हेतु आवश्यक शपथ-पत्र लिए गए है। अभ्यर्थियों से वांछित अभिलेखों तथा शपथ-पत्रों की सूची विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध है। पदभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित प्राचार्य उन सभी अभिलेखों की एक सत्यापित प्रति नियुक्त अभ्यर्थी से प्राप्त करेंगे जो उन पर लागू होते है तथा मूल अभिलेखों से मिलान करेंगे सही पाये जाने पर उक्त अभिलेख सेवा - पुस्तिका में संधारित किये जाएँगे । यदि अभिलेखों के आधार पर कोई गंभीर त्रुटि पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य विशेष वाहक के द्वारा वस्तुस्थिति के उल्लेख के साथ पत्र भेजकर शासन से तत्काल समाधान प्राप्त करेंगे तथा समाधान प्राप्त होने पर निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।

13. शासकीय नियमानुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

14. शासकीय या अर्धशासकीय विभाग/निकाय में कार्यरत उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण के समय पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र या धारणाधिकार स्वीकृति का पत्र या त्यागपत्र स्वीकृति का पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार द्वारा इस चयन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने नियोक्ता से ली गई अनुमति का पत्र प्रस्तुत करने पर प्राचार्य द्वारा सशर्त कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा, परन्तु वेतन का आहरण अनिवार्य अभिलेख को प्रस्तुत करने तक लंबित रखा जाएगा।

15. यदि इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में चयनित पद एवं स्थान पर नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तथा नियुक्तिकर्ता से कार्यभार ग्रहण करने की अवधि यथोचित कारणों से बढ़ाने की अनुमति भी नहीं प्राप्त की गई तो नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा ।

16. इस आदेश द्वारा नियुक्त सभी उम्मीदवारों की ये नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में प्रचलित या इस विषयवस्तु से जुड़ी अन्य याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये या दिये जाने वाले अंतरिम आदेशों/अंतिम आदेशों के अध्यधीन हैं। माननीय न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यह नियुक्ति आदेश कभी भी संशोधित किया जा सकता है एवं किसी नियुक्त उम्मीदवार की सेवा उपरोक्त कंडिका (5) से मुक्त होकर तत्काल प्रभाव से शासन द्वारा समाप्त भी की जा सकती है।

17. इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1)

के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है, तथा उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजीव कुमार जैन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 6/12/2019

पृ. क्रमांक एफ 1-73/2019/38/1
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यपदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
6. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.,
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल,
8. संबंधित संभागीय चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.,
9. संबंधित जिला कोषालय, अधिकारी, म.प्र.,
10. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर लेख है कि संबंधित सहायक प्राध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विभागीय बेवसाईट पर जानकारी अपलोड कराना सुनिश्चित करें,
11. संबंधित.....
12. गार्ड फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

SL. NO- 2, 5, 11 (19) MANUU, CTE, Bhopal

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

MAULANAAZADNATIONALURDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)
(Accredited "A" Grade by NAAC)

COLLEGE OF TEACHER EDUCATION – DARBHANGA

UNFPA PROJECT

Adolescence Education Programme in Madarsas of Bihar

Prof.Md.Faiz Ahmad
Project Coordinator (Training)

Ref.No.MANUU/CTE-DBG/UNFPA/Project/2022/ 54 **Date.** 24.06.2022

OFFER LETTER

Sub: **MANUU- UNFPA-MANUU AEP Project – Appointment of Facilitators for Kishanganj & Araria District for the Project – Order issued - Reg.**

****

Consequent to the recommendation of the duly constituted interview panel, followings are appointed to the post of ***Facilitator*** **for Kishanganj & Araria District** for the United Nations Population Fund (UNFPA) supported project, "*Adolescence Education Program in Madarsas of Bihar*" for the period of 25th June 2022 to December 2022 and the extension thereof from funding agency. The engagement shall be subject to the following terms and conditions of the project

1. The term of engagement as **Facilitator** in the project shall be for the project period 25th June 2022 to December 2022 and extension thereof from the funding agency subject to satisfactory performance review.
2. Facilitator shall be paid an honorarium of INR 15000/- per month which is inclusive of the travelling/phone cost for field visits.
3. Facilitator shall be primarily based at Resource Centers (RC), as it will come up during the course of the project and shall provide leadership to RC team and oversee the activities of Trainers.
4. Facilitator shall be responsible for providing quality training and supportive supervision during AEP transactions by Nodal Teachers (identified Madarsa Teachers) in the assigned Madarsas for AEP transactions and shall undertake extensive travel for the same.
5. Facilitators shall undertake all tasks as due for Trainers and in addition Facilitator shall provide leadership to RCs.
6. Facilitator shall work hard to contribute in developing and nurturing Resource Centre as a technical hub and shall oversee and undertake other responsibilities of the project as per the directions and in consultation with APCs/Project Manager and support of Regional Resource Coordinator from AEP Cell.
7. Facilitator shall be responsible for the entire operations and tasks at RC viz. planning and organizing NT trainings, principal orientation, supervisory visit and RC management.
8. Facilitator shall develop good coordination with team members, Madarsa staff, head master, members of management committee, students-teachers parent association and civil society organizations.
9. Timely submission of report in prescribed format.
10. Accountability and transparency in utilization of resources available at RC.
11. Responsible for all financial advances and expenditures undertaken for NT trainings and other activities with the support of APC and Project Manager
12. Submission of tentative weekly/bi-weekly work plan of the activities

Project Coordinator
MANUU-UNFPA-AEP
CTE-Darbhanga, Bihar

Ilyas Ashraf Nagar, Chandanpatti, Laheriasarai, Darbhanga, PIN-846002 Phon & Fax- 06272-277616, 277248, Mob-9934820647 Email ID-manuuetedarbhanga@gmail.com website-www.manuu.ac.in

(19)

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

MAULANAAZADNATIONALURDUUNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

(Accredited "A" Grade by NAAC)

COLLEGE OF TEACHER EDUCATION – DARBHANGA

UNFPA PROJECT

Adolescence Education Programme in Madarsas of Bihar

Prof.Md.Faiz Ahmad
Project Coordinator (Training)

Ref.No.MANUU/CTE-DBG/UNFPA/Project/2022/ 54 **Date.** 24.06.2022

13. Ensuring work plan of Trainers, NTs and AEP Transactions at the assigned Madarsas (Allotted to the RC Trainers)
14. Attending meetings called by Madarsa Head, APC and PC.

Name of the appointed Facilitators-:

S.No.	Name and Project Designation	Present Designation	Honorarium per month	
1	KHADIMUL ISLAM	FACILITATOR	Rs. 15000.00	M.Ed. 2017-19 B.Ed 2015-17
2	MD SHAGAL AHMAD	FACILITATOR	Rs. 15000.00	
3	MD ALI REZA	FACILITATOR	Rs. 15000.00	
4	MD ABRAR HUSSAIN	FACILITATOR	Rs. 15000.00	M.Ed. 2017-19 B.Ed. 2015-17
5	MD SHAMSHEER ALAM	FACILITATOR	Rs. 15000.00	
6	MD ISHTIYAQUE ALAM	FACILITATOR	Rs. 15000.00	
7	SABIH ANWAR	FACILITATOR	Rs. 15000.00	
8	KHUSNUMA HISN	FACILITATOR	Rs. 15000.00	
9	RESHAM BEGUM	FACILITATOR	Rs. 15000.00	
10	MD GHALIB KHAN	FACILITATOR	Rs. 15000.00	B.Ed. 2016-18
11	NAYYARUL ISLAM	FACILITATOR	Rs. 15000.00	
12	MD ANWAR RAHI	FACILITATOR	Rs. 15000.00	

 # By Order#

Faiz.

Project Coordinator
MANUU UNFPA AEP Project
Darbhanga

Project Coordinator
MANUU-UNFPA-AEP
CTE-Darbhanga, Bihar

To
All the members concerned.

Copy to:-

1. Office of the Vice-Chancellor/Registrar/Finance Officer/ Project Director.
2. Deputy Registrar ER-I/Assistant Registrar ER-I.
3. Concerned File.

Ilyas Ashraf Nagar, Chandanpatti, Laheriasarai, Darbhanga, PIN-846002 Phon & Fax: 06272-277616, 277248, Mob-9934820647 Email ID-manuucteddarbhanga@gmail.comwebsite-www.manuu.ac.in

19.1

अनुसूची–3 B. Ed. 2015–17

(सुपौल)

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, त्रिवेणीगंज

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (गणित एवं विज्ञान) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूचीः–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक
1	2	3	4	5
01	मो० रैयान हाजिक	मो० कासिम	ग्राम–बरहट, पो०–पलासी, थाना–पलासी, जिला–अररिया	356

आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
6	7	8	9
EBC	10.04.1991	स्नातक	उर्दू उ०म०वि० मोगलाघाट, नन्दना

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

Rupee Kr. Roj 23-02-22

सदस्य सचिव

(प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, त्रिवेणीगंज)

ज्ञापांकः 30, त्रिवेणीगंज, दिनांकः 23/02/2022

प्रतिलिपिः– संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

Rupee Kr. Roj 23-02-22

सदस्य सचिव

(प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, त्रिवेणीगंज)

(19.2)

B.Ed. 2015-17

जिला का नामः–नालन्दा

नियोजन इकाई का नामः–बिहारशरीफ नगर निगम

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय–उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूचीः–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रूमान	अब्दुल हन्नान	ग्रा0–मसुरिया टोला बगडहरा पो0–बगडहरा थाना–जोकीहाट जिला–अररिया	188	EBC	31.03.1994	बेसिक	प्रा0 वि0 आलमगंज

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र BETET / CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23/2/22

नगर आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
बिहारशरीफ नगर निगम नियोजन,
समिति।

ज्ञापांक.....52...../ दिनांक–23-02-2022

प्रतिलिपि –1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

23/2/22

नगर आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
बिहारशरीफ नगर निगम नियोजन,
समिति।

19.3

B.Ed. 2015-17

अनुसूची – 3

जिला – गोपालगंज

प्रखंड नियोजन समिति उचकागाँव, प्रखण्ड उचकागाँव

कार्यालय आदेश

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	जाति	अभ्यर्थना संख्या	जन्म तिथि	लिंग (पु/म/ट्रा)	परामर्शित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	[illegible]	[illegible]	ग्राम- [illegible] पो- [illegible] थाना- उचकागाँव जि- गोपालगंज	GA	E BC [illegible]	[illegible]	म	उ० म०वि० सिंघहीं

Md. Majid Ali

1. अंकित अभ्यर्थी नियोजन में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित / प्रमाणित प्रमाण-पत्र / मार्क-पत्र / INTERMEDIATE Result Card की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों संबंधी सभी मूल दस्तावेज भी परामर्श के दौरान संबंधित पदाधिकारी के समक्ष निर्धारित समय-पत्र निर्देश प्राप्त से प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्यतः प्राप्त से उपलब्ध कराएंगे।
2. परामर्श के समय अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप निर्धारित-समय-सूचना निर्धारित पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. परामर्श के समय अभ्यर्थियों को दोनों ओर एक एक हरे स्याही पोस्टल-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. प्रमाण-पत्र जाने अभ्यर्थियों/पक्षों पर कोई भी विवाद के निर्धारित पदाधिकारी के द्वारा निर्णायक एवं मान्य होंगे और अभ्यर्थियों द्वारा इसे स्वीकार करना होगा।
5. अंकित निर्धारण के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से सम्बंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन करने के उपरान्त ही योगदान सौंपेंगे होगा।
6. उक्त नियुक्तियों एवं समय-समय पर विभिन्न प्रोन्नुक्ति नियमावली से [illegible] अंकित नियोजित नियमों पर प्रभावी होगा।

23.05.2022

हस्ताक्षर

नाम नियोजन पदाधिकारी

दिनांक – 23.05.2022

ज्ञापांक 01 /

प्रतिलिपि :- 1. संबंधित नियोजित शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यकार्थ प्रेषित।
2. नियोजन प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि नियोजित शिक्षक के योगदान की सूचना अविलम्बतारी आवेदन एवं प्रमाण पत्रों पदाधिकारी को अवगत करा दें ताकि सुनिश्चित हो।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिला के NIC के WEBSITE पर UPLOAD करना करेंगे।

23.05.2022

हस्ताक्षर

नाम नियोजन पदाधिकारी

(19·4) B.Ed. 2015-17

जिला :– रोहतास प्रखण्ड :– चेनारी

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई का नाम प्रखण्ड चेनारी

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली– 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में प्राथमिक / मध्य विद्यालय उर्दू ग. वि. ... विषय उर्दू ..... के शिक्षक के रूप में चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा आपका दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	मो. जावेद आलम	प्रो. मुमताज आलम	ग्राम. पोस्ट – सासनौल थाना– अकोढ़ी जिला– मुंगेर बिहार	25.	सामान्य (अपि व)	11.11.96	स्नातक उर्दू	उर्दू मध्य विद्यालय चेनारी

01. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशिक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र मूल में नियुक्ति पत्र प्राप्ति के समय उपलब्ध करने के पश्चात् ही नियुक्ति मान्य होगा।

02. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

03. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

04. प्रमाणपत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजना पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

05. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

06. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव / [illegible]
(नियोजन इकाई का नाम)

ज्ञापांक 19 / दिनांक 25-02-2022

प्रतिलिपि :– 01. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

02 संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

03 जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

सचिव / [illegible]
(नियोजन इकाई का नाम)

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

(Accredited "A" Grade by NAAC)

19-5

MANUU/CTE-DBG/UNFPA/Project/2022/06

31st January 2022

ORDERS

Sub: **MANUU- UNFPA-MANUU AEP Project – Appointment of Facilitators for the Project – Order issued - Reg.**

Ref: **1. Approval of the Honorable Vice Chancellor, dated. 31.01.2022**

2. MANUU/UNFPA/CTE-Project/DBG/2021/01, Dated. 29.01.2021

3. MANUU/UNFPA/CTE-Project/DBG/2021/11, Dated. 28.02.2021

***

The term of the following Facilitators has been extended with effect from 01.01.2022 to 31.12.2022 and extension thereof subject to satisfactory work performance and the extension of the project.

S.No.	Name and Project Designation	Present Designation	Honorarium per month
1	MOHAMMAD ARSHAD ALAM	FACILITATOR	Rs. 15000.00
2	ANWAR HUSSAIN	FACILITATOR	Rs. 15000.00
3	MD ARIF	FACILITATOR	Rs. 15000.00
4	MD MERAJUL HAQUE	FACILITATOR	Rs. 15000.00
5	JAWED AKHTAR	FACILITATOR	Rs. 15000.00
6	NASREEN FATMA	FACILITATOR	Rs. 15000.00
7	MOHAMMAD IMTEYAZ	FACILITATOR	Rs. 15000.00
8	MD GHOLAM MUJTABA	FACILITATOR	Rs. 15000.00
9	MD TAUQUIR ALAM	FACILITATOR	Rs. 15000.00
10	ABDUL JALIL	FACILITATOR	Rs. 15000.00
11	MD SHARIQUE	FACILITATOR	Rs. 15000.00
12	RIZWAN AHMAD	FACILITATOR	Rs. 15000.00
13	MD AMANATULLAH	FACILITATOR	Rs. 15000.00
14	MD IMRAN	FACILITATOR	Rs. 15000.00
15	MD SHAMSUZZAMAN	FACILITATOR	Rs. 15000.00
16	MD SAJID HUSSAIN ANSARI	FACILITATOR	Rs. 15000.00
17	AAMIR USMANI	FACILITATOR	Rs. 15000.00
18	MD EHSAN	FACILITATOR	Rs. 15000.00
19	SYEEDUR RAHMAN	FACILITATOR	Rs. 15000.00
20	KASHAN FATMA	FACILITATOR	Rs. 15000.00

B-15-17

M-18-20

M-18-20

M-17-19

B-16-18

31.01.2022

19.5

मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)
(Accredited "A" Grade by NAAC)

S.No.	Name and Project Designation	Present Designation	Honorarium per month
21	MD ZEESHAN	FACILITATOR	Rs. 15000.00
22	AFZAL ALAM	FACILITATOR	Rs. 15000.00
23	RIZWAN AHMAD	FACILITATOR	Rs. 15000.00
24	MOHAMMAD ALI	FACILITATOR	Rs. 15000.00
25	ZERAR ALAM	FACILITATOR	Rs.15000.00
26	MD SOHRAB	FACILITATOR	Rs.15000.00

B. 12-12

The terms of the appointment shall be remain same as per the order cited under reference 1 & 2.

By Order#

31.01.2022

Project Coordinator
MANUU UNFPA AEP Project,
Darbhanga

To
All the members concerned.

Copy to:-

1. Office of the Vice-Chancellor/Registrar/Project Director/Finance Officer.
2. Deputy Registrar ER-I/Assistant Registrar ER-I.
3. Concerned File.

19.5

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

(Accredited "A" Grade by NAAC)

MANUU/CTE-DBG/UNFPA/Project/2022/07

31st January 2022

ORDERS

Sub: **MANUU- UNFPA-MANUU AEP Project – Appointment of Trainers for the Project – Order issued - Reg.**

Ref:
1. **Approval of the Honorable Vice Chancellor, dated. 31.01.2022**
2. **MANUU/UNFPA/CTE-Project/DBG/2021/02, Dated. 29.01.2021**
3. **MANUU/UNFPA/CTE-Project/DBG/2021/12, Dated. 28.02.2021**

***

The term of the following Facilitators has been extended with effect from 01.01.2022 to 31.12.2022 and extension thereof subject to satisfactory work performance and the extension of the project.

S.No.	Name and Project Designation	Present Designation	Honorarium per month
1	Ishtiyaque Anjum	TRAINER	Rs. 12000.00
2	Sanjida Khatoon	TRAINER	Rs. 12000.00
3	Asgar Hasan	TRAINER	Rs. 12000.00
4	Md Shaukat Ali	TRAINER	Rs. 12000.00
5	Abu Hozaifah	TRAINER	Rs. 12000.00
6	Md Azam Husain	TRAINER	Rs. 12000.00
7	Sadrul Hoda	TRAINER	Rs. 12000.00
8	Shagufta Yashmeen	TRAINER	Rs. 12000.00
9	Md Muzaffar Anjum	TRAINER	Rs. 12000.00
10	Shabnam Parween	TRAINER	Rs. 12000.00
11	Md Reza	TRAINER	Rs. 12000.00
12	Sajid Ghafoor	TRAINER	Rs. 12000.00
13	Md.Sayidudzzafar Ansari	TRAINER	Rs. 12000.00
14	Irfan Ahmed	TRAINER	Rs. 12000.00
15	Ruqaiya Badr	TRAINER	Rs. 12000.00
16	Ghajala Yasmeen	TRAINER	Rs. 12000.00
17	Yahya Rahmani	TRAINER	Rs. 12000.00

M-17-19

31.01.2022

19.5

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

(Accredited "A" Grade by NAAC)

S.No.	Name and Project Designation	Present Designation	Honorarium per month
18	Abu Ayub	TRAINER	Rs. 12000.00
19	Shaheen Parween	TRAINER	Rs. 12000.00
20	Saiqua Jabeen	TRAINER	Rs. 12000.00
21	Md Shafique Alam	TRAINER	Rs. 12000.00
22	Md Waqar	TRAINER	Rs. 12000.00
23	Amir Ziya	TRAINER	Rs. 12000.00
24	Farhan Fatma	TRAINER	Rs. 12000.00
25	Md Rahmatullah Faizy	TRAINER	Rs. 12000.00
26	Raquib Alam	TRAINER	Rs. 12000.00
27	Sahebdil Husain	TRAINER	Rs. 12000.00
28	Nishat Zohra	TRAINER	Rs. 12000.00
29	Ahsan Ziya	TRAINER	Rs. 12000.00
30	Md Mustafa	TRAINER	Rs. 12000.00
31	Md Afroz Alam	TRAINER	Rs. 12000.00
32	Md Altaf Husain	TRAINER	Rs. 12000.00
33	Nazir Anwar	TRAINER	Rs. 12000.00
34	Md Waseem Equibal	TRAINER	Rs. 12000.00
35	Md Osama	TRAINER	Rs. 12000.00
36	Md Hanzala	TRAINER	Rs. 12000.00
37	Obaidullah Ataullah	TRAINER	Rs. 12000.00
38	Shakeb Ayaz	TRAINER	Rs. 12000.00
39	Zeeshan Ilahi	TRAINER	Rs. 12000.00
40	Md Akhtar Hussain	TRAINER	Rs. 12000.00
41	Md Alauddin	TRAINER	Rs. 12000.00

M. 17–19

B. 14–15

B. 16–18

31-01-2022

19.5

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

(Accredited "A" Grade by NAAC)

S.No.	Name and Project Designation	Present Designation	Honorarium per month
42	Abid Husain	TRAINER	Rs. 12000.00
43	Md Zahir	TRAINER	Rs. 12000.00
44	Farha Diba Talib	TRAINER	Rs. 12000.00
45	Ghousia Khatoon	TRAINER	Rs. 12000.00
46	Md Muzaffar Imam	TRAINER	Rs. 12000.00
47	Md Mukhtar	TRAINER	Rs. 12000.00
48	Md FaiyaZ Ahmad	TRAINER	Rs. 12000.00
49	Saddam Husain	TRAINER	Rs. 12000.00
50	Zafirul Haque	TRAINER	Rs. 12000.00
51	Md Jahangir	TRAINER	Rs. 12000.00
52	Niyaz Alam	TRAINER	Rs. 12000.00
53	Abdus Samad	TRAINER	Rs. 12000.00
54	Md Asif Owais	TRAINER	Rs. 12000.00 M.18-20
55	Md Tanzeem Alam	TRAINER	Rs. 12000.00
56	Md Tanweer Alam	TRAINER	Rs. 12000.00
57	Imran Shabbir	TRAINER	Rs. 12000.00
58	Ishrat Fatma	TRAINER	Rs. 12000.00
59	Abul Kalam	TRAINER	Rs. 12000.00
60	Md Shahnawaz	TRAINER	Rs. 12000.00 B-15-17
61	Noorul Ain	TRAINER	Rs. 12000.00
62	Syed Md Zaid	TRAINER	Rs. 12000.00
63	Md Izrail Ansari	TRAINER	Rs. 12000.00
64	Jawed Raza	TRAINER	Rs. 12000.00

31.01.2022

19.5

मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

(Accredited "A" Grade by NAAC)

S.No.	Name and Project Designation	Present Designation	Honorarium per month
65	Md Shamsher Alam	TRAINER	Rs. 12000.00
66	Rashid Sohail Khan	TRAINER	Rs. 12000.00
67	Md Saifullah Tamanna	TRAINER	Rs. 12000.00
68	Md Amanullah	TRAINER	Rs. 12000.00
69	Md Jamaluddin	TRAINER	Rs. 12000.00
70	Sayyad Ali	TRAINER	Rs. 12000.00
71	Sheeza Tabassum	TRAINER	Rs. 12000.00
72	Md Ahmad	TRAINER	Rs. 12000.00
73	Md Shahid	TRAINER	Rs. 12000.00
74	Wahid Alam	TRAINER	Rs. 12000.00
75	Md Ehtesham Zafar	TRAINER	Rs. 12000.00

M.18-20

The terms of the appointment shall be remain same as per the order cited under reference 1 & 2.

By Order#

31.01.2022

Project Coordinator
MANUU UNFPA AEP Project,
Darbhanga

To
All the members concerned.

Copy to:-

1. Office of the Vice-Chancellor/Registrar/Project Director/Finance Officer.
2. Deputy Registrar ER-I/Assistant Registrar ER-I.
3. Concerned File.

(20)

B.Ed. 2016-18

पालगंज

— काशीरहाली(तेला) उ.प्रा.

		पत्र संख्या				
01.	अमदुल्लाह अब्दुल रशीद	ग्राम-चुरीचा पोस्ट-रसूदना रूपसपुर थाना-रौनाहा जिला-अररिया	09	सामान्य	02-02-1994	वैदिक ग्रेड	प्राथमिक वि॰ काशीरहाली तेला पालगंज

Rhm 23/02/2022

पंचायत समिति

प्रखण्ड-चुरीचा पूर्व, पूर्णिया

पालगंज

02 23/02/22

पूर्णिया

पूर्णिया पूर्वी

Rhm 23/02/2022

प्रखण्ड शिक्षा

(1704) (21) B.Ed 2016-18

genpact
Transformation Happens Here

HIG003413-1989648

Date: September 14, 2018
Dear: Md Khursheed Alam
Hyderabad

Sub: Letter Of Intent

We are pleased to offer you an appointment with Genpact ("Company") as Process Associate under the following terms and conditions:

TERMS AND CONDITIONS

1. Your Cost to the Company (CTC) will be as indicated in Annexure II attached herewith.

2. Your initial place of work will be **India>Hyderabad>Hyderabad Uppal IN - Office**.However, your services are transferable, and you may be assigned after reasonable notice, to any location in India or abroad where the Company or any one of its associates or customers conducts business. While on transfer you will be governed by the rules, regulations and conditions of service of that location.

3. If at the time of joining, your assigned place of work is different from your current location ("Relocation"), the Company Guest House can be availed by you. The Guest house can be availed for a period of 15 days. The Company shall, in lieu of the accommodation provided, make a monthly deduction of Rs. 250 for a period of 24 months. Further, in case of termination of employment by either party, before such amount has been fully recovered by the Company, the Company shall deduct the balance amount from your full and final settlement.

4. The Company will be working 7 days a week, twenty-four hours a day. You will be expected to attend office - except while traveling on business as assigned to you by your supervisors and as per applicable laws in force. Weekly off will be governed as per applicable regulations & Company policies.

5. You shall be required to provide the Company all documents and information as set forth in Annexure I of this appointment letter

6. You will be entitled to twenty-five working days leave per annum subject to prior approval by the Company. Accumulation / carry-forward of leave will be governed as per the existing Company policy on the subject.

genpact
Transformation
Happens Here

Notes:

* The APB amount mentioned above reflects indicative average payouts for your band. The eligibility for APB will depend on the performance of Genpact and your performance as per the company policy and the Performance Management System (For example, employees who are rated as "Least Effective" are not eligible for APB).An eligible employee will be paid APB at fixed rates in March/ April for the preceding calendar year (January – December) and the same will be prorated based on the date of joining.

**Performance Linked Incentive mentioned above is an indicative average amount possible for the said performance level. Eligibility for such incentives, actual amount and payout timelines may vary with business/Process. For Employees who are not on Performance Linked Incentive Plan (VIC), the Company will pay a different Annual Performance Bonus (APB) In such cases; Annual Performance Bonus potential is similar to the indicative Average Performance Linked Incentives as mentioned in table above.

- The aggregate of all bonus payouts paid to you during an accounting year including APB, VIC (if any) and other bonus payouts (if any) shall be in lieu of profit based bonus (if any) payable to you for such accounting year under Section 31A of the Payment of Bonus Act, 1961 ("**PBA**") (if applicable).
- In the event that the PBA is applicable to you and the aggregate of APB, VIC (if any) and any other bonus payout made to you during the year is less than the stipulated payout mentioned in the PBA, for such accounting year, Genpact will pay you the difference at a later date. You are not entitled to any bonus payout other than those mentioned above, either under applicable laws or as per your employment terms with Genpact. All amounts payable to you will be after deduction of applicable taxes.
- Genpact reviews its compensation structure and policies from time to time. The compensation structure and benefits offered to you in this letter are subject to change and the same will be communicated to you at the joining date or at a later date when such change becomes applicable.
- Any employee deduction will be governed by applicable laws and prevalent company policy, and will be subject to change.

For Genpact India Pvt. Ltd.

Nitin Khurana
Vice President–HR

Accepted and Agreed

Md Khursheed Alam

(17) (22) B.Ed. 2016-18

कार्यालय, प्रखण्ड कार्यपालक पदाधिकारी -सह- प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, किरतपुर, दरभंगा।

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के आलोक वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय–उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पुर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्ति होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड (बेसिक/स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01	महमुद आलम	मे0 सैफुद्दीन	ग्राम + पोस्ट–अहिलगाव,, थाना–जलालगढ़, जिला–पूर्णिया, पिन कोड–854327	74	UR	01.04.1995	स्नातक	उ0 म0 वि0 रसियारी कन्या
02	वसीकुर रहमान	दाउद अली	ग्राम–हरखा पोखर, पोस्ट–कालसर, थाना–हसनगंज, जिला–कटिहार, पिन कोड–854337	129	UR	15.09.1993	स्नातक	म0 वि0 रसियारी
03	मो0 अरशद आलम	मो0 मुशताक आलम	ग्राम–डुमरी, पोस्ट–मजगामा, थाना–पसवा, जिला–पूर्णिया, पिन कोड–854330	140	EBC	03.09.1992	स्नातक	उ0 म0 वि0 पौनी

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र /अंक पत्र, BETET/CTET Result Card की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति प्रधानाध्यापक/प्रधानशिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तलेपन/गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से सम्बंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर निमित अधिसूचित नियमावली मे वर्णित सेवा शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव,
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन समिति,
किरतपुर, दरभंगा।

ज्ञापांक 18 /किरतपुर, दिनांक 25.02.2022

प्रतिलिपि : संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विद्यालय प्रधान शिक्षक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, किरतपुर कार्यालय को अचूक रूप से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ समर्पित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करने की कृपा की जाय।

25.2.

सचिव,
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन समिति,
किरतपुर, दरभंगा।

(19.8) (23) B.Ed. 2016-18

BIHAR STAFF SELECTION COMMISION, PATNA-800014

Advt. No. 01/19

Post : Sahayak Urdu Anuwadak

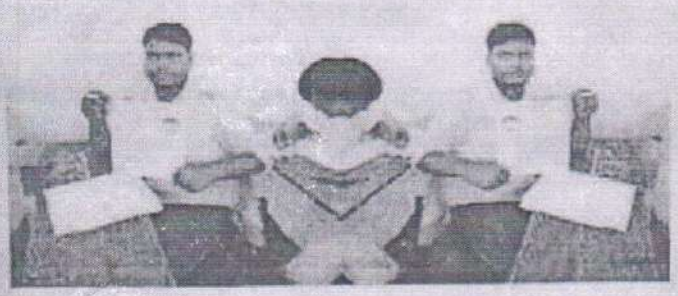
BIOMETRIC VERIFICATION REPORT

Name : MAHMOOD ALAM

Date Time : 01-Aug-2022 13:11:24

Main Roll No :- 10003227 **PT Roll No :- 60028845**

VERIFIED



MAIN 1 Photo



MAIN 2 Photo



PT Photo Counselling Photo



Main 1 Finger



Counselling Finger



Main 2 Finger



Counselling Finger



PT Finger



Counselling Finger

VERIFIED VERIFIED VERIFIED

15 (Chandan Nirala) 1/8/22

Examiner Signature

महमूद आलम

Candidate Signature (हिन्दी)

Mahmood Alam

Candidate Signature (English)

B.Ed. 2016-18
M.Ed 2018-20

(24)

जिला का नाम–पूर्वी चम्पारण

कार्यालय पंचायत शिक्षक नियोजन समिति ग्राम पंचायत राज पंडितपुर।

MANUU. CTE. Bhopal.

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 तथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (तथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्रावधिक/राज्य विद्यालय के (I – V वर्ग V तक) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायित्व होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची–

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	अफसना खातून	मो० शाकुरीन	ग्राम–अनेरवा, पो०–बंजरिया, पूर्वी–चम्पारण	02	सामान्य	01.01.1996	बेसिक	न०प्रा०वि० करियारपट्टी प्रखण्ड–पीपराकोठी

1.संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

2.योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3.योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4.प्रमाणपत्र जाली/अन्ततेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5.संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

6.उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23.02.2022

सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन समिति,
ग्राम पंचायत राज पंडितपुर।

ज्ञापांक 18 /दिनांक 23.02.2022

प्रतिलिपि–

1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अमूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upolad करना चाहेंगे।

23.02.2022

सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन समिति,
ग्राम पंचायत राज पंडितपुर।

पंचायत सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई
ग्राम पंचायत राज पंडितपुर

(25)

कार्यालय, ग्राम पंचायत राज 061461, प्रखंड– कोचाधामन
जिला–किशनगंज

B.El. 2016-18
MANUU. CTE.
Bhopal.



नियुक्ति–पत्र

उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना का ज्ञापांक–7/विविध–25/2019–864, दिनांक–05.07.2019 के आलोक में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के तहत वर्ष 2019–2020 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में अन्तिम मेधा सूची में अंकित प्रशिक्षित अभ्यर्थी का चयन निर्धारित कॉउंसिलिंग के आधार पर नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/जाति कोटि	स्थायी पता	जन्म तिथि	डोमेक्ल बेड (अन्य/ईबी)	आरक्षण कोटि	दिव्यांगता की श्रेणी	पदस्थापित विद्यालय का नाम
12	मो० निजाजुद्दीन अनवर पि० मो० मोफिजुर रहमान सामान्य	ग्राम– कुटमगाछी पो०– दाखिला प्रखंड– कोचाधामन जिला– किशनगंज	08-03-1995	अ-21	सामान्य	1	प्रा० वि० टेपाटोला 061461

शर्तें –

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र BSTET/CTET Result Card की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण–पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन करने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23/02/2022
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सचिवालय/प्रखंड सचिवालय
प्रखंड कोचाधामन/शिक्षा केन्द्र 061461

ज्ञापांक 03 ग्रा०प० 061461 दिनांक 23.02.2022

प्रतिलिपि :– संबंधित नव नियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विद्यालय प्रधान शिक्षक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अद्यतन रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिला के एन०आई०सी० के वेबसाईट पर अपलोड करना चाहेंगे।

23/02/2022
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सचिवालय/प्रखंड सचिवालय
प्रखंड कोचाधामन/शिक्षा केन्द्र 061461

सूचित की
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
कोचाधामन, किशनगंज, बिहार

(26) MANUU, CTE, Bhopal

B.Ed- 2016-18.
16BBED001B17

कार्यालय, प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, फतेहपुर (गया)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध अप्र विद्यालय के सामान्य विषय-वर्ग की शिक्षक के पद में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो, 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित प्रखण्ड के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आवेदन कोटि	जन्म तिथि	प्रेम कोटिक/स्नातक	चयनित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आमिर सादिक	रेयाज अहमद	ग्राम-पंचायत वार्ड- बोरदी खाक- सिरदला (भागलपुर)	6	अनारक्षित विषय वर्ग	25.12.1998	बैचलर डेग्री	उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोमोह

AAMIR SADIK
S/O:-
REYAZ AHMAD

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र BSTET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र निर्धारित प्रपत्र में (निर्धारित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अरैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र को सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्तें संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव
(प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई)
फतेहपुर, गया

ज्ञापांक — 90 दिनांक — 23.02.2022

प्रतिलिपि— संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अविलम्बतारी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फतेहपुर कार्यालय को अविलम्ब रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

Arif Alisked
Amir Sadik
28/02/22

23/2/2022

सचिव
कार्यपालक पदाधिकारी
—एवं—
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी
फतेहपुर, गया।

B.Ed. 2016-18 (27) MANUU, CTE, Bhopal

अनुसूची–3

जिला– पटना

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,दुल्हिन बाजार (पटना)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के उर्दू (I –V) शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची कमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड (बेसिक/स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो० सोहराब	मो० रूस्तम	बिकम दर्जी मोहल्ला, पो0+थाना– बिकम, जिला– पटना, पिन कोड– 801104	4	EBC	10-07-1995	बेसिक (I-V)	म0 वि0 काब
2	अलिया प्रवीण	नेसार अहमद	शीश महल कॉलनी, पठान टोली, आलमगंज, पटना, पिन कोड– 800007	63	UR(F)	01-03-1991	बेसिक (I-V)	उत्0 म0 वि0 हरपुरा
3	मो० इम्तेयाज आलम	मो0 अलाउद्दीन अंसारी	ग्राम+पो0+थाना– सिगोड़ी, जिला– पटना, पिन कोड–801110	13	EBC	15-05-1993	बेसिक (I-V)	उत्0 म0 वि0 डुमरी
4	सकीना दस्तगीर	मो0 इसराईल	मुरादपुर लेन, दर्जी टोला, थाना– पीरबहोर, जिला– पटना, पिन कोड– 800004	91	EBC	15-05-1990	बेसिक (I-V)	उत्0 म0 वि0 लक्ष्मीटोला

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result card की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुक्त चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नव नियुक्त शिक्षको पर प्रभावी होगा।

Sanjay Kumar 23/02/2022
सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई
दुल्हिन बाजार (पटना)

ज्ञापांक:– 02 /, दिनांक: 23/02/2022 /

प्रतिलिपि:– संबंधित नव नियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नव नियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी दुल्हिन बाजार को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:– प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दुल्हिन बाजार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के website पर upload करना चाहेंगे।

Sanjay Kumar 23/02/2022
सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई
दुल्हिन बाजार (पटना)

(28)

MANUU.

B.Ed. 2016-18 CTE Bhopal

जिला का नाम :- वैशाली

प्रखण्ड नियोजन इकाई, जन्दाहा (वैशाली)

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली - 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली - 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019 - 20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/ मध्य विद्यालय के (I - V विषय उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा सम्बंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची :-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	मो० सहादुल हक	मो० अहदुल जब्बार		97	EBC	15.01.90	बेसिक	MS भईसौर

1. सम्बंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र/ अंक - पत्र, BETET/ CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के सम्बन्ध में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ - पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने एवं देने सम्बन्धी घोषणा - पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/ अन्तर्लेपन/ गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक नियोजन इकाई से सम्बंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन करने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय - समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा - शर्त सम्बंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

हस्ताक्षर
सचिव
प्रखण्ड नियोजन इकाई
जन्दाहा (वैशाली)

ज्ञापांक ..... कैम्प-22 ..... दिनांक 23/02/22

प्रतिलिपि :- 1. सम्बंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अपूर्ण रूप से देना सुनिश्चित करें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

23/2/22

प्रखण्ड नियोजन इकाई
जन्दाहा (वैशाली)

(29)

MANUU, CTE, Bhopal

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल–462023

क्रमांक./स्था../यू.सी.आर ./2022/473 भोपाल, दिनांक 15/03/2022

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 30.12.2019 को जारी किया गया। विज्ञापित पदों के आधार पर जारी चयन सूची के कम में प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण एवं शेष प्रवर्गवार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर चयन/प्रतीक्षा सूची से मेरिट क्रम में प्रवर्ग वार पात्र पाए गए चयनित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक

2/ के पद पर **उर्दू विषय** में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

SN	NAME AND FATHER'S NAME	ADDRESS	ROLL NO	RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	MD GHUFRAN HAKIM Father's Name- MD KALIMUDDIN	808 MASTAN BAGH BARA MASTAN BAGH ZAMANIA GHAZIPUR U. P. 232325	74631878	7	UR	UR/X/OP	DISE-23340304813 GHSS GADHI	Raisen
2	IRSHAD ALI Father's Name- ISHAQ ALI	53 WARD NO04 NAYAPURA LATERI VID M. P. 464114	74613506	81	EWS	EWS/X/OP	DISE-23310418128 GOVT. HSS GIRLS LATERI	Vidisha
3	SHAHNAZ BEE Father's Name- MASHKOOR	12 WARD NO 10 DARJI MOHALLA SILWANI RSN M. P. 464886	74572146	139	EWS	GFEWS/X/OP	DISE-23340518858 GHSS PATANDEV RAISEN	Raisen
4	ASMA BAIG Father's Name- WASIM BAIG	118 GAYATRI MANDIR KE PASS GAYATRI NAGAR BHANPURA BHANPURA MND M. P. 458775	74465402	148	EWS	EWS/X/F	DISE-23180509706 GOVT HS MAJIRIYA	Neemuch

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 9300–34800 + 3600 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–9 में तत्स्थानी वेतनमान 36200–114800 के न्यूनतम वेतन रुपये 36200/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक **06.04.2022** तक पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निमनानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:–

I. नियुक्ति आदेश
II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं E.W.S.)
IV. मूल निवासी प्रमाण पत्र
V. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
VI. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
VII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग का प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
VIII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
IX. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड
X. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट–.....)

7/ संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगें। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।

विशेष टीपः– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. कमांक./स्था./यू.सी.आर./2022/474 भोपाल, दिनांक 15/03/2022

प्रतिलिपिः–

1. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता /पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
10. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र
11. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को अपनी उपस्थिति देवें।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

(30) MANUU. CTE. Bhopal.

BIHAR STATE MADRASA EDUCATION BOARD

5, Vidyapati Marg, Patna – 800001

Letter No. _____

From,

Secretary
Bihar State Madrasa Education Board, Patna

To,

The Secretary
Madrasa Islamia. Shahpur Baghauni
Via Waini, Distt. Samastipur (Mad No. 814)

Dated, Patna the _____

Sub:- Regarding approval to the appointment of your Madrasa teacher.

Sir,

With reference to your letter No. 69/01 dated 10.10.2018 on the subject noted above it is to inform you that the Chairman, Bihar State Madrasa Education Board, Patna has been pleased to accord the approval to appointment of your Madrasa teacher as resolved by the managing committee vide its resolution no. 02 dated 13.09.2018.

Details of which are as follows :-

Name/Address	Qualification	Date of Birth	Post	Fixed as per notification No 970 dated 31.08.13 Education Depart of Bihar
Md. Umar Farooque S/o Md. Shamim At. Ammamori, P.o. Dhankoul Via Patepur, Distt. Vaishali	Alim	14.03.1989	Alim	Rs. 10000/- Fixed
Md. Tausif S/o Abdus Salam At. Akbarpur, Titaunjia P.o. Sari P.s. Waris Nagar Distt. Samastipur	Moulvi	17.09.1997	Moulvi	Rs. 9000/- Fixed.
Md. Shahanwaz Alam S/o Moinuddin At/P.o. Dharampur Bandey Via Patori, Distt. Samastipur	Hafiz	11.03.1986	Hafiz	Rs. 9000/- Fixed.

B.Ed 2016-18

The date of appointment will be treated from the date of joining in the said Madrasa after issuance of this letter.

By order of the Chairman
Your's faithfully

Sd/-

(Md. Zahid Hussain)
Secretary
Bihar State Madrasa Education Board, Patna
Dated, the 05.11.18

Memo No. 7501-06

Copy forwarded to :-

1. Md. Umar Farooque S/o Md. ShamimAt. Ammamori, P.o. Dhankoul Via Patepur, Distt. Vaishali for information.
2. Md. Tausif S/o Abdus Salam At. Akbarpur, Titaunjia P.o. Sari P.s. Waris Nagar Distt. Samastipur for information.
3. Md. Shahanwaz Alam S/o Moinuddin At/P.o. Dharampur Bandey Via Patori, Distt. Samastipur for information.
4. Head Moulvi of the said Madrasa for information.
5. District Education Officer, Samastipur for information and necessary action.

05.11.18
Secretary
Bihar State Madrasa Education Board, Patna

5.11.18

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مدرسہ اسلامیہ

مقام وپوسٹ شاہ پور بگھونی، وایاوینی، ضلع سمستی پور، بہار

MADRASA ISLAMIA SHAHPUR BAGHAUNI

Via. Waini, Distt. Samastipur, Bihar Pin: 848131

Contact: 8709378604,9340858291 | misb1909nadwi@gmail.com

Ref.....12/1..... Date.....27.07.2022...

अनुभव-प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मो० उमर फारुक पिता मो० शमीम ग्राम अमामोरी पो० धनकौल थाना व अं-चल पोखर- जिला-दरभंगा, बिहार (भारत) हमा अनुदानित मदरसा इस्लामिया शाहपुर (बगौनी) मदरसा नं० 814 में पुराकुल कोड संख्या 10190406206 में दिनांक 06.11.2018 से सह शिक्षक के पद पर कार्यरत है।

इनका कार्य-व्यवहार जनक है एवं आचरण सराहनीय है एवं किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।

२०२२/८/२८

Principal
Madrasa Islamia
Shahpur Baghauni (Samastipur)

B.Ed. 2016-18 (31) MANUU, CTE, BPL.

अनुसूची-3

जिला- मधेपुरा

(प्रखंड नियोजन इकाई- कुमारखंड)

-: कार्यालय, आदेश :-

नियोजन पत्र

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष-2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्रारंभिक/ मध्य विद्यालय के (01-05 वीं) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थिनी का समय नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर यह नियुक्त होना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अंदर ये सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड वेतनमान/ स्थलांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	रमीज अहमद	रफीक अहमद	ग्राम+पोस्ट- बलहरा, थाना- जोकीहाट, जिला- अररिया	101	UR	13.09.1993	बेसिक ग्रेड	उर्दू मॉडल पुरैनी

Rameez Ahmad

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/ प्रौद्योगिक प्रमाण-पत्र/ अंक-पत्र BETET/CTET Result Card की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र निर्धारित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अनैच्छिक रक्त चिकित्सक-सह-मुख चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. प्रमाण-पत्र जाली/ अमान्यपत्र/ जाली पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी। और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/ प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस संबंध में निर्गत अधिसूचित नियमावली में वर्णित शेष-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23/2/22

प्रखंड नियोजन इकाई, कुमारखंड।

ज्ञापांक 315 कुमारखंड, दिनांक 23/02/2022।

प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनुरूप रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

23/2/22

प्रखंड नियोजन इकाई, कुमारखंड।

Md. Qausar Alam

B.Ed. 2016-18 (33)

MANUU CTE. Bhopal.

अनुसूची–3

कार्यालय, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई,ग्राम पंचायत राज–खरौनाडीह प्रखण्ड–कुढ़नी, मुजफ्फरपुर।

–:: कार्यालय आदेश ::–

नियोजन–पत्र

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक विद्यालय के (बेसिक/स्नातक ग्रेड) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यार्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णत. औपबंधिक होगी।

अत: निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यार्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यार्थी का दावा स्वत: समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यार्थियों की सूची :–

क्र० सं०	अभ्यार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पुतुल कुमारी	श्री ललन सिंह	लहलादपुर पताही, मुज0	154	UR	08/01/1996	बेसिक ग्रेड	प्राथमिक विद्यालय खरौना मुशहर
2	मो0 एजाज राजा	मो0 तैयब अली	सकरी सरैया कुढ़नी, मुज0	451	EBC	08/02/1991	बेसिक ग्रेड	प्राथमिक विद्यालय खरौना मुशहर
3	निशु कुमारी	अमर बैठा	सुमेश्वर नाथ कॉलनी, वैशाली	626	SCF	03/03/1993	बेसिक ग्रेड	प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर कोदरिया,

B.Ed. 2016-18

1. संबंधित अभ्यार्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यार्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यार्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण–पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यार्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

ह0/
सचिव,
पंचायत नियोजन इकाई
ग्राम पंचायत राज–खरौनाडीह
प्रखण्ड–कुढ़नी, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 04 / दिनांक 13 / 02 /2022

प्रतिलिपि :– संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कुढ़नी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुज०/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मुज० को सेवा सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सेवा सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिला के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

सचिव,
पंचायत नियोजन इकाई
ग्राम पंचायत राज–खरौनाडीह
प्रखण्ड–कुढ़नी, मुजफ्फरपुर।

B.Ed. 2016-18 (34) MANUU, CTE, Bhopal.

अनुसूची-3

कार्यालय नगर पंचायत मोहनियाँ,कैमूर (भभुआ)

कार्यालय आदेश

बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष-2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरुद्ध प्राथमिक / मध्य विद्यालय के **बेसिक ग्रेड विषय-उर्दू** के शिक्षक के रूप में अभ्यर्थी का चयन नियुक्ति हेतु किया जा रहा है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णत: औपबंधिक होगी।

अत: सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 (तीस) दिनों के अंदर वे अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वत: समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी का विवरण:-

क0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क0	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड / बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गुलबुदिन अंसारी	अलाउदिन अंसारी	बड़ी बाजार मोहनियाँ कैमूर	1	अनारक्षित	07.08.1994	बेसिक ग्रेड (उर्दू)	संस्कृत मध्य विद्यालय मोहनियाँ

1. संबंधित अभ्यर्थी, विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र / अंक पत्र, BETET/CTET,Result card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति,प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ- पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक /प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें।
2. योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषण- पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण-पत्र जाली / अन्तर्लेप / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक /प्रधान शिक्षक नियोजन से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेगें।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षक पर प्रभावी होगा।

LJ/DL/LL
सचिव-सह-
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर नियोजन इकाई
नगर पंचायत, मोहनियाँ।

ज्ञापांक 163 /न0पं0 दिनांक 23/02/2022

प्रतिलिपि:- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मोहनियाँ को अचुक रूप से देना सुनिश्चित करेगें।
प्रतिलिपि:- प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, मोहनियाँ कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0)कैमूर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी कैमूर को सूचना प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिला के NIC के Website पर Upload करना चाहेगें।

LJ/DL/LL
सचिव-सह-
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर नियोजन इकाई
नगर पंचायत, मोहनियाँ।

कार्यालय नगर पंचायत

B.Ed. 2016-18 MANUU, CTE Bhopal. 35

MAGNUM SUPER DISTRIBUTORS (I) PVT. LTD.

Magnum Group

Registered Office: 1, Vaishali Nagar, Kotra Sultanabad, Bhopal-462003 (M.P.)

Date:06-Oct-21

To,

Sadiya Khan
MSDSKILL0018

Appointment Letter

With reference to your application and subsequent interview with us, we are pleased to offer you a post of **"English Language Trainers - Operation"** in our organization. You shall be appointed at an Annual Gross Package of **Rs. 195192/- (Rupees One Lakh Ninety Five Thousand One Hundred Ninety Two Only)** effective from the date of joining as mutually agreed between us. The detailed breakup of the CTC is given in Annexure "A". The management reserves the right to adjust the salary at any time by merging or bifurcating with any other allowances. The terms and conditions of your service will be as follows: -

01. Your appointment will be effective from **"18-Oct-21"**

02. During your services with the company, you will be governed by the rules and regulations in respect to conduct & discipline and other matters as may be framed by the company from time to time.

03. You will be eligible for leave and other such benefits in accordance with the Company's rules and regulations. The perquisites applicable to your grade are subject to alteration and amendment, and you will be entitled to the same as per the rules of the company.

04. In the event of you not continuing your employment with the Company for the stipulated period of one year, then you shall be liable to pay Training, Hiring & Joining expenses to company.

05. Your service are liable to be transferred from one department to another or one office/branch to another office/branch existing or which are to come into existence in future. In such case, you shall follow rules and regulations of the department/office, without any compensation or extra remuneration or provision of accommodation. You, thereupon, may be governed by service conditions and other terms of the said concern as may be applicable.

06. You will be on probation for a period of six months from the date of your joining. Based upon your performance, your service will be confirmed in writing by the company after your probation period. Unless confirmed in writing, you will be deemed as probationer after the expiry of the probation period.

07. If you wish to resign from the service, you will be required to give a prior written notice of two months for the first one year from date of joined, after one year of service you will be required to give a prior written notice of one month failing which it will be presumed that you have absconded from service and in that case the management will have the right to hold-back your salary and FnF will not be processed and legal action will be taken.

08. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the company shall be entitled to forthwith terminate your service during probation or extended probation or even after confirmation, without any notice or payment of any kind whatsoever in lieu of notice or otherwise in case of any act of dishonesty, disobedience, insubordination, incivility, intemperance, irregularity in attendance or Integrity issue, ZTP, other misconduct or neglect of duty, continuous non-performance, on your part of the breach of any of the terms, conditions and stipulations contained herein. Also your remaining salary will be forfeited and no relieving letter will be issued.

09. Your absence for a continuous period of 8 days (including absence when leave though applied for but not granted) or overstay for a period of 8 days after expiry of leave, will entail loss of your lien on the job and your services shall automatically come to an end without any notice or intimation on you by the management. The management will presume that you have abandoned the employment of your own accord and necessary legal action will be taken.

10. Your appointment shall be subject to verification of your background check including criminal and financial. It is understood that this employment is being offered to you on the basis of the particulars furnished by you in your application for employment. However, if at any time, it so emerges that the particulars furnished by you were False/incorrect or if any relevant information had been suppressed, this appointment shall be tendered void and your services are liable to be terminated forthwith without any notice.

11. No notice or notice pay shall be payable as and when the company comes to know of any conviction by the court of law during the tenure of your service with us or conviction and/or any bad record in the past under the previous employer or on account of commission of any misconduct by you. In case you are incapacitated by reasons of illness, accident or any other cause and cannot perform your duties, the management may at its option grant leave for reasonable time or terminate your services. Also, if you are found suffering from any infectious/contagious disease, the Company may at its discretion to terminate your services.

12. Your job function and responsibilities as **"English Language Trainers - Operation"** will be as defined broadly after joining the Company.

13. The position held by you is of a strictly confidential nature. You shall not disclose to any unauthorized person, either during or alter your employment with the company, any information about the interest or business of the company or any affiliated companies or any information pertaining to their clients and/or with the end consumers of our clients- the information you may have acquired while in the employment of the company.

14. You shall not communicate to public papers, journals, pamphlets or leaflets, any information or documents, official or otherwise relating to the company except with the prior approval of the management.

15. Upon separation from the company, you shall return to the company all the assets and property of the company (including any leased properties), documents, files, books, papers, memos or any other property of the Company in your possession or under your control.

16. You confirm that you have disclosed fully to the Company all your business interests whether or not they are similar to or in conflict with the business or activities of the Company. You agree to disclose fully to the Company any such interest or circumstances which may arise during your employment.

17. The terms of this offer are strictly confidential between you and the Company. You will abide by the information security policy of the company and all the rules and regulations contained.

18. Your individual remuneration is purely a matter between yourself and the company and has been arrived on the basis of your job, skill specific background and professional merit. We except you to maintain this information and any changes made therein from time to time as personal and confidential.

19. Information pertaining to the Company's operations shall remain confidential and safeguarded by you.

20. The Company accepts you to respect all matters, which are Intellectual Property Right of your current employer, and strongly discourages you to bring in to the organization, manuals, documents, papers, memos and files etc. which are classified.

21. You shall inform the Company about any change in the residential address in writing within 3 working days and get the acknowledgement. All communications between the employee and the company shall deemed to have been effectively served if delivered to you personally or sent to the current residential address already mentioned here in the letter. In the event of failure of the employee to discharge this obligation, then the service of any communication shall be deemed to be complete and effective on the address mentioned herein.

22. During the period of service with the company, you shall not indulge and/or take part in any activity of formation of council and/or association or become a member being part of management staff which is found to be detrimental in the interest of the company in any way. Such an action shall be deemed as infringement to service conditions of the company and amount to causing damage to its interest and shall call for disciplinary action being taken against you, as it may deem fit and appropriate.

23. During the tenure of your services, you will wholly devote yourself to the work assigned to you and will not undertake any other employment either on full or part time basis without prior permission of the company in writing. Any contravention of this condition will entail termination of your services from the Company.

24. While working as an employee if you enter into any business transaction with any party on behalf of the company within your permissible limits, it shall be your responsibility to ensure recovery of outstanding. If any outstanding remains at the time of leaving the services of the company, it shall be your responsibility to recover for remittance to the company before you proceed to settle your legal dues in full and final settlement of your account.

25. Any balance of advance or loan taken by you from the Company, shall be fully recovered from your salary at the time of your leaving the services of the company.
26. Your future increments or promotion or any other salary increase shall be based on merit considering your periodic and consistent overall performance, business conditions and other parameters fixed from time to time at the discretion of the management and shall not be considered merely as a matter of right.
27. If you resign from the service after serving one month prior written notice then only the salary which is due to you will only be released along with your full and final settlement after 90 days from the date of last working day.
28. You will be abided and be governed by the rules, regulations and orders, code of conduct of the company that are framed / modified and may be applicable to your category from time to time.
29. You will automatically retire on attaining the age of 58 years. The age as declared in your application shall be binding on you.
30. The Breach of any of the above terms and conditions will render you liable to termination of your employment without notice or compensation thereof.

In case the above terms and conditions are acceptable to you, please sign the duplicate copy of this letter in token of your having understood and having accepted the same and return the same for our office record.

We have pleasure in welcoming you and looking forward to mutually beneficial association.

Thanking you,
Yours sincerely,

CEO Skills
Magnum Super Distributors India Pvt. Ltd.

Project Head
Magnum Super Distributors India Pvt. Ltd.

DECLARATION

I have read/understood the above terms and conditions and agree to abide by them.

Date

Name & Signature

Annexure "A"

Compensation Structure		
Name	Sadiya Khan	
Designation	English Language Trainers	
Department	Operation	
Location	Minal Mall Bhopal	
Particulars	**Per Month**	**Per Annum**
Basic	6500	78000
DA	2600	31200
HRA	3640	43680
Special Allowance	1659	19908
Gross Salary - (A)	14399	172788
Employee Contribution		
PF Employee	1291	15492
ESI Employee	108	1296
PT	0	0
Deductions - (B)	1399	16788
Net Take Home (A-B)	13000	156000
Employer Contribution		
PF Employer	1399	16788
ESI Employer	468	5616
Total (C)	1867	22404
Cost to Company (CTC) - (A+C)	**16266**	**195192**

Note:

1. Mobile Allowance will be excluded from Net Take Home Salary.
2. Company Contribution towards Provident Fund is restricted to basic not exceeding Rs. 15000/- Per Month.
3. ESIC will be deducted as per ESIC Act.
4. You shall bear your own taxes that shall be deducted from your salary and other dues.

CEO Skills
Magnum Super Distributors India Pvt. Ltd.

Name & Signature

(36)

B. Ed 2016-18
MANUU. CTE.
Bhopal.

अनुसूची–3
जिला–सुपौल
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, बसबिट्टी

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक विद्यालय के (बेसिक ग्रेड, सामान्य/उर्दू शिक्षक) हेतु पंचायत शिक्षक के रूप में चयनित सूची में अंकित अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु चयन किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपधिक होगी।

अतः सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर वे अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त माना जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची :–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
मो0 रईस अनवर	मो0 हेमाईल अख्तर	ग्राम+पो0– सिरसी थाना– रौटा प्रखंड–बैसा जिला– पुर्णिया	05	BC	21-06-1993	बेसिक	प्रा0 वि0 मतिकाना हिन्दी

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/ अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण–पत्र जाली/अपलेखन/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्राधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

पंचायत सचिव
–सह–
सदस्य सचिव,
पंचायत शिक्षक नियोजन ईकाई,
बसबिट्टी।

ज्ञापांक 11 /सुपौल, दिनांक 23.2./2022

प्रतिलिपि : संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को देना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि : प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि इस नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करने की कृपा करेंगे।
प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सुपौल को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को सादर सूचनार्थ समर्पित।

पंचायत सचिव
–सह–
सदस्य सचिव,
पंचायत शिक्षक नियोजन ईकाई,
बसबिट्टी।

B.Ed- 2016-18

योगदान हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

प्रधान अध्यापक / प्रधान अध्यापिका महोदया महोदय

विषय:- विद्यालय योगदान करने के संबंध में ।

प्रसंग :- नगर / खण्ड / पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई वासविही के

पत्रांक 04 दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के संदर्भ में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मेरी नियुक्ति नगर / खण्ड / पंचायत शिक्षक वर्ग 1-5 / 6-8 विषय उर्दू के रूप में प्राथमिक विद्यालय मलिकाना हिन्दी में की गई है।

अतः निवेदन है कि संलग्न नियुक्ति पत्र एवं शैक्षणिक / प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र को देखते हुए आज दिनांक 02/03/2022 के पूर्वाह्न में योगदान स्वीकृत करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाए ।

संलग्न प्रति :-

1.) नियुक्ति पत्र की छाया प्रति ।

2.) सिविल सर्जन द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण की मूल प्रति ।

3.) शपथ-पत्र की छाया प्रति ।

4.) शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक की मूल एवं अंक प्रमाण पत्र मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति ।

5.) TET / CTET की मूल एवं अंक प्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति ।

6.) जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति ।

7.) आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति ।

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई वसविही के कार्यालय के ज्ञापांक 4 दिनांक 23.02.2022 के अनुसार श्री मो० रईस अनवर द्वारा उपरोक्त योगदान पत्र प्राप्ति करते हुए आज दिनांक 02/03/2022 को पूर्वाह्न में योगदान की अनुमति दी जाती है।

मुहम्मद कुमार
02/03/2022
प्रधानाध्यापक
मो० बिन मलिकाना हिन्दी
उ मध्य-पश्चिम

छायाप्रति प्रमाणित

आपका विश्वासभाजन

मो० रईस अनवर

पिता- मो० इस्माईल अनवर

ग्राम+पोस्ट- सिरसी

थाना- रौता

जिला- पूर्णिया

पिनकोड- 855107

राज्य- बिहार

मोबाइल न०- 7739159777

(37)

अनुसूची–3
जिला – पश्चिम चम्पारण
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई बगहा–1
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध **प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (6–8 विषय– उर्दू)** के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सूनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सरफराज अहमद	मो0 अब्बास	ग्रा0+पो0– मिश्रौलिया, थाना– बाबूबरही, मधूबनी (बिहार), पिन– 847224	31	UR	02.01.1987	स्नातक ग्रेड	उ0 म0 वि0, बसवरिया, बगहा–1(अति0)
2	कु0 शबाना खातुन	मकसूद आलम	ग्रा0– गरूण नगर, हथिसार मुहल्ला, पडरौना, कुशीनगर (उ0प्र0), पिन– 274304	98	URF	20.07.1992	स्नातक ग्रेड	उ0 म0 वि0, सिकटौर
3	जरीना खातून	अजीमुल्लाह अंसारी	ग्रा0– गरूण नगर, हथिसार मुहल्ला, कोतवाली पडरौना, कुशीनगर (उ0प्र0), पिन– 274304	153	URF	01.01.1991	स्नातक ग्रेड	उ0 म0 वि0, सलहां, बगहा–1(अति0)
4	मो0 नसीम अख्तर	मो0 जमाल उद्दीन	ग्रा0– सतकोदरिया कोला, पो0– गंगेली, थाना– के0 नगर, पूर्णिया (बिहार), पिन– 854303	37	EBC	12.12.1994	स्नातक ग्रेड	उ0 म0 वि0, बथुवरिया, बगहा–1(अति0)

B.Ed 2016-18

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BCTET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान देने के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

Md Nasim Akhtar.

Scanned with CamScanner

~~M.Ed 2020-22~~ 38 MANUU, CTE, Bhopal

कार्यालय–कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा।

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के आलोक वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय– उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पुर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्ति होना चाहते है तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड (बेसिक/स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01	मो0 शाहनवाज आलम	हैदर अली	ग्रा+पो0– लोकही जिला–मधुबनी पिन–847108	73	UR	01.01.1997	स्नातक	म0वि0 शेखपुरा उर्दू।
02	मो0 रेजाउल्लाह	मो0 नेजामुद्दीन	ग्रा– कमलपुर, पो0–लोकहा जिला–मधुबनी पिन–847421	101	UR	08.07.1980	स्नातक	म0वि0 महमुदा
03	मो0 मंजर आलम नूरी	मो0 नूरुल होदा	ग्रा0–कोशकिपुर, पो0–रामपुर मोहनपुर, जिला– अररिया पिन–854311	137	UR	15.07.1985	स्नातक	म0वि0 बलिया
04	शाजिया नाज	मो0 मोईनुद्दीन	कुद्दूस मंजिल अज्जु पहलवान गली मु0– खामिर्जा सुलतान गंज पटना–800006	151	UR	20.08.1995	स्नातक	म0वि0 सुपौल
05	आफाक अहमद	मो0 बशीर अहमद	ग्रा0–विशनपुर, पो0–वीरपुर हरपट्टी, थाना –ललमनियाँ, जिला– मधुबनी पिन–847227	176	UR	05.02.1984	स्नातक	म0 वि0 प्रखंड मुख्यालय बिरौल
06	गुलाम नबी	अब्दुल अजीज	ग्रा0–कुशमार, पो0– बाधा कुशमार, जिला–मधुबनी पिन–847409	186	EBC	15.03.1989	स्नातक	म0 वि0 रुपनगर
07	मो0 मनवर आलम	मो0 रफीक आलम	ग्रा0–डोंगीबाड़ी, पो0+थाना– ठाकुरगंज, जिला– किशनगंज, पिन–855116	191	EBC	04.05.1994	स्नातक	म0 वि0 कमलपुर पूर्वी
08	सफीउर रहमान	अब्दुल मन्नान	ग्रा0–अनारकली, पो0–बाँसगाड़ा, थाना–बरारी, जिला –कटिहार पिन–854115	207	EBC	05.11.1991	स्नातक	म0 वि0 बलिया उर्दू
09	मो0 जुबैर	मो0 कफिल अहमद	ग्रा0–जिरात, पो0–बिरौल, थाना–घनश्यामपुर जिला–दरभंगा पिन–847203	448	EBC	05.03.1992	स्नातक	म0 वि0 अफजला उर्दू
10	मो0 इरलाम	मो0 रफीक	ग्रा0–खैरा, पो0–जमालपुर, जिला– दरभंगा, पिन–847203	100	UR	15.01.1988	स्नातक	म0 वि0 उछटी
11	मो0 वसी अहमद	मो0 मजीबुल्लाह	ग्रा+पो0– नवहट्टा, जिला–सहरसा पिन–852123	490	UR (EWS)	20.06.1986	स्नातक	म0 वि0 बलिया
12	मो0 प्यारे	मो0 सैफुल्लाह	ग्रा+पो0+थाना– नवहट्टा, जिला–सहरसा पिन–852123	516	UR (EWS)	29.01.1987	स्नातक	म0 वि0 ग्यारी उर्दू

M.Ed. 2020-22

B.Ed 2017-19

B.Ed. 2016-18

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र /अंक पत्र, BETET/CTET Result Card की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तलेपन/गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से सम्बंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

25.2.2022
सचिव,
प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति,
बिरौल, दरभंगा।

ज्ञापांक 02/प्र0नि0/ बिरौल, दिनांक 25.02.2022

प्रतिलिपि : संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विद्यालय प्रधान शिक्षक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ समर्पित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करने की कृपा की जाय।

25.2.2022
सचिव,
प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति,
बिरौल, दरभंगा।

(39)

जिला का नाम:- दरभंगा
नियोजन इकाई का नाम:- नगर परिषद, बेनीपुर

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक स्तर विद्यालय के (विषय:- I-V सामान्य) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः ओपनीधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करे अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	प्रेड(बेसिक/ स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01.	JYOTI AGRAWAL	JAGDISH PRASAD GUPTA	BAHADURPUR, SAMASTIPUR, SAMASTIPUR	688	RF	14.12.1977	BASIC	P.S ASHAPUR(GIRLS)
02.	PRAMOD MAHTO	BHAGIRATH MAHTO	SONPATAHI, BABUBARHI, MADHUBANI	851	BC(Ph.H)	02.02.1989	BASIC	P.S GHUSKIPATTI
03.	ANURADHA SUMAN	AHINDRA KUMAR SUMAN	WARD 21, MADHUBANI, MADHUBANI	115	UR	01.09.1996	BASIC	N.P.S NAVTOLIYA BENIPUR
04.	KHUSHBU KUMARI	MADAN MOHAN GUPTA	NARAHIYA, LAUKAHI, MADHUBANI	2007	EBC(F)	05.04.1994	BASIC	P.S PAURI
05.	POOJA KUMARI	UMESH KUMAR	BALA BAKHAR, GEHUMA,BERIYA , PHULPARAS, MADHUBANI	17	UR	30.08.1994	BASIC	P.S LAXMANPUR
06.	MAMTA JHA	GANGA PRASAD JHA	JAGDAR, DASAUT, SHIVAJINAGAR, SAMASTIPUR	251	UR(F)	26.07.1988	BASIC	P.S PAURI
07.	BASHMI MISHRA	KRISHNA KUMAR MISHRA	DAKHRAM, PAURI, BENIPUR, DARBHANGA	266	UR(F)	02.02.1990	BASIC	P.S ASHAPUR(GIRLS)
08.	SWATI KUMARI	AWADH KISHOR CHAUDHARY	BUNIYADPUR, RAMIYAR KONCHI, SHIVAJINAGAR, SAMASTIPUR	354	UR(F)	07.10.1995	BASIC	P.S PANCHNATH MUSHARI
09.	RAM NATH SAFI	RAM DULAR SAFI	MAJHAURA, LAXMIPUR, KHUTAUNA, MADHUBANI	1206	SC	02.08.1995	BASIC	P.S PAURI
10.	ROHIT KUMAR	SATYA NARAYAN RAY	TEGACCHA, UJJAA, KUSHESHWAR STHAN, DARBHANGA	131	UR	07.03.1994	BASIC	P.S NANDAPATTI MUSHARI
11.	MAHFOOZ ALAM	MUSTUFA ALAM	BHIMPUR, MADHEPUR, MADHUBANI	239	EBC	05.01.1995	BASIC	P.S JAMIYANAGAR, MOHAMMADPUR
12.	RAVI PRABHAT	RAMJEE PRASAD SAHU	PAHARPUR, MIRJANAGAR, MAHUA, VAISHALI	248	EBC	08.01.1987	BASIC	P.S MALLAH TOL DAKHRAM

B.Ed 2016-18

(40)

कार्यालय,प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी,बगहा 02,प0 चम्पारण।

पत्रांक 21 दिनांक 23.02.2022

अनुसूची–3

जिला का नाम–प0 चम्पारण

नियोजन इकाई का नाम–प्रखण्ड नियोजन समिति,बगहा–2

कार्यालय–आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (वर्ग 1 से 5 विषय–सामान्य एवं उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नांकित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नांकित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर ये सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(1) वर्ग 1 से 5, विषय–सामान्य में चयनित अभ्यर्थियों की सूची :–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड (बेसिक / स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनुराग कुमार राय	राजकुमार राय	ग्राम सुअर छाप, पो0 धुरी मटियरिया, जिला–प0 चम्पारण, बिहार, पिन कोड–845453	2143	UR	20.10.1991	बेसिक ग्रेड	उ0म0वि0 यमुनापुर
2	कु0 दीपिका सिंह	अनिल कुमार सिंह	ग्राम सिकटा, पो0 सिकटा, जिला–कुबेर स्थान, उ0प्र0, पिन कोड–274303	09	UR	23.02.1997	बेसिक ग्रेड	उ0म0वि0 मंगलपुर
3	अभिषेक मिश्रा	साधुशरण मिश्रा	ग्राम कपरौली, पो0 निधलौल, जिला–महाराजगंज, उ0प्र0, पिन कोड–273304	31	UR	11.08.1996	बेसिक ग्रेड	उ0म0वि0 जरार
4	विवेक कुमार सिंह	अजय कुमार सिंह	ग्राम सुल्तानपुर, पो0 भरखरा, जिला–बलिया, उ0प्र0, पिन कोड–277304	371	UR	25.06.1993	बेसिक ग्रेड	उ0म0वि0 खजुरिया
5	सुलेमान गनी	अबुल हसन	ग्राम मोहल्ला पुरानी, पो0 मुबारकपुर, जिला–आजमगढ उ0प्र0 पिन कोड–276404	434	UR	05.07.1994	बेसिक ग्रेड	उ0म0वि0 घुमवाटाड
6	मो0 सलीम	मुख्तार अहमद	ग्राम+पो0 खैराबाद, जिला–मऊ, उ0प्र0, पिन कोड–276403	515	UR	01.08.1995	बेसिक ग्रेड	उ0म0वि0 रमवलिया–1
7	पवन कुमार	डेविड फ्रांसिस राय	ग्राम चखनी, पो0 रजवटिया, जिला–प0 चम्पारण बिहार, पिन कोड–845101	523	UR	07.01.1994	बेसिक ग्रेड	उ0म0वि0 अनकौल
8	कु0 प्रतिभा द्विवेदी	सुरेन्द्र नारायण द्विवेदी	ग्राम+पो0 फरदहनी, जिला–गोरखपुर उ0प्र0, पिन कोड–273165	758	URF	10.04.1989	बेसिक ग्रेड	म0वि0 बोरवल

B.Ed 2016-18

B.Ed 2016-18

B.Ed- 2016-18 (41) MANUU, CTE, Bhopal

अनुसूची–3

जिला–शिवहर, नियोजन इकाई का नाम–प्रखंड नियोजन समिति, पुरनहिया

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक / मध्य विद्यालय के (विषय– उर्दू विज्ञान) के शिक्षक के रुप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधित होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा सबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	मो० राशिद एकबाल	मो० इनामुल हक	ग्राम–फतमानन्द, पो०–पड़राही थाना+जिला–शिवहर	39	UR	16.07.1991	स्नातक	मध्य वि० दोलियाँ द०प०

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक–पत्र / BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथी ही प्रमाणपत्रों आदि सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

ह0 / –
सचिव,
प्रखंड नियोजन समिति,
पुरनहिया।

ज्ञापांक 50 / दिनांक 23.02.2022

प्रतिलिपि–संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रुप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करेंगे।

23/02/22
सचिव,
प्रखंड नियोजन समिति,
पुरनहिया।

योगदान हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका महोदय/महोदया
म० वि० शौल्तया 2020

विषय:- विद्यालय योगदान करने के संबंध में।

प्रसंग- नगर/प्रखंड/पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के पत्रांक.....E.0.....

दिनांक..2.3...../...02...../2022 द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मेरी नियुक्ति नगर/प्रखंड/पंचायतशिक्षक वर्ग 1 से 5, 6 से 8 विषय के रूप में विद्यालय ...म०...वि०...शौल्तया...2020...में की गई है।

अतः निवेदन है कि संलग्न नियुक्ति पत्र एवं शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को देखते हुए आज दिनांक के पूर्वाह्न में योगदान स्वीकृत करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाए।

संलग्न प्रति :-

1. नियुक्ति पत्र की छाया प्रति।
2. सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
3. शैक्षणिक प्रमाण पत्र मैट्रिक से प्रशिक्षण तक की दो सेट में स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।
4. टाईटल/सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की दो सेट में स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।

आपका विश्वासभाजन

मो० राशिद एकबाल

पिता ...मो०...शमसुल हक...

ग्राम .....फातमाचक.....

पोस्ट.....पड़राही.....

प्रखंड.....शिवहर.....

जिला.....शिवहर.....

थाना .....शिवहर.....

मोबाइल नंबर...7.9.8.7.6.9.1.8.6.

(42)

B.Ed. 2016-18 प्रखंड कार्यालय छातापुर

अनुसूची – 3
जिला – सुपौल
(प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, छातापुर)
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली – 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध मध्य विद्यालय के (वर्ग 6–8 तक) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी ।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :–

क्र0 स0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो0 अम्मार हसन	मो0 इफतेखार आदिल	गिदरगंज, मधुबनी	11	EWS	01.01.1995	स्नातक	म0वि0 बलुआ

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण – पत्र / अंक – पत्र BTET / CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगें । साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ – पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक का अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक –सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
4. प्रमाण – पत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगें ।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा ।

सचिव
प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई
छातापुर ।

ज्ञापांक 193-2 दिनांक 23-02-2022

प्रतिलिपि :– संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

23/02/2022
सचिव
प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई

Professional Qualification
❖ Three months course of Reading and Writing Urdu Languages in 2009-2010.
❖ Successfully completed B.Ed. From Maulana Azad National Urdu University with 72% of marks in 2009.

B.Ed 2016-18 (43)

अनुसूची–3

जिला का नाम–सीतामढ़ी)

(नियोजन इकाई का नाम _____)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में संचालित प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्रा०वि०/मध्य विद्यालय के (_____ विषय _____) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर ये सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18	UR	05.04.1993	[illegible]	[illegible]

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशिक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक–पत्र BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अधीनस्थ शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली / अन्तर्लेखन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्तें संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर पर प्रभावी होगा।

[illegible]
24.02.2020
सत्यापित
प्रखंड / पंचायत नियोजन इकाई,

ज्ञापांक 02 दिनांक 24.02.2020

प्रतिलिपि– संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधीनस्थकारी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अनुरक्षण रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के वेबसाइट पर अपलोड करना चाहेंगे।

[illegible]
24.02.2020
सत्यापित
प्रखंड / पंचायत नियोजन इकाई,

B.Ed. 2016-18 (44)

ग्राम पंचायत राज कार्यालय-.....प्रखण्ड फेनहारा, पूर्वी चम्पारण।

अनुसूची-3

(जिला-पूर्वी चम्पारण)

(नियोजन इकाई .....)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली -2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली -2012 यथा संशोधित के आलोक में वर्ष-2019-2020 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्ति चाहते हैं तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्र0	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	मो० इम्तियाज हुसैन	मो० नसरुद्दीन	ग्राम-रिसवा अंसारी टोला पो०-फेनहारा	06	EBC	11-09-1989	शिक्षक	मा०प्रा०वि० फेनहारी गोदाम

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान के समय सभी शैक्षणिक/प्रारंभिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र BETET/CTET RESULT CARD की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक अल्प चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं संबंधित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तलेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई के संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृति करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्तें संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23/02/22

पंचायत नियोजन पदाधिकारी

-सह-

पंचायत सचिव

.....पूर्वी चम्पारण।

ज्ञापांक 01 Comp. Niyojan /दिनांक 23/02/2022/

प्रतिलिपि- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अग्रहस्ताक्षरी कार्यालय को अवश्य रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

23/02/22

पंचायत नियोजन पदाधिकारी

-सह-

पंचायत सचिव

.....पूर्वी चम्पारण।

B.Ed. 2016-18 (45)

कार्यालय , प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी,पोठिया,(किशनगंज)



नियुक्ति-पत्र

उप सचिव शिक्षा विभाग , बिहार सरकार ,पटना का ज्ञापांक -7/विविध-25/2019-864, दिनांक-05.0.2019 के आलोक में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के तहत वर्ष 2019-2020 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक के रुप में अंतिम मेधा सूची में अंकित प्रशिक्षित अभ्यर्थी का चयन निर्धारित कॉउसिलिंग के आधार पर नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतःऔपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित अभ्यर्थी , यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो 30 दिनों के अंदर पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें ,अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	"ग्रेड" बेसिक/ स्नातक	पदास्थापित विद्यालय का नाम
1	अबु आमिर सिद्दीकी (जाति कोटि:-GEN)	मो०सिद्दीक	ग्राम:-बुढ़ीमारी पो०:-अलताहाट थाना:-कोचाधामन जिला:-किशनगंज (बिहार) 855107	727	UR	02-10-1992	बेसिक- अन्य	उ०म०वि०इन्दरपुर-I प्रखंड:- पोठिया

शर्त्त:-

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षिणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारुप संलग्न) प्रधानाध्यापक /प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण-पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/ प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यार्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा ।

सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,
पोठिया,जिला:-किशनगंज

ज्ञापांक- 32 - कैम्प - म०वि० खगडा, किशनगंज/ दिनांक- 23/02/2022

प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रुप देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना), किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload कराना चाहेंगे।

सचिव 23.2.2022
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,
पोठिया,जिला:-किशनगंज

(46)

B.ED. (2016-18)
MANUU CTE.
Bhopal

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, धोरैया (बाँका)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-2020 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निदर्शित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय URDU) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर में सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों का विवरण :-

क्र सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	सेवा सूची	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	श्रेणी (बेसिक/ स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
			AT+PO-KASBA PS-MANIGANJA					
1	कश्मीर अहमद	शकील अहमद	VILL-GEDDA PIN-814154	08	UR	17.07.1995	बेसिक	UMS KATHBANGANA (URDU)

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को समर्पित करेंगे। साथ ही प्रमाण-पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण-पत्र जाली/अंतर्लेपन/गलत पाये जाने कि स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्तें संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

आदेश,

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई-सह-प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, धोरैया (बाँका)

ज्ञापांक 130 /बाँका, दिनांक 23.02.2022

प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्ति शिक्षक के योगदान की सूचना अनुमंडलाधिकारी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अनुरूप रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी ..... को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई-सह-प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, धोरैया (बाँका)

(47) B.ED. (2016-18)
MANUU CTE. BPL.

अनुसूची-3

(रोहतास)

(प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई-काराकाट)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (वर्ग-1से 5 विषय-उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूचीः-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो0 इस्तकबाल अंसारी	मो0 एकबाल अंसारी	ग्राम+पो0- इब्राहीमपुर, थाना- किजर, जिला- अरवल, बिहार	88	सामान्य	17.06.1996	बेसिक	म0 वि0 जोरावरपुर उर्दू

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,
काराकाट

दिनांक 25-02-2020

ज्ञापांक 57

प्रतिलिपिः- 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक के सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,
काराकाट

MANUU, CTE
Bhopal.
B. Ed — 2016-18

(48)

अनुसूची–3
(जिला का नाम :–मुजफ्फरपुर)
(नियोजन इकाई का नाम :–नगर परिषद् काँटी)
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (VI to VIII) विषय ...उ.....) के शिक्षक के रूप में निम्नांकित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर यह नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राफेआ खातुन	मकसूद आलम	ग्राम–जीवधारा, पिपराकोठी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण	03	EBC F	06.02.1988	Graduate	उ० म० वि० कोठिया कन्या

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23/2/2022
सचिव
(नियोजन इकाई नगर परिषद कांटी)

दिनांक :– 23/02/2022

ज्ञापांक :– 159 /

प्रतिलिपि :–
1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए करना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी.....को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

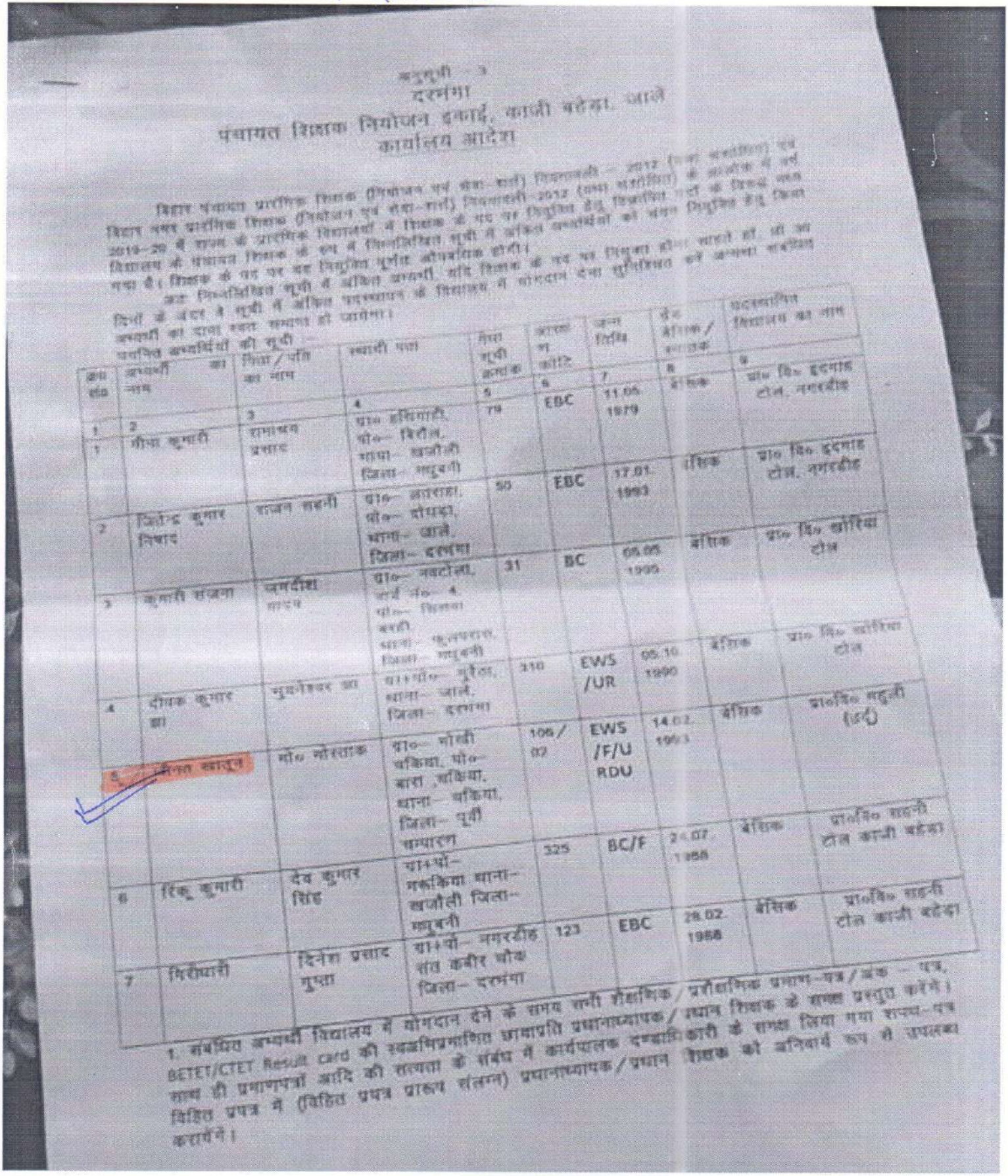
23/2/2022
सचिव
(नियोजन इकाई नगर परिषद कांटी)

(49)

B. Ed. - 2016-18

MANOU, CTE, Bhopal

ZEENAT KHTOON



अनुसूची - 3
दरभंगा
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, काजी बहेड़ा, आले
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली – 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के प्रावधान के वर्ष 2019–20 में सत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु नियोजित होने के लिए चयन समिति का गठन किया गया है। शिक्षक के पद पर पद नियुक्ति पूर्णतः अस्थायित्व प्रकृति की होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्ति होना चाहते हों, तो उन्हें दिनांक के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची –

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेरिट सूची क्रमांक	आवेदित पद कोटि	जन्म तिथि	पद श्रेणिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गीता कुमारी	रामाश्रय प्रसाद	ग्रा०– हरिनाही, पो०– किरौल, थाना– खजौली जिला– मधुबनी	79	EBC	11.05.1979	बेसिक	प्रा० वि० इदगाह टोल, नगरदीह
2	जितेन्द्र कुमार निषाद	बाजन सहनी	ग्रा०– लखराहा, पो०– दोखहा, थाना– आले, जिला– दरभंगा	50	EBC	17.01.1993	बेसिक	प्रा० वि० इदगाह टोल, नगरदीह
3	कुमारी संजना	जगदीश साहनी	ग्रा०– नवटोला, वार्ड नं०– 4 पो०– बिरौना बस्ती थाना– फुलपरास, जिला– मधुबनी	31	BC	05.05.1995	बेसिक	प्रा० वि० खोरिया टोल
4	दीपक कुमार झा	मुरलीधर झा	ग्रा+पो०– मुरैठा, थाना– आले, जिला– दरभंगा	310	EWS /UR	05.10.1990	बेसिक	प्रा० वि० खोरिया टोल
5	[illegible] कुमार	मो० मोस्ताक	ग्रा०– मोछी चकिया, पो०– बारा ,चकिया, थाना– चकिया, जिला– पूर्वी चम्पारण	106/02	EWS /F/URDU	14.02.1993	बेसिक	प्रा०वि० मदुनी (उर्दू)
6	रिंकू कुमारी	देव कुमार सिंह	ग्रा+पो– मरकिसा थाना– खजौली जिला– मधुबनी	325	BC/F	24.07.1988	बेसिक	प्रा०वि० साहनी टोल काजी बहेड़ा
7	मिरोधारी	दिनेश प्रसाद गुप्ता	ग्रा+पो– नगरदीह संत कबीर चौक जिला– दरभंगा	123	EBC	28.02.1988	बेसिक	प्रा०वि० साहनी टोल काजी बहेड़ा

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय अपनी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक – पत्र, BSTET/CTET Result card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / स्थान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(49·1) B Ed 2016-18

कार्यालय प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, डुमरिया (गया)

पत्रांक - 07

प्रेषक

प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी

–सह–

सचिव प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,

डुमरिया (गया)

सेवा में,

प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक

मध्य वि०..... डुमरिया, दिनांक – 23/02/2022

विषय – नियुक्ति पत्र सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा चयनित अभ्युर्थियों को 2019–20 के राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रखण्ड शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध डुमरिया प्रखण्ड के विभिन्न मध्य विद्यालयों में दिनांक–23.02.2022 को पदास्थापित किया गया है, जो आपके विभिन्न पत्रों के द्वारा सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिसे क्रम में संपुष्ट किया जाता है –

क्रम संख्या	नियुक्त अभ्यर्थी का नाम	नियुक्ति पत्र का पत्रांक एवं दिनांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	सत्यापन हेतु आवेदन प्राप्ति की तिथि	सत्यापन की स्थिति
1	[illegible]	07 23/02/2022	म०वि० कुशाडीह	24/02/2022	सत्यापित

विश्वासभाजन

25/02/2022

प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी

–सह–

सचिव, प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,

डुमरिया (गया)

(99.2)

B.Ed - 2016-18

अनुसूची –3

जिला का नाम :– नवादा

नियोजन इकाई का नाम :–चौकिया (पंचायत नियोजन इकाई)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक(नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली 2012(यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक(नियोजन एवं सेवा–शर्त्त) नियमावली –2012(यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध प्राथमिक विद्यालय में सामान्य शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यार्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति पूर्णतः ऑपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :–

क्रम सं०	अभ्यार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रागेबुल हसनैन	मो0 मोईन उद्दीन	ग्राम–अदया, पोस्ट–कौंटी, सिरदला, नवादा	08	EBC	20.03.1994	बेसिक उर्दू	प्रा0वि0 चौकिया
2.	प्रीति कुमारी	रामाशिष शर्मा	ग्राम–केन्दुआ, पोस्ट–केन्दुई, गया	03	EBCF	10.07.1995	बेसिक सामान्य	प्रा0वि0 मोहना केवाल
3.	सोनी सिन्हा	महेश प्रसाद	ग्राम–रोह मोती विगहा गोनावा, नवादा	16	BCF	06.03.1993	बेसिक सामान्य	प्रा0वि0 दुआरी

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक प्रमाण –पत्र / अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों के दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा – पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यार्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगें।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगी।

26/02/2022
पंचायत सचिव,
–सह–
सचिव पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई
चौकिया (सिरदला)।

ज्ञापांक 04 दिनांक – 26.02.2022

1. प्रतिलिपि :–संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।
4. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना), नवादा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2022
पंचायत सचिव,
–सह–
सचिव पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई
चौकिया (सिरदला)।

(49·3) BEd 2016-18

अनुसूची–3

(जिला–बेगूसराय)

(प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,गढ़पुरा)

कार्यालय आदेश



बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली –2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली –2012 (यथा संशोधित) के आलोक में तथा [illegible] विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक [illegible] मेक–इन्दु) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन [illegible] पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी , यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त हो [illegible] दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची–

क्र सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / इनातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो0 शानदार हुसैन	मो0 शाकिर हुसैन	ऐजनी, छौड़ाही, बेगूसराय	04	EWS	10.01.1996	बेसिक	उत्क्रमावि, कोरियागा

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगें।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कारवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगें।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित–सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

25.02.22

सचिव,

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई

–सह–

प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

ज्ञापांक 35 / निय० / दिनांक 25.02.2022 /

प्रतिलिपि – 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अवश्य रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगें।

25.02.22

सचिव,

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई

–सह–

प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

B.Ed. 2016-18

(49.4)

अनुसूची – 03

जिला का नाम– बेगूसराय

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, निपनियाँ मधुरापुर

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक विद्यालय के (बेसिक ग्रेड, उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची :–

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	मो. फिदा हुसैन	मो. निजाम उद्दीन	ग्रा.-हसनपुर वार्ड-02 पो.-मध. तेघड़ा बे.	05	अ.पि.वर्ग	05-03-1990	बेसिक	प्राथमिक विद्यालय खैरपुर	

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक–पत्र, BTET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई
निपनियाँ, मधुरापुर (बेगूसराय)

ज्ञापांक :– 02 /नियो.दिनांक – 24/02/2022

प्रतिलिपि :–
1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से सुनिश्चित करें।
3. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तेघड़ा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई

(495)

BTET 2016-18

अनुसूची–3

जिला का नाम:– सीतामढ़ी

नियोजन इकाई का नाम:– ~~पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई~~ मझौर

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक / ~~मध्य~~ विद्यालय में (विषयः– सामान्य .....) के शिक्षक के रूप में निम्नांकित अभ्यर्थी का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय मे योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
मोहम्मद महबुब आलम	मोहम्मद शब्बीर अंसारी	ग्राम+पो०-दढ़री थाना - नानपुर जिला–सीतामढ़ी (बिहार)	04	सामान्य	27.03.1994	बेसिक ग्रेड	रा० प्रा० वि० संतराम दास कुटी मझौर

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशिक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध मे कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

Mukesh Kumar
सचिव
(नियोजन इकाई का नाम)
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई मझौर

ज्ञापांक– 02 ..... दिनांक– 23.02.2022

प्रतिलिपि:– 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित करने हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

Mukesh Kumar
सचिव 23-02-2022
(नियोजन इकाई का नाम)
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई मझौर

49-6

75	किरण कुमारी	रामाकांत शर्मा	ग्राम हजामपुर, पो0 एण्डोल, थाना शाकुराबाद, जिला जेहानाबाद, 804425	2118	UR	04-08-1986	स्नातक	उ0मा0वि0 सोनहन
76	प्रिया कुमारी	रमेश सिंह	ग्राम+पो0 पोखरी, थाना हरनौत, जिला नालंदा, 803110	1618	UR	12-03-1994	स्नातक	उ0मा0वि0 मोहम्मदपुर पांता
77	राजू राम	पंचलाल राम	ग्राम बेरबा, पो0 साहरघाट, थाना मधवापुर, जिला मधुबनी, 847308	340	SC	13-02-1992	स्नातक	म0वि0 खरजा
78	धर्मेन्द्र कुमार चौधरी	राजेन्द्र चौधरी	पो0 सेनापत, पो0 लालबाग, थाना नगर, जिला दरभंगा, 846004	1501	SC	03-07-1990	स्नातक	उ0मा0वि0 राम बेरई
79	बिनोद कुमार साही	हरि लाल साही	ग्राम भंडौडा, पो0 लक्ष्मीपुर, थाना लौकहा, जिला मधुबनी, 847421	2618	SC	09-02-1993	स्नातक	उ0मा0वि0 देयारी
80	जितेन्द्र कुमार	शंकर दास	ग्राम राजवाड़ा, पो0 कदमवा, थाना घोड़ासहन, जिला पूर्वी चम्पारण, 845303	2879	SC	12-11-1992	स्नातक	उ0मा0वि0 तारसराय
81	विक्रम कुमार विकाश	उपेन्द्र राम	ग्राम रामचौड़ा, पो0 रौता, थाना कुमारखण्ड, जिला मधेपुरा, 852112	3063	SC	20-03-1992	स्नातक	उ0मा0वि0 भीटही
82	उदय कुमार	महेन्द्र पासवान	ग्राम+पो0 मलवाँ, थाना खुदवाँ, जिला औरंगाबाद, 824124	3143	SC	14-01-1990	स्नातक	म0वि0 दुलारपुर
83	सुधीर पासवान	नरेश पासवान	ग्राम कथना, पो0+थाना पकरी बरावाँ, जिला नवादा, 805124	3800	SC	04-02-1986	स्नातक	म0वि0 दुलारपुर
84	अमित कुमार	विरेन्द्र प्रसाद	ग्राम+पो0 नदौन, थाना+जिला बक्सर, 802103	3812	SC	23-11-1987	स्नातक	म0वि0 भालपट्टी
85	धर्मेन्द्र कुमार पासवान	राजेन्द्र पासवान	ग्राम+पो0+थाना रघुनाथपुर, जिला सिवान, 841504	3005	SC	08-01-1986	स्नातक	म0वि0 भालपट्टी
86	सुजीत दास	अवधेश दास	ग्राम जागीर, पो0 लोहची, थाना हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर, 811211	4259	SC	01-01-1986	स्नातक	म0वि0 नैनाघाट खर्दू
	[illegible] कुमार	श्यामदेव [illegible]	ग्राम लरमा, पो0 कर्मनाशा, थाना [illegible] जिला कैमूर, 821105	4333	SC	[illegible]		
88	मो0 मुतस्सीम	मो0 इब्राहीम	ग्राम कजरा, पो0 जगदीशपुर, थाना बरारी, जिला कटीहार, 854115	240	EBC	15-05-1992	स्नातक	उ0मा0वि0 लोजाम खर्दू

49-6

B.Ed.

2016-18

B.Ed. 2016-18

(19-7)

कार्यालय नगर पंचायत,जयनगर

नगर प्रारंभिक शिक्षक (1 से 5) हेतु नियोजन-पत्र

पत्रांक...176.../ दिनांक...28.../...02.../2022

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री- .....शमसा खातून.....

पिता/पतिः- .....मो० जूबैर अहमद.....

पताः- .....ग्राम+पो०- हाता मानसिंघा,.....

.....रघुनाथपुर, वार्ड नं०-1 थाना, सुगौली.....

महाशय, जिला- पूर्वी-चम्पारण (मोतिहारी) (845431)

आपको सूचित करना है कि शिक्षक नियोजन इकाई - नगर पंचायत,जयनगर के अन्तर्गत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के छठे चरण में आपका चयन नगर प्रारंभिक शिक्षक विषय- उर्दू वर्ग 1 से 5 हेतु किया गया है। आपका पदस्थापन **प्राथमिक विद्यालय यूनियन टोला वार्ड नं0-04 नगर पंचायत,जयनगर** में किया जाता है।

आपका नियोजन बिहार प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली- 2012 के आलोक में किया गया है। आपको आदेश दिया जाता है कि तीस (30) दिनों के अन्दर पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करें। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर आपका दावा स्वतः समाप्त समझा जायेगा। योगदान के समय सिविल सर्जन द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की मूल एवं छायाप्रति संबंधित प्रधानाध्यापक के पास जमा करेंगे। नियोजन से संबंधित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि यदि भविष्य में पाई जाती है तो आपका नियोजन/नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन
ह0/-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,जयनगर,
मधुबनी।

ज्ञापांक- ..... दिनांक-...../...../2022

प्रतिलिपि- प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, यूनियन टोला, जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला शिक्षा पदाधिकारी,मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,जयनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.22

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,जयनगर,
मधुबनी।

(50)

B.Ed. 2017-19

कार्यालय, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बहादुरगंज
जिला–किशनगंज



नियुक्ति–पत्र

उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना का आवांक–7/विविध–25/2019–884, दिनांक–05.07.2019 के आलोक में बिहार सकाकार प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के तहत वर्ष 2019–2020 में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में अन्तिम मेधा सूची में अंकित प्रशिक्षित अभ्यर्थी का चयन निर्धारित काँउंसिलिंग के आधार पर नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/मातृ नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	वर्तमान ग्रेड (अ०/अ०ज०/अति०, सामान्य एवं विभि०/एस/एस ई०/महिला)	आरक्षण कोटि	दिव्यांगता की श्रेणी	पदस्थापित विद्यालय का नाम
403	मुदस्सिर हसनत पिता - मो० नसीमुद्दीन जाति कोटि – BC	ग्राम + पोस्ट - बीजोसेंज थाना - बीजोगंज, प्रखंड - टेढागाछ जिला - किशनगंज (बिहार)	15.02.1993	बेसिक ग्रेड -अन्य	UR	नहीं	उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिरनिया चरचरिया, बहादुरगंज

शर्तें :–

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र BETET/CTET Result Card की स्वप्रमाणित्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण–पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अप्रमाणित/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सभी–शर्तें संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

Upasana Chaudhary
23/02/2022
प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव
प्रखंड नियोजन समिति, बहादुरगंज

ज्ञापांक 19/उ० बहादुरगंज, दिनांक 23/02/2022

प्रतिलिपि – संबंधित नव नियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अनुमंडलाधिकारी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अविलंब रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि – संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियुक्त आदेश को जिला के एनआईसी० के वेबसाईट पर अपलोड करना चाहेंगे।

Upasana Chaudhary
23/02/2022
प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव
प्रखंड नियोजन समिति, बहादुरगंज

B.Ed. 2017-19 (51) MANUU, CTE, Bhopal

अनुसूची–3
(जिला– मधेपुरा)
(प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, उदाकिशुनगंज)
–:कार्यालय आदेश:–

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली –2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (वर्ग– VI-VIII उर्दू) शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति होना चाहते हों तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण /कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	शाह अहद् कामिल	मो0 इरफान कामिल	ग्राम- धोगरही पो०+थाना - कसबा जिला- पुर्णिया	97	UR	10/04/1995	स्नातक	के०एम०सी० मलनत मंडौरा

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक /प्रशैक्षणिक प्रमाण –पत्र/अंक–पत्र BTET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23/02/2022
सचिव
प्रखंड नियोजन इकाई उदाकिशुनगंज
–सह–
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,उदाकिशुनगंज

ज्ञापांक–129...../दिनांक–23.2.2022
प्रतिलिपि :– संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

23/02/2022
सचिव
प्रखंड नियोजन इकाई उदाकिशुनगंज
–सह–
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,उदाकिशुनगंज

योगदान हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

प्रधान अध्यापक / प्रधाना अध्यापिका महोदया महोदया

विषय:- विद्यालय योगदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- नगर / प्रखंड / पंचायत शिक्षक नियोजन ईकाई उदाकिशुनगंज के

पत्रांक 139 दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के संदर्भ में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मेरी नियुक्ति नगर / प्रखंड / पंचायत शिक्षक वर्ग 1-5 / 6-8 विषय कुछ के रूप में प्रखण्ड उदाकिशुनगंज विद्यालय पी० एस० डी० मजोरा में की गई है।

अतः निवेदन है कि संलग्न नियुक्ति पत्र एवं शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को देखते हुए आज दिनांक 26/02/2022 के पूर्वाह्न में योगदान स्वीकृत करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाए।

संलग्न प्रति :-

1.) नियुक्ति पत्र की छाया प्रति।

2.) सिविल सर्जन द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण की मूल प्रति।

3.) शपथ-पत्र की छाया प्रति।

4.) शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक की मूल एवं अंक प्रमाण पत्र मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति।

5.) TET / CTET की मूल एवं अंक प्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति।

6.) जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति।

7.) आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति।

आज दिनांक 26.02.2022 के पूर्वाह्न में शाहे आलम कामिल ने विद्यालय में अपना योगदान किया।

योगदान स्वीकृत
26-02-2022
प्रधानाध्यापक
उ.मे एम भी मकतब मंजोरा
प्रखण्ड-उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

आपका विश्वासभाजन

नाम - शाह आलम कामिल

पिता- मो० इरफान कामिल

ग्राम+पोस्ट- बेंगरही

थाना- उदाकिशुनगंज

जिला- मधेपुरा

पिनकोड- 852232

राज्य- बिहार

मोबाइल नं- 7992272713

B.Ed. 2017-19 (52) MANUU, CTE, Bhopal

अनुसूची–3

जिला : पटना

पंचायत शिक्षक नियोजन समिति, हरदासबिगहा, खुसरूपुर

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध प्राथमिक विद्यालय के (I to V) विषय– उर्दू के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	सद्दाम हुसैन	मो0 शब्बीर आलम	ग्राम–टेना, पोस्ट + थाना – कोचाधामन, जिला– किशनगंज, पिन कोड–855115	15	GEN	07.02.1994	बेसिक	प्रा0वि0 हरदासबिगहा उर्दू (B.Ed. 2017-19)
02	मो0 फैज आलम	मो0 समी अहमद	सर सैयद उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, लोदी कटरा, थाना– खाजेकलाँ, जिला–पटना, पिन कोड–800008	17	GEN	20.02.1988	बेसिक	प्रा0वि0 फुलवरिया
03	मो0 तौसिफ जफर	मो0 सलीम जफर	शाहीन पैलेस, घघा घाट सुल्तानगंज, महेन्द्रु पटना, पिन–800006	69	EBC	10.01.1993	बेसिक	प्रा0वि0कुथी अनुसूचित जाति
04	अफशां परवीन	मो0 रजिउद्दीन	एहसान कॉलोनी, लोदी कटरा, पटना सिटी, पिन–800008	75	GENF	01.02.1984	बेसिक	ABSENT
05	इजफार आलम	मो0 मतीउर्रहमान	ग्राम+पोस्ट–सिंघारी, वाया– सोन्था, थाना– कोचाधामन, जिला– किशनगंज, पिन–855115	82	BC	15.03.1987	बेसिक	प्रा0वि0 नेयर अनु0 जाति (B.Ed 2010-11)

1 संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक –पत्र, BTET/ CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगें।

2 योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3 योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4 प्रमाणपत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5 संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेगें।

6 उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

अनुसूची – 3
(जिला का नाम – समस्तीपुर)
(पंचायत नियोजन इकाई मोरसंड, प्रखण्ड – पूसा)
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली – 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (.....विषय.....) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति पूर्णतः औपबंधित होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी , यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर इस सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आमिर अली इमाम	सफर इमाम	ग्राम–जितवारपुर चौथ पो०–समस्तीपुर थाना–समस्तीपुर जिला–समस्तीपुर	53	UR	14/10/996	सामान्य	प्रा० वि० ग्रामीण प्रतिष्ठान बिरौली
2	मोना कुमारी	संजय कुमार	ग्राम–दिघरा पो०–दिघरा थाना–पूसा जिला–समस्तीपुर	09	EWS (F)	25/03/1995	सामान्य	प्रा० वि० ग्रामीण प्रतिष्ठान बिरौली
3	रिंकी कुमारी	रघुनाथ ठाकुर	ग्राम–नौवाचक पो०–मलिकौर थाना–पूसा जिला–समस्तीपुर	28	UR (F)	09/01/1992	सामान्य	प्रा० वि० मोरसंड जागीर मुसहरी टोल वार्ड नं० 8
4	विजय कुमार	शिवनन्दन महतो	ग्राम–कोरबद्धा पो०–लगुनियाँ सूर्यकण्ड थाना–समस्तीपुर जिला–समस्तीपुर	19	BC	31/03/1995	सामान्य	प्रा० वि० डीह टोल वार्ड नं० 5 मोरसंड
5	विवेक रंजन	शशि रंजन मिश्रा	ग्राम–कैजिया विष्णुपुर पो०–चन्दौली थाना–वैनी ओ पी जिला–समस्तीपुर	32	UR	22/06/1994	सामान्य	प्रा० वि० मोरसंड कुम्हिरा वार्ड नं० 13

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव
पंचायत निर्वाचित इकाई मोरसंड
प्रखण्ड – पूसा जिला–समस्तीपुर

ज्ञापांक 61 दिनांक 23.02.2022

प्रतिलिपि :– 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचथार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

सचिव
पंचायत निर्वाचित इकाई मोरसंड
प्रखण्ड – पूसा जिला–समस्तीपुर

B.Ed. 2017-19 (54) MANUU, CTE, Bhopal

जिला का नाम :– दरभंगा
नियोजन इकाई का नाम :– प्रखण्ड शिक्षक नियोजन ईकाई, बेनीपुर

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञाप्ति पदो के विरूद्ध मध्य विद्यालय के (विषय – समाज विज्ञान) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूचीः–

क्र0 स0	अभ्यर्थी का नाम	पिता–पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	चयनित आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड (बेसिक / स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01	विद्याभूषण यादव	श्री राम अयोध्या प्रसाद	ग्रा0 जलालपुर, पो0 रसलपुरा, थाना डोरीगंज, जिला छपरा, पिन 841211	03	BC	20.01.1988	6-8	म0वि0 लवानी
02	मालती कुमारी	श्री रामरतन साहू	ग्रा0 ब्रह्मपुरा, पो0 घोघरडीहा, थाना फुलपरास, जिला मधुबनी, पिन 847402	243	EBCF	10.05.1987	6-8	म0वि0 बेलौन
03	प्रियंका कुमारी	श्री राम कुमार	ग्रा0+पो0+थाना घनरूआ, जिला पटना, पिन	3015	EBC	25.06.1986	6-8	म0वि0 पोहदी
04	प्रियंका कुमारी	श्री बिरेन्द्र प्रसाद यादव	ग्राम महथौर, पो0 महथौर, थाना फुलपरास, जिला मधुबनी, पिन 847409	480	RF	28.02.1993	6-8	म0वि0 रढ़ियाम
05	प्रियंका कुमारी	श्री राजेन्द्र यादव	ग्रा0 चकमसकन, थाना सूर्यगढ़ा, जिला लक्खीसराय, पिन 811106	5432	BCF	05.02.1989	6-8	उ0म0वि0 बाथो
06	खुशबु रानी	श्री पवन कुमार	ग्रा0+पो0 हाजपुरा, थाना+ जिला बैशाली, पिन 844111	4382	BCF	15.03.1993	6-8	उ0म0वि0 त्रिमुहानी
07	अनामिका कुमारी	श्री जनेश्वर राय	ग्रा0 घनछूलँ, थाना चौड़ी, जिला भोजपुर, पिन 802206	4637	URF	15.07.1994	6-8	म0वि0 महिनाम कन्या
08	जयन्ती झा	डा0 विश्वम्भर झा	मो0 मिश्रटोला, पो0 लालबाग, थाना सदर, जिला दरभंगा, पिन 846004	803	UR	31.07.1981	6-8	म0वि0 माधोपुर
09	भारती झा	श्री पवन कुमार झा	न्यू माइका कॉलोनी, दीघा घाट, पटना	1088	URF	06.02.1993	6-8	म0वि0 सज्जनपुरा
10	सोनी	श्री रविन्द्र कुमार सिंह	वार्ड नं0 16 नई कॉलोनी, बालुघाट, दीपनगर, महम्मदपुर, मुजफ्फरपुर, पिन 842001	1293	URF	04.09.1988	6-8	उ0म0वि0 बलनी
11	अनामिका कुमारी	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	ग्रा0 वारिसपुर, पट्टी, पो0 वारिसनगर, थाना भगवानपुर, जिला बैशाली, पिन 844114	4637	UR	30.11.1993	6-8	म0वि0 धीरे
12	अर्चना कुमारी	श्री इन्द्रदेव ईस्सर	ग्रा0 मय सिकन्दरपुर, पो0 बेनीगीर, थाना मुफ्फसिल, जिला मुंगेर, पिन 811202	5479	URF	15.03.1986	6-8	म0वि0 जरिसों
13	प्रीति कुमारी	श्री दिनेश पाठक	ग्रा0 सहोड़ा, पो0 आनन्दपुर, थाना ए0पी0एम0 दरभंगा, जिला दरभंगा, पिन 847101	1527	URF	10.09.1975	6-8	म0वि0 कन्थुडीह

14	पिंकी कुमारी	श्री राघवेन्द्र प्र0 सिंह	ग्रा0 बंगरहटा, थाना सिंघिया, जिला दरभंगा, पिन 848209	1680	URF	30.03.1986	6-8	म0वि0 घोबियाही
15	सरिता कुमारी	पति श्री उजेला यादव पिता सुखबिलास यादव	ग्राम+पो0 मसौढ़ा, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर, भभुआ	1637	URF	11.12.1981	6-8	म0वि0 हावीमौआड़ कन्या
16	मेघु कुमार रजक	श्री रिखदेव बैठा	ग्रा0+पो0 इजोरवारा, थाना फेनहारा, जिला पूर्वी चम्पारण, पिन 845430	4018	SC	06.05.1991	6-8	म0वि0 कन्हौली
17	दिनेश राम	श्री रामप्रीत राम	ग्रा0+पो0 सिरहिया चाँद, जिला कैमूर, पिन 821106	8759	SC	22.07.1986	6-8	म0वि0 मलौल ब्रह्मपट्टी
18	मो0 असमत अली	मो0 अब्दुल जब्बार	ग्रा0+पो0 बागनगर, थाना महलगाँव, जिला अररिया, पिन 854325	605	UR	16.11.1990	6-8	म0वि0 कोठबन्ना
19	अजय कुमार मंडल	श्री तेजन मंडल	ग्राम हनुमाननगर, पो0 बेनीपुर, थाना बहेड़ा, प्रखण्ड बेनीपुर, जिला दरभंगा पिन 847103	879	UR	15.06.1983	6-8	म0वि0 मायापुर
20	निरंजन स्वामी	श्री रामसेवक ठाकुर	ग्राम कचनरवा, पो0 बेलही, थाना लौकही, जिला मधुबनी, पिन 847108	397	EBC	04.04.1992	6-8	म0वि0 डीह तरौनी
21	बिपीन कुमार साह	श्री कालेश्वर साह	ग्रा0 बेलापेमू, पो0 मौजमपट्टी, थाना बी0 कोठी, जिला पूर्णिया, पिन 854203	8793	EBC	10.02.1994	6-8	म0वि0 मलौल मुसहरी
22	आकाश कुमार	श्री राजीव सिंह	ग्राम केशावे, पो0 केशावे, थाना बरौनी, जिला बेगुसराय, पिन 851134	869	UR	18.09.1996	6-8	म0वि0 बिकूपट्टी
23	तरूणकांत झा	श्री रविन्द्र ना0 झा	ग्रा0+पो0 पौड़ी, थाना बहेड़ा, जिला दरभंगा पिन 847201	480	UR	04.02.1977	6-8	म0वि0 कल्याणपुर
24	सुमित कुमार	श्री नर्मदेश्वर पाण्डे	ग्रा0 सोरपनियाँ, पो0 पचपकड़ी, थाना ढाका, जिला पूर्वीचम्पारण, पिन 845427	513	UR	02.11.1991	6-8	म0वि0 इटहरवा
25	मो0 रासीद नशीम	मो0 नशीम	ग्रा0 जिरात, पो0 बिरौल, थाना घनश्यामपुर, जिला दरभंगा, पिन 847203	1075	UR	02.02.1995	6-8	म0वि0 अचलपुर

B.Ed 2017-19

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक–प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगें।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तलेपन/गलत पाये जाने कि स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन ईकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगें।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23.02.2022

सचिव,
(प्रखण्ड शिक्षक नियोजन ईकाई, बेनीपुर)

ज्ञापांक :..22.....बेनीपुर, दिनांकः- 23/02/2022

प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि :- विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगें।

23.02.2022

सचिव,
(प्रखण्ड शिक्षक नियोजन ईकाई, बेनीपर)

(155) B.Ed-2017-19 MANUU. CTE. Bhopal.

जिला का नामः–नालन्दा

नियोजन इकाई का नामः–बिहारशरीफ नगर निगम

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय–उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूचीः–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अब्दुल बारी	मो0 खालिद	ग्रा0–पुरन्दाहा वार्ड न0–4 पो0–डोरियासोनापुर थाना–सिमराहा जिला–अररिया	182	EBC	10.08.1992	बेसिक	उ॰ प्रा॰ वि॰ अलाई मोहल्ला

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र BETET / CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23/2/22

नगर आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
बिहारशरीफ नगर निगम नियोजन,
समिति।

ज्ञापांक.....38...../ दिनांक– 23-02-22

प्रतिलिपि –1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

23/2/22

नगर आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
बिहारशरीफ नगर निगम नियोजन,

(56) B.Ed. 2017-19 MANUU, CTE, BPL.

जिला–पूर्णियाँ

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई ज्ञानडोव, प्रखंड– अमौर,

कार्यालय–आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक विद्यालय के **बेसिक ग्रेड के विषय उर्दू** में शिक्षक के रूप मे निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी ।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची मे अंकित पदस्थापन के विद्यालय मे योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

चयनित अभ्यर्थीयों की सूची :–

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो0 शाहजाद हुसैन	मो0 शुजाउद्दीन	बहादरपूर, अमौर	31	UR	18/01/1993	उर्दू	प्रा0 वि0 सिमलबाडी नगराटोला

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगें । साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ –पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप सलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगें ।
2. योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रसतुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानुनी कारवाई की जाएगी ।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगें ।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षको पर प्रभावी होगा ।

पंचायत सचिव,
पंचायत नियोजन इकाई ज्ञानडोव,
अमौर (पूर्णियाँ)।

ज्ञापांक– 01 ज्ञानडोव, पूर्णियाँ, दिनांक– 23-02-2022

प्रतिलिपि :– संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचुक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, अमौर / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमौर / प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अमौर को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगें ।

प्रतिलिपि :– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, पूर्णियाँ / जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ समर्पित।

23-02-2022

पंचायत सचिव,
पंचायत नियोजन इकाई ज्ञानडोव,
अमौर (पूर्णियाँ)।

(57) B-Ed : 2017-19 MANUU. CTE. Bhopal

अनुसूची-3

कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, पलासी (अररिया)

नियोजन-पत्र

प्रखण्ड का नाम– पलासी जिला– अररिया

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली 2012 यथा संशोधित के आलोक में 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय.....उ.म.वि.मोहनियाँ.....के लिए(अनु./वि./पि.वर्ग) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी। अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित प्रपत्रशः ।। के विवरण में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	गैरा क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड शिक्षक/शिक्षिका	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	रजी अहमद	मो० रफीक उद्दीन	ग्राम-दौलतपुर पो०-उकबा जिला-अररिया बिहार		EBC	31/12/1993	स्नातक	उ०म०वि० मोहनियाँ

1. सम्बंधित अभ्यर्थी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय में योगदान करते हुए विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, सर्टिफेट/स्कोरेट रिजल्ट कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण–पत्रों आदि की सत्यता के सम्बंध में न्यायिक कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अनुमंडल स्तरीय चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने सम्बंधि घोषण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण–पत्र जाली/अन्तर्लेपण/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. सम्बंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से सम्बंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त्त सम्बंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सदस्य सचिव
प्रखण्ड नियोजन समिति
–सह–
प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी
पलासी (अररिया)

ज्ञापांक–12 / दिनांक 23/02/2022

प्रतिलिपि– सम्बंधित नवनियुक्त शिक्षक/प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलासी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ समर्पित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिला के एनआईसी नेटवर्क पर अपलोड करना चाहेंगे।
प्रतिलिपि– जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ समर्पित।

23-02-022

सदस्य सचिव
प्रखण्ड नियोजन समिति
–सह–
प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी
पलासी (अररिया)

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी–सह–समन्वयक, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, पलासी

प्रतिमा कुमारी
प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,
पलासी, अररिया

email- beopalasi@gmail.com
सम्पर्क– 8544412230
6205340615

कार्यालय आदेश

कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, पलासी (अररिया) के ज्ञापांक– 12, दिनांक– 23.02.2022 के निदेशानुसार श्री रजी अहमद, पिता– मो. रकीब उद्दीन, ग्राम– दौलतपुर, पो.– डुब्बा, प्रखण्ड– जोकीहाट, जिला– अररिया का चयन प्रखण्ड शिक्षक (स्नातक ग्रेड) गणित/विज्ञान के पद पर चयनित करते हुए उ.म.वि. मोहनियाँ, में पदस्थापित किया गया है।

अतएव आज दिनांक– 25.02.2022 के अपराह्न के प्रभाव से कार्यालय में योगदान स्वीकृत कर विद्यालय में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
पलासी

ज्ञापांक– 109 /पलासी, दिनांक– 25.2.2022

प्रतिलिपि– सम्बंधित शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, पलासी को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), अररिया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

25.2.2022
प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
पलासी

(58) B.Ed- 2017-19 MANUU. CTE, Bhopal

कार्यालय–प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,भगवानपुर हाट, सिवान

कार्यालय–आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक योजन एवं सेवा–शर्त नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 मे राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरुद्ध प्रारंभिक/मध्य विद्यालय के (स्नातक ग्रेड विषय गणित–विज्ञान) के शिक्षक के रुप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है।शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति, पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी,यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों,तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियो की सूची–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची कमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1.	आदिल हुसैन	अब्दुल रहीम अंसारी	मुरलीपुर, तरैया, छपरा	75	EBC	02.05.1993	स्नातक	उ.म.वि.बनसोहीं कन्या

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र /अंक पत्र,BTET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक, दण्ड़ाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में(विहित प्रपत्र प्रारुप संलगन) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पायें जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कारवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

ह0–
कार्यपालक पदाधिकारी पं0 स0
सह
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,भगवानपुर हाट।

ज्ञापांक 341 भगवानपुर हाट,दिनांक 23/02/2022

प्रतिलिपि–1.संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2.विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रुप से देना सुनिश्चित करें।
3.जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,सिवान को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

ह0
23/02/22
कार्यपालक पदाधिकारी पं0 स0
सह
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,भगवानपुर हाट।

(59) B.Ed. 2017-19 MANUU, CTE, Bhopal

नवोदय विद्यालय समिति
(एक स्वायत्त संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय
ए-135 ए, शिवाजी नगर, भोपाल-462023

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
(An Autonomous organisation under Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy) Govt. of India
Regional Office
A-135 A, Shivaji Nagar, Bhopal (MP)-462023
Phone : 0755-2480453, 2480267, 2480535, 2489964, 2480343, 2480171 e-mail : navodaya.rosk@gmail.com

F.No.[illegible] Dated: 26.07.2022
By Email/Urgent

To

The Principal,
Jawahar Navodaya Vidyalaya,
Under Bhopal Region

Sub: Engagement of PGTs/TGTs & Misc. Category Teachers on contract basis for the academic year 2022-23 reg.

Ref: NVS Hqrs. letter No.Pers.I/1016/2/2020/E.III/23286-61 dt. 15.06.2022

Sir/Madam,

As per the directions of Samiti Hqrs., Regional Level Committee reviewed the performance grading awarded by the Principals i.r.o. PGTs/TGTs/ Misc. Category Teachers who worked on contract basis during the academic year 2021-22 in JNVs under Bhopal Region.

Now, as per the recommendations of the Regional Level Committee, list of PGTs/TGTs & Misc. Category Teachers for the academic year 2022-23 is attached herewith for further course of action at your end. You are, therefore, requested to contact the candidates and engage them in your JNV purely on contractual basis as per the norms of the Samiti.

1. Obtain the willingness of the candidates for engagement for the academic year 2022-23.
2. Enter in the fresh contract agreement with the candidates allotted to your Vidyalaya.
3. Contract should be made upto 30.04.2023.
4. List of PGTs/TGTs & Misc. Category Teachers along with name of allotted JNV is attached.

Further, it is requested to verify the educational qualifications of the candidate and allow him/her to join the duty, if he/she fulfills all the eligibility conditions prescribed for the post as per the Recruitment Rules of the Samiti. Please ensure to enter into contract agreement in the prescribed proforma, for a period of Ten months with effect from the date of engagement or till the end of April, 2023, whichever is less, excluding long vacations on contract basis. It should be made clear to the candidate by the Principal concerned that the engagement is purely on contract basis and candidate will not have any right for regular appointment.

For contact details of PGTs/TGTs & Misc. Category Teachers candidates you may contact to the Principal, JNV where candidate worked in the last academic year (name of such JNV is mentioned in the list.)

In case any teacher of your Vidyalaya has been provided under review of transfer under Round -1 & 2 transfer list circulated by the Samiti and if any contract teacher is engaged against the said vacancy, you may call for engagement of contract teacher only after the relieving of the teacher concerned who have been transfer to other JNV.

In the event of unwillingness of the candidate to join on contractual basis in the respective Vidyalaya allotted to, the same may be brought to the notice of this office for records.

If any discrepancy is noticed you may communicate to this office immediately.

Encls: As stated.

(P.S.SAMDAR)
DEPUTY COMMISSIONER

Copy to:

1. All Assistant Commissioners, Deputy Commissioners, NVS, HQ, [illegible]

B. Ed 2017-19

LIST OF THE CANDIDATES RECOMMENDED BY THE REGIONAL LEVEL COMMITTEE FOR ENGAGEMENT OF CONTRACT FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23

LIST OF TGTs

Sl. No	Name Of Teacher	Previous JNV (Distt.) worked during 2021-22	Post	Present JNV to be allotted for 2022-23	Remarks
	VANDANA KUMARI	BOLANGIR	TGT HINDI	Bolangir (Odisha)	
	RAVI PRAKASH	BEMETARA	TGT HINDI	Bemetara (C.G.)	
	PUJA KAURAV	KHURDA	TGT HINDI	Ashoknagar (M.P.)	
	VIJAY SHRIWAS	BALRAMPUR	TGT HINDI	Dantewada (C.G.)	
	MAHENDRA PRASAD	CUTTACK	TGT HINDI	Cuttack (Odisha)	
	MANOJ BACHLE	UJJAIN - I	TGT HINDI	Dindori (M.P.)	
	SWATI MISHRA	KORAPUT	TGT HINDI	Koraput (Odisha)	
	S S PARMAR	DHAR	TGT HINDI	Dhar (M.P.)	
	SANGITA TIWARI	KORBA	TGT HINDI	Korba (C.G.)	
	VISHNU MISHRA	GANJAM	TGT HINDI	Ganjam (Odisha)	
	TIKESHWARI CHANDRA	SURAJPUR	TGT HINDI	Bagbahra (C.G.)	
	VIJAYA KUMAR DWIVEDI	BARGARH	TGT HINDI	Bargarh (Odisha)	
	PARIKSHIT MISHRA	BHIND	TGT HINDI	Agarmalwa (M.P.)	
	ABHILASHA PANDEY	BARWANI	TGT HINDI	Nuapada (Odisha)	
	HARSHA SHARMA	JANJGIR CHAMPA	TGT HINDI	Dantewada (C.G.)	
	UMESH KUMAR SAHU	RAJNANDGAON	TGT HINDI	Rajnandgaon (C.G.)	
	MANISH KUMAR GAUTAM	KEONJHAR	TGT HINDI	Kendrapara (Odisha)	
	KAMAL DAS MACHHRKE	BALAGHAT	TGT HINDI	Chhatarpur (M.P.)	
	GOVIND CHAUHAN	KONDAGAON	TGT HINDI	Kondagaon (C.G.)	
	TRAPTI BAJPAI	MUNGELI	TGT HINDI	Puri (Odisha)	
	NISHANT RAIKWAR	BURHANPUR	TGT HINDI	Angul (Odisha)	
	UMASHANKAR	KHARGONE	TGT HINDI	Malkangiri-II (Odisha)	
	DEEPIKA DHANNOURIYA	PANNA	TGT HINDI	Shivpuri (M.P.)	
	RANJANA TIWARI	DURG	TGT HINDI	Janjgir- Champa (C.G.)	
	KISHORE KUMAR SAHU	MAHASAMUND	TGT HINDI	Mahasamund (C.G.)	
	UPENDRA KUMAR	JANJGIR CHAMPA	TGT HINDI	Sukma-I (C.G.)	
	NEHA YADAV	CHHINDWARA	TGT HINDI	Chhindwara (M. P.)	
	SUNIL DUTT MAURYA	BOUDH	TGT HINDI	Boudh (Odisha)	
	VIVEK KUMAR	BOUDH	TGT HINDI	Boudh (Odisha)	
	NEMI CHAND SONI	BALODA BAZAR	TGT HINDI	Baloda Bazar (C.G.)	
	NEETU SINGH	SAMBALPUR	TGT HINDI	Sambalpur (Odisha)	
	RUKMANI SAINI	HARDA	TGT HINDI	Ganjam (Odisha)	
	GOURI SAHU	RAIGARH	TGT HINDI	Raigarh (C.G.)	
	MANOJ PATNE	MANDLA	TGT HINDI	Malkangiri-I (Odisha)	
	RAGINI RATHORE	KORBA	TGT HINDI	Janjgir- Champa	
	PRABHA PRASHAD	NARAYANPUR	TGT HINDI	Sukma (C.G.)	
	S PUROHIT	PHULBANI	TGT HINDI	Phulbani (Odisha)	
	SUBASH CHANDRA KAR	GANJAM	TGT ENGLISH	Gajapati (Odisha)	
	MANOJ KUJUR	BEMETARA	TGT ENGLISH	Bemetara (C.G.)	
	MINTU MAITY	CUTTACK	TGT ENGLISH	Nayagarhberg (Odisha)	
	RAHUL DOHARE	DINDORI	TGT ENGLISH	Dhamtari (M.P.)	
	DINESH KAROL	JHABUA - II	TGT ENGLISH	Rajgarh (M.P.)	
	SADDAM HOSSAIN	MALKANGIRI - I	TGT ENGLISH	Malkangiri-I (Odisha)	
	DEEPAK KUMAR	SHIVPURI	TGT ENGLISH	Shivpuri (M.P.)	
	RAJANI ATHAWALE	HARDA	TGT ENGLISH	Harda (M.P.)	
	RAHAMUDDIN ANSARI	SHAJAPUR	TGT ENGLISH	Shajapur (M.P.)	
	SAPNA AWASTHI	SHAJAPUR	TGT ENGLISH	Shajapur (M.P.)	
	BHAGAT SINGH PARTE	MUNGELI	TGT ENGLISH	Mungeli (C.G.)	
	SHWETA RANI	SHIVPURI	TGT ENGLISH	Ashoknagar (M.P.)	
	AVNI PARMAR	UJJAIN - II	TGT ENGLISH	Indore (M.P.)	
	AMIT KUMAR	SIDHI	TGT ENGLISH	Sundergarh (Odisha)	
	PRAVEEN DWIVEDI	GWALIOR	TGT ENGLISH	Sidhi (M.P.)	
	DEEKSHA TIWARI	ANUPPUR	TGT ENGLISH	Anuppur (M.P.)	
	SHUKLA TADAH	DHAMTARI	TGT ENGLISH	Dhamtari (C.G.)	
	MUKTESH KUMAR PATEL	RAJNANDGAON	TGT ENGLISH	Rajnandgaon (C.G.)	
	SAIYED JAVED ALI	SHEOPUR	TGT ENGLISH	Keonjhar-II (M.P.)	
	[illegible]	SARSINGHPUR	TGT ENGLISH	Kanker (M.P.)	
	[illegible]	MUNGELI	TGT ENGLISH	Narsinghpur (M.P.)	
	[illegible]	JHABUA-II	TGT ENGLISH	[illegible]	
	[illegible]	KONDAGAON	TGT ENGLISH	[illegible]	

B.Ed - 2017-19

MANUU, CTE. Bhopal

17BBEDO33BTT

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA

जवाहर नवोदय विद्यालय

Ministry of Human Resources Development (Education Department) Govt. of India

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग भारत सरकार

Ozhar Distt. Barwani (M.P.) Pin No.451449 (07284) 264255

ओझार, जिला बड़वानी (म.प्र.)पिन 451449

Web:https://www.navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/BARWANI/en/home/ Email: jnvbarwani@gmail.com

F.No. CONTRACT/JNV-BAR/2021-22/ 1635

Dated: 03/12/2021

To,

MD Masamuddin
Deoghar
E-mail: afrahasham16394@gmail.com
Mobile No.: 8271550597

Sub: Offer of engagement against the Post of TGT (ENGLISH) on Contractual basis.-reg.
Ref:- No. F. 28.1/2021/NVS-BPL/Pers./3848 Dated: 22.11.2021.

Sir/Madam,

You are hereby offered the engagement purely on contractual basis on against the post of TGT (English) the following terms and conditions:

a) Execution of contract agreement.
b) Total emoluments on contractual basis : Consolidated amount of Rs. 34125/- per month during the currency of contract shall be paid.
c) Your place of posting is JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, Shajapur (MP) However, you are liable to be posted in any JNV under this region.
d) You will not be entitled for any travelling allowances for joining the engagement on the contract basis.
e) You shall produce the following certificates in original alongwith photocopy duly attested to Principal concerned for verification.
   i) High Sec./Sr.Sec./BA/B.Sc./BCA/MA/M.Sc./B.Ed. marksheet and certificate issued by the Board/University.
   ii) Date of Birth Certificate.
   iii) Experience Certificate, if any.
   iv) Other testimonial, if any.

If the offer of engagement for the above said post is acceptable to you as per terms and conditions referred above, you are requested to report to Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Shajapur (MP) latest by 07th Dec. 2021, failing which the said offer of appointment will stand cancelled/withdrawn and no further correspondence will be entertained in this regard.

Please note that the engagement on contract basis does not bestow any right for regular post as this is purely temporary/stopgap arrangement and you will have no claim for any regular post in the Samiti.

Yours faithfully,

Principal
(JNV Barwani (M.P.))

Copy to:- 01. The Dy. Commissioner, NVS, RO, Bhopal for information.
02. The Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Shajapur (MP) for information.

PRINCIPAL

(60) B.Ed. 2017-19 MANUU. CTE. Bhopal

जिला का नाम:- दरभंगा

नियोजन इकाई का नाम:- नगर परिषद, बेनीपुर

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय:- सामाजिक विज्ञान) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड(बेसिक/स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01.	SAHINA PARWEEN	SHAUKAT ALI	SARAI MANER, PATNA	464	EBC(F)	03.01.1990	GRADUATE	U.M.S DHARAURA
02.	PRATIMA KUMARI	BHAVISHYA PODDAR	PARMANANDPUR, KOSHI COLLEGE, KHAGARIA	216	UR(F)	02.01.1988	GRADUATE	M.S BALHA
03.	KISLAY KUMARI	SATYANAND CHOUDHARY	HARIHARPUR, SINGHWARA, DARBHANGA	229	UR(F)	15.06.1993	GRADUATE	M.S HANUMAN NAGAR
04.	RANVEER KUMAR DAS	MAHENDRA DAS	MAHINATHPUR, KHARAUA, RAHIKA, MADHUBANI	355	SC	10.06.1994	GRADUATE	M.S DHERUKH
05.	MD. AHLULLAH	MD. GAYASUDDIN ANSARI	ANDHRA, ANDHRATHARI, MADHUBANI	46	EBC	05.10.1995	GRADUATE	M.S MAJHAURA
06.	BABLU KUMAR YADAV	KAPILDEV YADAV	NAVTOLSISWA BARHI, PHULPARAS, MADHUBANI	34	BC	06.06.1993	GRADUATE	M.S NANDAPATTI
07.	DHEERAJ KUMAR MISHRA	AMIR MISHRA	BHEJA, MADHEPUR, MADHUBANI	18	UR	20.09.1995	GRADUATE	U.M.S BHAGWATPUR

1. सम्बंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BSTET/CTET Result Card की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों की दहेज बही लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अंतर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगें।

6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर निर्मित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी सह सचिव
नगर शिक्षक नियोजन समिति
नगर परिषद बेनीपुर

ज्ञापांक:.....294..... बेनीपुर, दिनांक ...23/02/2022...

प्रतिलिपि:- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रुप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगें।

23/2/22
कार्यपालक पदाधिकारी सह सचिव
नगर शिक्षक नियोजन समिति
नगर परिषद बेनीपुर
23/02/2022

(61) B. Ed. - 2017-19 MANUU CTE. Bhopal

Letter of Appointment

Date: 4TH FEBRUARY, 2022

Name: MD. ASHIQUE HUSAIN

Address: WARD NO. 10, NIRPUR, SAMASTIPUR, BIHAR - 848129

Dear MD. ASHIQUE HUSAIN

Appointment as Assistant Professor.

I am pleased to inform you that as per the panel of Lecturers of the selection committee and approval of the managing committee, you are appointed to act as Lecturer/Asstt.Professor in Bihar College of Education with effect from dated 4TH FEBRUARY, 2022 on regular basis as a full time on the following term & conditions subject to final approval of UR and successfully completion of probationary period.

1. SALARY

You will be paid consolidated salary of Rs. 25000/- (Rupees Thirty thousand) per month only.

2. PROBATIONARY PERIOD

Your probationary period will be two Years. After completion of probationary period an official confirmation of your appointment will be notified to you in writing.

3. WORKING HOURS

Your working hours will be as follows:

Mon - Sat : 09.30 AM TO 4.30 PM.

Lunch Break : 02.00 PM TO 2.30 PM.

(62)

MANUU. CTE, Bhopal

अनुसूची–3

(जिला–पटना)

(प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई मोकामा)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के **(उर्दू विषय 1–5)** के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूचीः–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो० नदीम	मो० तौहीद	ग्रा०–दरियापुर, पो०+थाना–हथिदह, पटना।	65	UR	09.02.1994	बेसिक	मध्य विद्यालय बादपुर
2	मो० अरशद हुसैन	मो० अहमद हुसैन	ग्रा०–तारण, पो०–दुवा, थाना–जोकिहाट, अररिया।	76	UR	05.07.1984	बेसिक	मध्य विद्यालय बरहपुर
3	वक्कार महमूद	महमूद आलम	ग्रा०–कोदमरई, पो०–पिजंरावाँ, थाना–कुर्था, अरवल।	100	EBC	13.09.1995	बेसिक	मध्य विद्यालय मोर

B. Ed- 2017-19, 4

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधी विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव

(प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई मोकामा)

28/07/20

(63)

MANUU. CTE. BPL.
B.Ed. 2017-19.

जिला का नाम :– दरभंगा
नियोजन इकाई का नाम :– दरभंगा सदर।

कार्यालय आदेश

Sl.No.-69

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष–2019–2020 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध मध्य विद्यालय के (विषय–समाजिक विज्ञान) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड (बेसिक/ स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	लुसी कुमारी	गोवर्धन मंडल	ग्राम घुटियानी, पो0 मदारगंज, थाना अमडंडा, जिला भागलपुर, 813204	972	EBC दिव्यांग	03-02-1992	स्नातक	म0वि0 मथुरापुर कबीरचक
02	सबिता सिंह	दिनेश्वर सिंह	ग्राम चौखड़ा रामनगर, पो चतरा, थाना कोपा, जिला सारण, 841213	5749	UR दिव्यांग	03-01-1990	स्नातक	उ0म0वि0 सारा मोहनपुर हिन्दी
03	श्याम कुमार यादव	शिव नारायण यादव	ग्रा0+पो0 मनसापुर, थाना लौकही, जिला मधुबनी, 847108	4040	BC दिव्यांग	08-10-1989	स्नातक	म0वि0 मथुरापुर कबीरचक
04	अनिल कुमार ठाकुर	राम कृपाल ठाकुर	ग्राम+पो0 पिड़ौखर, थाना मधवापुर, जिला मधुबनी, 843319	5551	UR दिव्यांग दृष्टि वाधित	01-01-1974	स्नातक	म0वि0 पररी
05	हरिओम कुमार	बेचू साह	ग्राम+पो0+थाना कुनौली, जिला सुपौल, 847451	1704	EBC	15-08-1990	स्नातक	उ0म0वि0 मिश्रौलिया
06	मनीता कुमारी	श्याम ठाकुर	ग्राम बेला याकूब, पो0 कबीरचक, जिला दरभंगा 846009	7901	ST	07-01-1984	स्नातक	म0वि0 मथुरापुर कबीरचक
07	सरिता कुमारी	चौधरी राजकुमार	ग्राम गंगाबिहार कॉलनी, पो0+थाना दीघा, जिला पटना, 800011	4751	SC	11-01-1988	स्नातक	उ0म0वि0 अतिहर कन्या
08	प्रगति नन्दन	अर्जुन पासवान	ग्राम+पो0 वासुदेवपुर, थाना कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर, 848102	8131	SCF	18-01-1989	स्नातक	म0वि0 धोई
09	आशा कुमारी	शोभनाथ राम	ग्रा0 भेतरी, थाना+पो0 भभुआ, जिला कैमुर 821101	8142	SCF	05-10-1983	स्नातक	म0वि0 गौसाघाट

Scanned with CamScanner

61	डौली	मनोज कुमार सिंह	ग्राम मानपुर, पो0+थाना लालगंज, जिला वैशाली, 844121	248	UR	17-03-1988	स्नातक	म0वि0 सोनकी
62	श्वेता कुमारी	राकेश कुमार सिंह	ग्राम रामदीरी रामनगर, नयाटोला, पो0 रामदीरी, थाना मटिहानी, जिला बेगुसराय, 851129	445	UR	07-10-1993	स्नातक	उ0म0वि0 भगवानपुर
63	श्वेता रंजन	कृष्ण कुमार सिंह	ग्राम दुधैला गाछी, थाना+पो0 सोनपुर, जिला सारण, 841101	354	UR	11-02-1984	स्नातक	उ0म0वि0 अतिहर कन्या
64	बबिता यादव	रमेश चन्द्र यादव	ग्राम+पो0 सलेमपुर बघाई, थाना बहरियाबाद, जिला गाजीपुर, उ0 प्रदेश, 275204	802	UR	20-05-1990	स्नातक	उ0म0वि0 करहटिया
65	निशा कुमारी	नागेन्द्र सिंह	ग्राम अगरपुर, पो0+थाना लालगंज, जिला वैशाली, 844121	498	UR	28-09-1994	स्नातक	उ0म0वि0 मब्बी
66	नीतू कुमारी	तपोनाथ झा	मो0 प्रोफेसर्स कॉलनी, दीघधी पश्चिम, जिला दरभंगा, 846004	312	UR	25-02-1979	स्नातक	उ0म0वि0 बसैला
67	किरण कुमारी,	श्यामाशीष मिश्रा	ग्राम दिलावरपुर, पो0 मिल्कीचक, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा, 846009	1010	UR	28-01-1977	स्नातक	उ0म0वि0 देवारी
68	निशा राज	ध्रुव नारायण सिंह	मो0 थुकहीया, ग्रा0+पो0+थाना+ जिला वैशाली, 844128	1476	UR	01-01-1988	स्नातक	उ0म0वि0 मझिगामा
69	सुमैला प्रवीण	रजी अहमद	मो0 न्युकॉलनी, वार्ड सं0 39, पोखड़या, जिला बेगुसराय, 851101	1154	UR	06-06-1992	स्नातक	उ0म0वि0 लोआम उर्दू
70	अनुपमा कुमारी	अमरेन्द्र कुमार सिंह	ग्राम अर्कपुर, पो0 शिवपुर सकरा, थाना असॉव, जिला सिवान, 841245	1485	UR	13-07-1982	स्नातक	उ0म0वि0 मझिगामा
71	अंशु कुमारी	भरत उपाध्याय	मो0 महात्मागांधीनगर, बाजार समिति रोड, थाना बक्सरनगर, पो0 गजाधरगंज, जिला बक्सर, 802103	861	UR	11-02-1990	स्नातक	उ0म0वि0 कबीरचक
72	आलोकिता कुमारी	प्रभात कुमार सिंह	ग्राम+पो0+थाना गोरियाकोठी, जिला सिवान, 841434	2617	UR	28-04-1989	स्नातक	उ0म0वि0 मझिगामा
73	प्रेरणा	मणी भूषण कुमार	मो0 बी0बी0 गंज, आनन्दपुरी, पो0 प्रधान डाकघर, थाना सदर, जिला मुज्जफरपुर, 842001	1821	UR	09-11-1987	स्नातक	उ0म0वि0 बलहा
74	अनामिका सिंह	दिनेश सिंह	ग्राम बिलखुरी, पो0 कर्मनाशा, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर, 821105	1868	UR	20-02-1991	स्नातक	उ0म0वि0 सोन्हान

B.Ed. 2017-19 ?
2017-19

Scanned with CamScanner

104	प्रवीण कुमार प्रणव	नकुल प्रसाद	ग्राम+पो रसोंक, थाना मोरकाही, जिला खगड़िया, 851205	657	BC	12-02-1994	स्नातक	उ0म0वि0 तेलहन
105	राम कुमार यादव	गुलटेन यादव	ग्राम+पो0 महथौर खुर्द, थाना फुलपरास, जिला मधुबनी, 847409	9614	BC	24-12-1994	स्नातक	उ0म0वि0 टीकाटोल
106	रंजित कुमार वर्मा	अनिल कुमार	ग्राम डिहरी, पो0 उकुराई परसियां, थाना नासरीगंज, जिला रोहतास, 821310	741	BC	18-04-1993	स्नातक	म0वि0 भालपट्टी
107	सुधीर कुमार	राम ईश्वर सिंह	ग्राम+पो0 मुकुन्दपुर भाथ, थाना जन्दाहा, जिला वैशाली, 844507	748	UR	12-03-1978	स्नातक	उ0म0वि0 रूचौल
108	गोविन्द नारायण	शशि भूषण प्रसाद सिंह	ग्राम+पो0 गोकुला रूपौली, थाना पारू, जिला मुज्जफरपुर, 843120	465	UR	14-11-1990	स्नातक	म0वि0 कंसी
109	प्रशान्त कुमार	बजरंगी सिंह	ग्राम हर्षपुरा, पो0 चोरौवाँ, थाना बनियापुर, जिला सारण, 841403	1094	UR	01-08-1991	स्नातक	उ0म0वि0 फैजला
110	सुबोध कुमार	कृष्णा शर्मा	ग्राम+पो0 केसपा, थाना अलीपुर, जिला गया, 824235	1774	UR	10-10-1991	स्नातक	म0वि0 छोटाईपट्टी
111	राजीव रंजन	भोला प्रसाद सिंह	ग्राम चण्डीनामा, पो0 काशीचक, जिला नवादा, 805130	1482	UR	25-04-1980	स्नातक	उ0म0वि0 महम्मदपुर पांता
112	प्रणय रंजन	परशुराम शाही	ग्राम+पो0 पटेढ़ा, थाना महाराजगंज, जिला सिवान, 841242	292	UR	31-08-1978	स्नातक	म0वि0 रानीपुर
113	शत्रुघ्न साह	राजेन्द्र साह	ग्राम अग्यासपुर, पो0 तेहवारा, थाना सिंहवारा, जिला दरभंगा, 847106	1706	EBC	01-01-1985	स्नातक	म0वि0 कंसी
114	मीनाक्षी कुमारी	सुनील कुमार चौधरी	ग्राम+पो0 भगतपुर, थाना बलिया, जिला बेगूसराय, 851211	849	UR	03-09-1988	स्नातक	उ0म0वि0 महम्मद्पुर पांता
115	शिव कुमार यादव	सत्य नारायण यादव		58	BC	06-04-1990	स्नातक	उ0म0वि0 लोआम हिन्दी

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगें।

2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

Scanned with CamScanner

3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तलेपन/गलत पाये जाने कि स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधी विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमवली एवं समय–समय पर निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव,
24/02/2022
प्रखंड नियोजन इकाई,
दरभंगा सदर।

ज्ञापांक-19(पं0) सं0शि0 दिनांक 24/02/2022

प्रतिलिपि :– संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के **Website** पर **Upload** करना चाहेंगें।

सचिव,
24/02/2022
प्रखंड नियोजन इकाई,
दरभंगा सदर।

Scanned with CamScanner

(64) B.ED. (2017-19) MANUU. CTE. Bhopal.

जिला - पूर्णिया

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई तेघरा, डगरूआ 2019-20

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक विद्यालय के सामान्य/उर्दू विषय के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया हैं। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थियों का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मो० जिशान बाबू	मो० इजहारूल हक	ग्राम- दरियापुर पे०-महलवाड़ी थाना-डगरूआ जिला-पूर्णियाँ	64	UR	25-12-1992	बेसिक विषय - सामान्य	प्राथमिक विद्यालय महेशखुँट

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23-02-2022

सचिव पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई
ग्राम पंचायत राज, तेघरा
डगरूआ, पूर्णिया
प्रखण्ड डगरूआ, जिला-पूर्णियाँ

ज्ञापांक :- 01 डगरूआ, दिनांक :- 23-02-2022

प्रतिलिपि :-

- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना हैं कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।
- प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकरी, डगरूआ, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।
- कार्यपालक पदाधिकरी -सह- पंचायत समिति -सह- प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, डगरूआ को सूचनार्थ समर्पित।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णियाँ/ जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।
- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना हैं कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना सुनिश्चित करें।

23-02-2022

सचिव पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई
ग्राम पंचायत राज, तेघरा
डगरूआ, पूर्णिया
प्रखण्ड डगरूआ, जिला-पूर्णियाँ

सेवा में,

श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया

प्रा० वि० महेशखुँट, डगरूआ (पूर्णियाँ)

विषय - प्रा० वि० महेशखुँट में पंचायत शिक्षक के बेसिक पद पर योगदान करने के संबंध में।

प्रसंग - नगर/प्रखंड/पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई तेघरा के पत्रांक 01 दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के सन्दर्भ में।

महाशया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि मेरी नियुक्ति पंचायत शिक्षक वर्ग (1-5), विषय सामान्य के रूप में प्राथमिक विद्यालय महेशखुँट में की गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि संलग्न नियुक्ति पत्र को देखते हुए आज दिनांक 24/02/2022 के अपराह्न 2 बजे दिन को योगदान स्वीकृत करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाय।

विश्वास भाजन

नाम - मो० जीशान बाबू

पता - हरियापुर, महलबाड़ी, डगरूआ, पूर्णियाँ (बिहार)

854326

आज दिनांक 24/02/2022 को अपराह्न को 2 बजे दिन योगदान स्वीकृत राजाला, पूर्णिया

प्रधानाध्यापक
प्रा० वि० महेशखूट
एड-डगरूआ (पूर्णियां)

(65)

B.ED. (2017-19)
MANUU. CTE.
Bhopal.

अनुसूची- 3

पूर्णिया

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, चोपड़ा

:-कार्यालय आदेश:-

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त्त) नियमावली- 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त्त) नियमावली- 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/~~मध्य~~ विद्यालय पैकिंग 223 के उर्दू विषय के शिक्षक के रुप में नीचे अंकित अभ्यर्थी का चयन नियोजन हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियोजन पूर्णतः ऑनलाईन होगी।

अतः नीचे अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियोजित होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे नीचे अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

चयनित अभ्यर्थी की विवरणी:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	मो० (अख्तर हुसैन	(अब्दुल रशीद	ग्रा०- डाँसवाड़ी पो०- आरजा मोलंघा थाना - बायसी जिला - पूर्णिया	33	UR	11-04-1989	बेसिक ग्रेड	प्राथमिक गुदियाल चक चोला

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित प्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण-पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारुप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थी द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण-पत्र जाली/अनर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियोजन रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियोजन पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त्त संबंधित नवनियोजित शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव 23/2/22
पंचायत सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, पंचायत राज चोपड़ा
-सह-
पंचायत सचिव..... प्रखण्ड-बायसी, पूर्णियाँ
चोपड़ा

ज्ञापांक 05 दिनांक 23-02-2022

प्रतिलिपिः- संबंधित नवनियोजित शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियोजित शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को अचूक रुप से देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बायसी को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बायसी को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि उक्त नियोजन आदेश को जिले के NIC Website पर Upload करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ समर्पित।

सचिव 23/2/22
पंचायत सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज चोपड़ा
-सह-
पंचायत सचिव..... प्रखण्ड-बायसी, पूर्णियाँ
चोपड़ा

MANUU
CTE. BPL.

(66)

B.ED (2017-19)

अनुसूची– 3

कार्यालय सचिव प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई–सह–
प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, हसनपुर (समस्तीपुर)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध मध्य विद्यालय के गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यार्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधित होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यार्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चि करे अन्यथा संबंधित अभ्यार्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यार्थियों की सूची –

क्र0 सं0	अभ्यार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नासरीन	मो0 जब्बार ~~जाबीर~~ हुसैन अंसारी	ग्राम–गददोपुर, पोस्ट– मानपुरा, थाना– बंगड़ा, जिला– समस्तीपुर (बिहार)	284	EBCF	10.09.1989	स्नातक	उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोजी–

1. संबंधित अभ्यार्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र/BTET/CTET Result Card की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समझ प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्र आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यार्थियों को असैनिक शल्यचिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यार्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण–पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति पत्र रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यार्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

अ/–
सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई–सह–
प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, हसनपुर।

ज्ञापांक– 08/28 /दिनांक– 23/02/22

प्रतिलिपि– संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करे।
प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

23.2.22
सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई–सह–
प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, हसनपुर।

(67) B.ED. (2017-19) MANUU. CTE. Bhopal

अनुसूची–3

जिला का नामः– पटना।

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई,मरची, पटना सदर, पटना।

–:कार्यालय आदेशः–

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–2020 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरुद्ध प्राथमिक / मध्य विद्यालयों के (विषय :–उर्दू, बेसिक ग्रेड) के शिक्षक के रुप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फिरदौस जबी	सत्ती ~~सभी~~ अहमद	ग्राम+पो0– जलवटोली, मोगलपुरा,पटना सिटी, पिनकोड–800008	4	EBC	01.01.1996	बेसिक ग्रेड	प्रा0 वि0 देवा राम के चक ,मरची

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारुप संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23/2/2022

सदस्य सचिव–सह–पंचायत सचिव
पंचायत नियोजन समिति, मरची, पटना सदर।

ज्ञापांकः–~~[illegible]~~ 01/ दिनांकः– 23/02/2022

प्रतिलिपिः– 1.संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2.विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रुप से देना सुनिश्चित करें।
3.जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC Website पर Upload करना चाहेंगे।

ज्ञापांकः– ~~[illegible]~~ 01/ दिनांकः– 23/02/2022

प्रतिलिपिः– 1. प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, पटना सदर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

23/2/2022

सदस्य सचिव–सह–पंचायत सचिव
पंचायत नियोजन समिति,मरची, पटना सदर।

MANUU, CTE, BPL

(68) B.Ed - 2017-19

अनुसूची- 3

जिला का नाम- बेगूसराय

नियोजन इकाई का नाम- पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई समसा 02 ,मंसूरचक

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली- 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली- 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालय के (विषय- उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी , यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक /स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कासिद अंसारी	सनाउल्लाह अंसारी	कादराबाद बछवाड़ा बेगूसराय	06	अ० पि० व० रोस्टर बिंदु-832	20/01/1994	बेसिक	रा० प्रा० वि० रखौत मुसहरी

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र /अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही , प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज़ नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली / अंतर्लेपन / गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक /प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति-पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई समसा 02 , मंसूरचक

ज्ञापांक:- 03 दिनांक:- 23/02/2022

प्रतिलिपि :- 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. संबंधित प्रधान शिक्षक/ प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अवश्य रूप से देना सुनिश्चित करें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई समसा 02 ,मंसूरचक

जिला का नाम ...

नियोजन इकाई का नाम ... बहेड़ी

(कार्यालय आदेश)

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) एवं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के उपबंध के तहत वर्ष 2019-20 में सृजित पंचायती प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित सूची के अनुसार प्रारंभिक / मध्य विद्यालय के (विषय–सामान्य I to V) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक की पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अंदर ये सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची –

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	कोटा सूची क्रम	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	पेशा (बेसिक / प्रशिक्षित)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मोहम्मद आं	अनवर हसन आं	ग्राम– बाहेरी बहेड़ी, दरभंगा 847105	6274	UR/PH	02-03-1991	बेसिक	मध्य वि० गनौल
2	नवीन कुमार	विजय साह	ग्राम+पो०– जगन्नाथपुर बिरौल, दरभंगा 848209	6387	PH/ EWS	13-05-1996	बेसिक	मध्य वि० अन्धा बहेड़ी
3	अभिषेक कुमार	रविन्द्र मंडल	ग्राम+पो०– खण्डेश्वर, बहेड़ी दरभंगा 847105	5295	FF/BC	30-11-1989	बेसिक	मध्य वि० मझारपट्टी
4	प्रियंका कुमारी	उमेश सिंह	ग्राम– इलाई बहेड़ी, दरभंगा 847105	213	UR	20-01-1998	बेसिक	मध्य वि० बलौनी
5	सिंह सचिन महेश्वर	महेश्वर सिंह	ग्राम–कोंचहुली पो०– अरगा, बहेड़ी दरभंगा 847105	175	UR	30-05-1998	बेसिक	मध्य वि० अन्धा बहेड़ी
6	इन्दू कुमारी मंडल	विन्देश्वर मंडल	ग्राम– कमौलिया, पो०– खमौरा, बहेड़ी दरभंगा 847105	1098	UR	20-10-1997	बेसिक	मध्य वि० सिंहनियाँ
7	सुमन कुमारी	तारणी प्रसाद सिंह	ग्राम+पो०– इलाई, बहेड़ी, दरभंगा 847105	1709	UR	01-01-1992	बेसिक	मध्य वि० बलहो
8	सीमा कुमारी	जय कान्त सिंह	ग्राम– पिपराही पो०– पसरा बानी– राघोडी जिला– समस्तीपुर 847105	3597	URF	21-12-1993	बेसिक	मध्य वि० धर्मौली
9	सिमता कुमारी	राज कुमार सिंह	ग्राम– हसाकरीया, सोलसा, जयनगर, मधुबनी 847226	3910	URF	17-02-1997	बेसिक	मध्य वि० सिंहनियाँ

10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

26	आरती कुमारी	गीता झा	ग्राम+पो० [illegible] मधुबनी	[illegible]	UR	02-09-1988	बेसिक	म0 वि0 [illegible]
27	अमित झा	[illegible]	[illegible] पो०– [illegible] जिला– मधुबनी	549	UR	14-01-1987	बेसिक	म0 वि0 [illegible]
28	लतिका कुमारी	रामाश्रय यादव	ग्राम– [illegible] खरवाकी मधुबनी मधुबनी 847224	6006	BCT	10-12-1989	बेसिक	म0 वि0 [illegible]
29	कलावती साहनी	सुरेन्द्र साहनी	ग्राम– बेलिहरी मधुबनी	3603	SC	28-12-1987	बेसिक	म0 वि0 सुखती
30	दिनेश कुमार	[illegible] मांझी	ग्राम– फुलपरास पो०– सुजौरौली बहेड़ी, दरभंगा 847101	5038	SC	01-01-1990	बेसिक	म0 वि0 सोनापुर
31	जितेन्द्र चौपाल	जगदीश चौपाल	ग्राम– गौरहो मंजवी बहेड़ी दरभंगा 847101	7538	SC	13-08-1989	बेसिक	म0 वि0 मधुली
32	सोना नन्द दास	राम दास	ग्राम+पो०– मधुली, बहेड़ी दरभंगा 847201	10274	SC	11-02-1981	बेसिक	म0 वि0 भोटियाही पीपरा मलिनीय
33	अवदीप कुमार	राम जितन साहु	ग्राम– मुरहरी पो०– बाबुबरही मधुबनी 847224	2754	EBC	08-03-1988	बेसिक	म0 वि0 बलाकही
34	सलीम	अलाउद्दीन	द्वारा पो०– मुर्रे रतौली प्रखंड– घोघरडीहा जिला– मधुबनी पिन–847402	3341	EBC	28-03-1995	बेसिक	म0 वि0 कटहरवा जगतपुर
35	शिव कुमार साहु	योगेन्द्र साहु	ग्राम+पो०– खंगरैठा, बहेड़ी दरभंगा 847105	4298	EBC	14-06-1987	बेसिक	म0 वि0 सिहुलियाही
36	राजीव कुमार ठाकुर	रूप नारायण	ग्राम– बैरबोना पो०– हिसवार कुलपरास, मधुबनी 847409	4547	EBC	15-08-1986	बेसिक	म0 वि0 सुखती
37	विनय विलास	महेश कुमार झा	ग्राम– जमैला पो०– मदार्ग अमवराही मधुबनी 847401	4630	EBC	28-11-1994	बेसिक	बुलियाही वि0 मलकी
38	प्रभात रंजन	शिव नारायण साहु	ग्राम–बीरपुर लदनिया जिला– मधुबनी 847227	5001	EBC	02-01-1983	बेसिक	म0 वि0 भुसाही
39	सुधीर कुमार	त्रिभुवन साह	ग्राम– बलिनवर्षा, परसरी, लौकही, मधुबनी 847108	5023	EBC	06-07-1995	बेसिक	म0 वि0 हलीडीह
40	रंजन कुमार	योगेन्द्र नारायण यादव	ग्राम– जीमहुर, हरसिंहपुर, बहेरा दरभंगा 847103	1544	UR	19-05-1989	बेसिक	म0 वि0 कटहरवा कमलपुर

B.Ed 2017-19

41	कुमारी किरण कुमारी	बाबू किशोर मंडल	ग्राम+पो- [illegible] थाना-बहेड़ी जि- दरभंगा 847421	500	UR	[illegible]	बेसिक	मध्य वि० [illegible]
42	लाल बाबू ठाकुर	जगे ठाकुर	ग्राम- पूरैनी गोहाम, बहेड़ी, दरभंगा 847105	1711	UR	11-05-1987	बेसिक	मध्य वि० हाजीडीह
43	नितीश कुमार	राम विलास सिंह	ग्राम- रामपुर पो- इनाई बहेड़ी, दरभंगा 847105	1736	UR	11-12-1987	बेसिक	मध्य वि० हाजीडीह
44	बीरेन्द्र कुमार	राधे मंडल	ग्राम+पो- ओरेया, बहेड़ी दरभंगा 847105	1828	UR	23-03-1985	बेसिक	मध्य वि० बांकेपुर बलराम
45	नितिश कुमार	महेश प्रसाद सिंह	ग्राम+पो- इनाई बहेड़ी दरभंगा 847105	2130	UR	06-07-1994	बेसिक	मध्य वि० गड़ाकोली
46	अनिल कुमार यादव	नीलाम्बर यादव	ग्राम- मुसहरवास मधुबनी	2222	BC	13-01-1991	बेसिक	मध्य वि० बसाकही
47	हरिनन्दन कुमार	रामनन्दन सिंह	ग्राम- अरबेलिया, बीरबिन्दुलिया, बहेड़ी, दरभंगा 847201	2326	BC	24-03-1997	बेसिक	मध्य वि० गड़ाकोली
48	मुकेश कुमार	तेज नारायण मंडल	ग्राम+पो- बनौली, बहेड़ी, दरभंगा 847106	2371	BC	06-03-1997	बेसिक	मध्य वि० सिंदुलिया
49	आदित्य कुमार झा	कामेश्वर झा	ग्राम- मलैया सिंदुलिया, बहादुरपुर, दरभंगा 846004	5623	EWS	02-05-1991	बेसिक	मध्य वि० सिंदुलियाही
50	गोविन्द कुमार झा	अमरनाथ झा	ग्राम- बेलौन, नवादा, भहेरा, दरभंगा 847201	5770	EWS	05-07-1992	बेसिक	मध्य वि० गड़ाकोली
51	ध्रुव कुमार झा	मदन झा	ग्राम- गोनियाही, दरभंगा	5803	EWS	20-10-1990	बेसिक	मध्य वि० शंकर रोसड़ा
52	अजय कुमार कर्ण	शम्भुनाथ लाल कर्ण	ग्राम- भटसिमर, राजनगर, मधुबनी 847235	5942	EWS	28-11-1992	बेसिक	मध्य वि० मधुरी
53	अभिषेक रंजन	शशिभूषण सिंह	बहेड़ी, दरभंगा 847105	1541	UR	25-12-1995	बेसिक	मध्य वि० हाजिडीह
54	श्याम प्रसाद	मल्लिका लाल	बहेड़ी, दरभंगा 847105	2122	EBC	06-11-1978	बेसिक	मध्य वि० शिवरथ

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय अपनी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक पत्र/BTET/CTET Result Card की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को शपथ नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली / अप्रत्यक्षमन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से कार्यित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन करने के उपरान्त ही योगदान अंकित करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत अधिसूचित निर्देशावली में वर्णित सेवा-शर्तें संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,
—सह—
कार्यपालक पदाधिकारी,
बहेड़ी, दरभंगा।

बहेड़ी, दरभंगा। ज्ञापांक ५६ / दिनांक 26/02/2022

प्रतिलिपि: संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

सदस्य सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,
—सह—
कार्यपालक पदाधिकारी,
बहेड़ी, दरभंगा।

(70) B.Ed. 2017-19 MANUU. CTE. Bhopal

कार्यालय, ग्राम पंचायत राज.....शेरपुर..... मुशहरी, मुजफ्फरपुर।

–:कार्यालय आदेश:–

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक / मध्य विद्यालय के (बेसिक ग्रेड) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः अौपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर ये सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	इफ्शां सुल्ताना	मो० हकीम	ग्राम-औरेया माना-सकरा जिला-मुं०	15	RF URDU	05.02.1996	बेसिक ग्रेड	प्रा० वि० सनचक औराय उर्दू

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशिक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाल / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत राज शेरपुर
मुशहरी, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक–134 दिनांक–23.02.2002

प्रतिलिपि:✓ संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:– प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मुशहरी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत राज शेरपुर
मुशहरी, मुजफ्फरपुर

(70.1) BEd 2017-19

अनुसूची–3

जिला का नाम :– सीतामढ़ी

नियोजन इकाई का नाम :– प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, डुमरा

कार्यालय आदेश पत्रांक..... दिनांक– 02.2022

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (VI-VIII, विषय–उर्दू, स्नातक ग्रेड) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	मो० आलम अंसारी	मो० अलाउद्दीन अंसारी	पो०+पो०–परिहार थाना–परिहार जि०–सीतामढ़ी	95 A	EBC	03.12.1990	स्नातक ग्रेड उर्दू	मध्य विद्यालय पमरा

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र BETET/CTET Resit Card की स्वअनिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण–पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

03.03.2022

सचिव

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,

डुमरा।

ज्ञापांक 112 /दिनांक 03.03.2022/

प्रतिलिपि : संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

03.03.2022

सचिव

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,

डुमरा।

(70·2) ~~B Ed 2016-18~~ B·17-19

कार्यालय–कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा।

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के आलोक वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय– उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पुर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्ति होना चाहते है तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड (बेसिक/स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01	मो0 शाहनवाज आलम	हैदर अली	ग्रा+पो0– लोकही जिला–मधुबनी पिन–847108	73	UR	01.01.1997	स्नातक	म0वि0 शैखपुरा उर्दू।
02	मो0 रेजाउल्लाह	मो0 नेजामुद्दीन	ग्रा– कमलपुर, पो0–लौकहा जिला–मधुबनी पिन–847421	101	UR	08.07.1980	स्नातक	म0वि0 महमुदा
03	मो0 मंजर आलम नूरी	मो0 नूरुल होदा	ग्रा0–कोशकिपुर, पो0–रामपुर मोहनपुर, जिला– अररिया पिन–854311	137	UR	15.07.1985	स्नातक	म0वि0 बलिया
04	शाजिया नाज	मो0 मोईनुद्दीन	कुद्दूस मंजिल अज्जु पहलवान गली मु0– खामिर्जा सुलतान गंज पटना–800006	151	UR	20.08.1995	स्नातक	म0वि0 सुपौल
05	आफाक अहमद	मो0 बशीर अहमद	ग्रा0–विशनपुर, पो0–वीरपुर हरपट्टी, थाना –ललमनियाँ, जिला– मधुबनी पिन–847227	176	UR	05.02.1984	स्नातक	म0 वि0 प्रखंड मुख्यालय बिरौल
06	गुलाम नबी	अब्दुल अजीज	ग्रा0–कुशमार, पो0– बाधा कुशमार, जिला–मधुबनी पिन–847409	186	EBC	15.03.1989	स्नातक	म0 वि0 रुपनगर
07	मो0 मनवर आलम	मो0 रफीक आलग	ग्रा0–डाँगीबाड़ी, पो0+थाना– ठाकुरगंज, जिला– किशनगंज, पिन–855116	191	EBC	04.05.1994	स्नातक	म0 वि0 कमलपुर पूर्वी
08	सफीउर रहमान	अब्दुल मन्नान	ग्रा0–अनारकली, पो0–बाँसगाड़ा, थाना–बरारी, जिला –कटिहार पिन–854115	207	EBC	05.11.1991	स्नातक	म0 वि0 बलिया उर्दू
09	मो0 जुबैर	मो0 कफिल अहमद	ग्रा0–जिरात, पो0–बिरौल, थाना–घनश्यामपुर जिला–दरभंगा पिन–847203	448	EBC	05.03.1992	स्नातक	म0 वि0 अफजला उर्दू
10	मो0 इरलाम	मो0 रफीक	ग्रा0–खैसा, पो0–जमालपुर, जिला– दरभंगा, पिन–847203	100	UR	15.01.1988	स्नातक	म0 वि0 उछटी
11	मो0 वसी अहमद	मो0 मजीबुल्लाह	ग्रा+पो0– नवहट्टा, जिला–सहरसा पिन–852123	490	UR (EWS)	20.06.1986	स्नातक	म0 वि0 बलिया
12	मो0 प्यारे	मो0 सैफुल्लाह	ग्रा+पो0+थाना– नवहट्टा, जिला–सहरसा पिन–852123	516	UR (EWS)	29.01.1987	स्नातक	म0 वि0 ग्यारी उर्दू

B·Ed 2017-19

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र /अंक पत्र, BETET/CTET Result Card की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तलेपन/गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

B.Ed 2017-19

(70.3)

अनुसूची–3

जिला का नाम–सीतामढ़ी)

सत्यापित

(नियोजन इकाई का नाम– सिंघाचौड़ी)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में पंचायत के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (बेसिक ग्रेड विषय उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूचीः–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता /पति का नाम	स्थायी पता	मेघा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	दानिश कमाल	मो0 फजलुल हक	ग्राम–आलमपुर, सीमरी, पो0–चहुटा, थाना–औराई, जिला–मुजफ्फरपुर	04	सामान्य	03.11.1995	बेसिक ग्रेड उर्दू	प्राथमिक विद्यालय, फकीरतकिया

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर पर प्रभावी होगा।

सचिव
पंचायत नियोजन इकाई,
ग्राम पंचायत राज सिंघाचौड़ी।

ज्ञापांक 01 दिनांक 24/02/2022

प्रतिलिपिः– संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चत करें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के वेबसाइट पर ऑपलोड करना चाहेंगे।

सचिव
पंचायत नियोजन इकाई,
ग्राम पंचायत राज सिंघाचौड़ी।

(71) B-Ed. - 2013-14 M.Ed - 2014-15

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

(Accredited "A" Grade by NAAC)

MANUU CTE Bhopal.

No. MANUU/ER-I(B)/F.309/2020-21/1385 8th March, 2021

ORDERS

Sub:- MANUU-ER-I Section - Ms.Maisara Aziz Khan - Contractual Engagement as Assistant Professor - Education (Physical Science) on contract basis at CTE, Aurangabad - Orders - Issued.

Ref: - Approval of the Vice-Chancellor i/c dated 08.03.2021.

****

Ms.Maisara Aziz Khan is engaged as Assistant Professor - Education (Physical Science) under Economically Weaker Section (EWS) Category on contractual basis to serve at MANUU CTE-Aurangabad (Maharashtra) for a period of six months or till commencement of Summer Vacations-2021 or till further orders whichever is earlier w.e.f. date of joining duty on a consolidated remuneration of ₹50,000/- per month on the following terms and conditions:

1. That the above engagement is on full time basis and she shall attend to her duties following the regular office timings and required to mark bio-metric and physical attendance as per NCTE guidelines;
2. That she is required to maintain good conduct and is required to adhere to rules/regulations laid down by the University in this regard.
3. That during the term of the contractual engagement she shall not be entitled for availing any vacation or leave other than one day leave in a month;
4. That the monthly remuneration will be paid as per the attendance certified by the Incharge / Head concerned;
5. That the contractual engagement is liable for termination at any time if the performance is not satisfactory;
6. That the contractual engagement shall not entitle her for any claim whatsoever for a regular appointment in the University;
7. That she shall work under the direct control of the Princpal, CTE, Aurangabad and required to perform such other academic/ administrative duties required for the position in the CTE;
8. That she shall take classes at CTE, Aurangabad and complete the assigned syllabus as per the prescribed schedule;
9. That she will not be permitted to pursue Ph.D. programme either part-time or full time.
10. That on termination of the contractual engagement she shall not be entitled to any terminable benefits;
11. That this order shall not form a basis for claiming regular employment in the University. She shall have no claim whatsoever for further continuation on the expiry of the term of this contractual engagement.

//BY ORDER//

Deputy Registrar
(ER-I Section)

To
Ms.Maisara Aziz Khan
House No.250, St. No.7, Arif Nagar, Beraria Road, Bhopal.
Mob: **8871009655** Email:**maisaranausheen@gmail.com**

Copy to:
- Dean, School of E&T, Principal, CTE - Bhopal, Office of the Finance Officer, Concerned file.

(72) M.Ed. 2014-15 MANUU, CTE, Bhopal

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

!! अधिसूचना !!

पटना, दिनांक–.....

संख्या–2/ए1–01/2020...../ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–7सी/परीक्षा–02–11/2016 (14)/लो0से0आ0/गो0 दिनांक–21.08.2020 द्वारा विज्ञापन संख्या–02/2016 के अंतर्गत व्याख्याता (खुली) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विभिन्न विषयों के व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु 451 सफल अभ्यर्थियों की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

2. संशोधित अनुशंसा के आलोक में काउन्सिलिंग/सत्यापन का कार्य दिनांक 22.09.2020 एवं दिनांक 23.09.2020 को सम्पन्न कराया गया। काउन्सिलिंग/सत्यापन कार्य में भाग लिए अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन की कार्रवाई की गयी।

3. विभागीय आदेश संख्या–1258 दिनांक 18.11.2020 द्वारा 17 सफल अभ्यर्थी जो उक्त काउन्सिलिंग/सत्यापन कार्य में उपस्थित नही हुए, को दिनांक 30.12.2020 को पुनः सत्यापन/काउन्सिलिंग कार्य में उपस्थित होने हेतु निदेश दिया गया। चार (4) सफल अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.12.2020 को निर्धारित सत्यापन/काउन्सिलिंग कार्य में भाग लिया गया।

4. काउन्सिलिंग/सत्यापन कार्य में भाग लिए उक्त चार (4) अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षा सेवा (शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग) के अंतर्गत व्याख्याता (मूल कोटि) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–9 एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता एवं अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ औपबंधिक रुप से परिवीक्षा पर नियुक्त कर उनके नाम के सामने स्तम्भ–10 में अंकित प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय में निम्नवत् पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	रौल नं0	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	स्थायी पता	श्रेणी	विषय	पदस्थापन का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	204382	श्री सुरेश कुमार शर्मा	श्री मिश्री प्रसाद शर्मा	10/10/1986	कैमूर, भभुआ	स्थायी पता–ग्राम–चौरी, पो0–गेहुआ, थाना–चाँद, जिला–कैमूर, भभुआ	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	हिन्दी	अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, छपरा
2	202416	नूरुद्दीन	शमसुद्दीन	12/6/1988	उत्तर प्रदेश	स्थायी पता–ग्राम+पो0–मुंडियार, थाना–फुलपुर, जिला–आजमगढ़, उतरप्रदेश–276304	सामान्य	उर्दू	जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), थावे, गोपालगंज
3	202639	किरण कुमारी	श्री योगेन्द्र झा	4/2/1982	दरभंगा	स्थायी पता–द्वारा स्व0 आशुतोष झा, शैलकुंज प्रोफेसर कॉलोनी दिग्घी पश्चिम, पो0–लालबाग, जिला–दरभंगा, बिहार–846004	सामान्य	गणित	अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, सहरसा
4	203523	सीमा कुमारी	स्व0 सुरेश प्रसाद सुरेश	3/1/1985	वैशाली	स्थायी पता–मो0–पानापुर, धर्मपुर, थाना–बिदुपुर बाजार, जिला–वैशाली, बिहार–844503	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	सामाजिक विज्ञान	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

5. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है।

सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

6. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

7. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. योगदान के समय अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12. नियुक्ति के उपरान्त पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करने के समय संबंधित जिले/कार्यालय में विहित प्रपत्र में चल–अचल सम्पति का ब्यौरा निश्चित रुप से समर्पित किया जायेगा।

13. सभी अभ्यर्थियों की मेधा का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त संशोधित अनुशंसा के अनुसार किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सुशील कुमार)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक 2/ए1–01/2020...../ पटना, दिनांक–...../2021

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक 2/ए1–01/2020...../ पटना, दिनांक–...../2021

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित प्राचार्य एवं सभी संबंधित नव नियुक्त व्याख्याताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक 2/ए1–01/2020.....173...../ पटना, दिनांक– 01/03/2021

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन)/उप सचिव/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/03/2021

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

(43) M.Ed - 2014-15
B.Ed - 2013-14
MANUU. CTE. Bhopal,

STRATEGIC ALLIANCE
Management Services Private Limited

1/1B, Choudhary Hetram House
Bharat Nagar, New Friends Colony, New Delhi 110 025
Phones: 2684 2162; 4165 3612; Fax: 2691 2162; Email: consult@sams.co.in

December 30, 2021

Mr. Mohd Nazir
Address: S/o Mohd Saleem,
Gram Jokhan Pur, Baheri,
Bareilly, Uttar Pradesh,
243201

(Phone: 9897060747)

Email: mohdnazir35@gmail.com

Sub: Extension of Consultancy Services Agreement (CSA)

Dear Mr. Mohd Nazir,

This has reference to your consultancy services agreement till dated December 31, 2021. We are pleased to extend your agreement from **January 01, 2022 to December 31, 2022** as a **Regional Resource Center Coordinator- AEP** with **SAMS**.

All other terms and conditions of your Consultancy Services Agreement remain unchanged.

For Strategic Alliance Management Services Pvt. Ltd

(Signature)
Gautam Nath, MD & CEO

Confirmation of Acceptance

Nazir

(Signature)
Mr. Mohd Nazir

PIRAMAL FOUNDATION FOR EDUCATION LEADERSHIP

Certificate on Completion of

THE PIRAMAL FELLOWSHIP

(2018 - 2020)

Awarded To

Mohd Nazir

On 30th May 2020

Aditya Natraj
Director
Piramal Foundation For Education Leadership

GANDHI FELLOWSHIP
unfold impact enjoy

Piramal
School of Leadership

JOINING REPORT

HR Officer
Strategic Alliance Management Services Pvt. Ltd.
State Office Address

Dear Sir/ Madam,

This is to inform you that I have joined duty as Technical Consultant as on 23-11-2020 (date) at Patna Duty Office, as per my Contractual Services Agreement with SAMS.

My joining is evidenced below by the designated, Departmental Reporting Officer.

Signature of Technical Consultant: Nazir

Name of Technical Consultant: MOHD NAZIR

Date: 23-11-2020

Signature of the Designated Departmental Reporting Officer:

Name of the Designated Departmental Reporting Officer: Nadeem Noor

Designation: SPC, Bihar

Date: 23/11/2020

(74)

M.Ed. 2014-15

UDAY MEMORIAL B. ED. COLLEGE

(A unit of Uday Memorial Charitable & Welfare Trust)
Recognised by National Council for Teacher Education
Affiliated to Ranchi University, Ranchi
KEDAL, NEORI VIKAS, SADAR, RANCHI - 835217 (JHARKHAND)
Website : www.umbedcollege.org, E-mail : umbedcolleg@gmail.com, info@umbedcollege.org
Phone : 0651-6571967, 0651-6571874

Ref. No. : UMBEC/WMC/24/16-17 Date : 18/04/2017

To,

Mr. Raihan Fazal
At- Main Road Khairantoli
PO+PS+Dist- Simdega
Jharkhand- 835223

Subject:- Appointment as a Lecturer in D. El. Ed. course at Uday Memorial B. Ed. College Kedal, Neori Vikas, Ranchi.

Sir/Madam,

In the light of recommendation of the Selection Committee and decision of the Management, you are appointed as a Lecturer for D. El. Ed. course at Uday Memorial B. Ed. College, Kedal, Neori Vikas, Ranchi.

You will be paid the salary as per the approved norms of the Jharkhand State Government for D. El. Ed. course and admissible allowances. You will be on probation for a period of one year for which the satisfactory performance will be required. The decision of the Trust and Management will be final and binding.

The payment of salary will be done after you join to Uday Memorial B. Ed. College, Kedal. If you are ready to accept the offer, please give your consent as early as possible to the undersigned latest by April 18, 2017. For further information you may talk to the Secretary.

Thanking You !

Chairman
Working Managing Committee
Uday Memorial B.Ed. College
Kedal, Neori Vikas, Ranchi

Received on 18/04/2017
Raihan Fazal

Scanned by CamScanner

MANUU, CTE, Bhopal.

M.Ed. 2014-15

(75)

Estd. - 1940
E-mail-rkcollegemadhubani1940@gmail.com
Tel.&Fax-06276-222264 (off.)
www.rkclnmu.ac.in

RAM KRISHNA COLLEGE

MADHUBANI - 847211 (BIHAR)

(A Constituent Unit of L.N. Mithila University, Darbhanga)

NAAC Re-accredited-'B' Grade

Ref. No. - B. Ed. - 29/19-20 Dated 12/12/19

To

Md. Aftab Alam
S/o – Md. Akbar Ali,
At - Fatehpur, PO – Dularpur,
Begusarai - 851133

Sub. : Appointment to the Post of Assistant Professor in B.Ed. stream of, R.K.College, Madhubani running under Self-financing Scheme.

Sir,

I have to inform you that the Vice-Chancellor has been pleased to appoint you as Assistant Professor in B.Ed. stream of R.K.College, Madhubani running under Self-financing scheme on the recommendation of the duly constituted Selection Committee.

You are requested kindly to join the Post within 07 days from the date of issue of this letter, failing which the appointment shall stand cancelled. In the terms of service and pay scale shall be as prescribed by the University.

Yours faithfully

(Dr. A.K.Mandal)
Principal

Principal
R.K. College
Madhubani

(76)

M.Ed

14-15

Shastri Park-GBSSS-1105011
Shastri Park
GUEST TEACHER ENGAGEMENT LETTER
2017-18

Date: 30/01/2018

Application Id: 2017061142

Mr./Ms. **ASHRAF SHAIKH** Son of /Daughter of **PARWEZ KHAN** resident of **VILL AND POST CHHITTEPUR PS SARAIMEER DIST AZAMGARH-223226** is engaged as Guest Teacher on the Post of **TGT URDU** w.e.f. **30/01/2018** from this School.

Your engagement is subject to following terms and conditions -

1. Your engagement is purely adhoc & stop gap arrangement till the post is filled up on regular basis. Your engagement shall not entitle you to any regular appointment.
2. That no claim for salary, allowances, facilities and other benefits accruing to the regular teachers shall be made and you shall not file any court case regarding salary and regularization etc.
3. Request for change of school shall not be entertained at all at any time during the engagement.
4. You will be dis-engaged from the school as soon as a regular teacher joins the school irrespective of your standing in the order of merit list initially drawn district-wise for the purpose of engagement.
5. The rates of remuneration payable to you will be daily based at the rates approved by honorable LG vide U.O. No. 27930 dated 23-02-2017 and 03-03-2017 and conveyed through order No. DE 18.2(36)/plg 2016/2970-80 dated 03-03-2017. You will not be entitled for any remuneration on holidays / on days of absence /and on days of non engagement.
6. During the course of engagement if it is found that your performance is not up to the mark by HOS concerned, your engagement will be dis-continued/cancelled.
7. Your Engagement can be terminated if you remain absent without prior permission of the HOS.

If you agree to the above terms & conditions, you must join immediately failing which the offer of appointment will be cancelled

.....

(77) M.Ed. 2015-17

New Seelampur, No.2-GBSSS-1105009

GUEST TEACHER ENGAGEMENT LETTER 2022-23

Date: 04/07/2022

Application Id: 2017039647

Mr./Ms. **Mohd Mursaleen** Son of /Daughter of **Mohd Shareef** resident of **GBSSS NO 2 NEW SEELAMPUR DELHI 110053** is engaged as Guest Teacher in capacity of **TGT URDU** , w.e.f. **01/07/2022 for the session 2022-23** from this School

Your engagement is subject to following terms and conditions:-

1. Your engagement is purely adhoc & stop gap arrangement till the post is filled up on regular basis. Your engagement shall not entitle you to any regular appointment.
2. That no claim for salary, allowances, facilities and other benefits accruing to the regular teachers shall be made and you shall not file any court case regarding salary and regularization etc.
3. Request for change of school shall not be entertained at all at any time during the engagement.
4. You will be dis-engaged from the school as soon as a regular teacher joins the school irrespective of your standing in the order of merit list.
5. The rates of remuneration payable to you will be daily based at the rates approved by honorable LG vide U.O. No. 27930 dated 23-02-2017 and 03-03-2017 and conveyed through order No. DE 18.2(36)/plg/2016/2970-80 dated 03-03-2017. You will not be entitled for any remuneration on holidays / on days of absence /and on days of non engagement.
6. During the course of engagement if it is found that your performance is not up to the mark by HOS concerned, your engagement will be dis-continued/cancelled.

7. Your services can be terminated if you remain absent without prior permission of the HOS.

If you agree to the above terms & conditions, you must join immediately, failing which the offer of appointment will be cancelled.

H.O.S.....
G.B.S.S.S. No. 2
Signature Of HOS
New Seelampur, Delhi-53

To:-

Mr/Ms Mohd Mursaleen-2017039647

(78) M.Ed. 15-17 (Comp)

टी.आर.एस. कॉलेज ऑफ एजूकेशन
T.R.S. COLLEGE OF EDUCATION

सरायअकिल, कौशाम्बी

प्रबन्धक / प्राचार्य
पत्रांक .....

दिनांक .27/7/18.....

नियुक्ति पत्र

सेवा में,

मो0 गुलफाम
कटैया भकन्दा
सराय अकिल, कौशाम्बी

पत्रांकः–DTEd/187/ नियुक्ति / 2018 दिनांकः–27/07/18

विषयः– प्रवक्ता (शिक्षा के आधार) पद पर नियुक्ति।

महोदय,

गुरूकुल शिक्षा सेवा संस्थान की बैठक दिनांक 25.07.2018 में आपका चयन टी0आर0एस0 कालेज आफॅ एजूकेशन सराय अकिल कौशाम्बी में D.El.Ed. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत आपका अनुमोदन 5 वर्ष के प्रोवेशन पर प्रदान किया गया है।

आपसे आपेक्षा की जाती है कि आप पत्र प्राप्ति के दिनांक से तीन दिन के भीतर अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण की मूल प्रति के साथ प्रबन्धक को अपनी उपस्थिति सूचित कर अधिभार ग्रहण करे।

यदि आप निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नही करती है तो नियमानुसार नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

प्रबन्धक
टी.आर.एस.कालेज आफ एजूकेशन
सरायअकिल, कौशाम्बी
टी0आर0एस0 कालेज ऑफ एजूकेशन
सरायअकिल, कौशाम्बी

प्राप्त किया

Mol Gulfam
28/07/2018

Mobile: 9838107499, 9415367499, 9335251831
E-mail: trscedu@gmail.com

M.Ed 2015-17 (Group) 79

Teacher Details

(All ★ marks are Mandatory)

Teacher ID : [★ If teacher profile is created]	
Teacher Name : ★	MOHD AFZAL
Gender : ★ (Male, Female, Third Gender)	MALE
Date of Birth : ★ (dd/mm/yyyy)	12-09-1987
Social Category : ★ (SC/ST, ST, SC, OBC, GNC (Other Notified Category), OTHERS)	OBC
Mobile number : ★	9026967025
Aadhaar Number : ★	
Teacher Title : ★ (Head Master, Acting Head Master, Teacher/Assistant Teacher, Instructor (Para Teacher) etc.etc, Lecturer, Vice Principal, Principal, Others)	ASSISTANT TEACHER
Nature of appointment : ★ (Regular, Para Part Time/Guest Lecturer, Third Party Instructor)	REGULAR
Date of joining in service : ★	06-02-2019
Appointed Subject: ★	URDU
District : ★	DUMKA
Block : ★	DUMKA
Cluster : ★	R.M.S. RAJBANDH
School Name with UDISE Code :	U.H.S. DOMUHANI (URDU) 20110109101
Appointment Type : ★ (Primary (1-5), Upper Primary (6-8), Elementary (1-8), Only Secondary (9-10), Only Higher Secondary, Upper Primary with Secondary(6/7/8 to 10), Secondary and Higher Secondary (9 to 12))	ONLY SECONDARY
Appointing Authority of the teacher : ★ (State Education Dept., Zila Parishad, Tribal Welfare Ministry, Agencies, Railway Ministry, Railway School, KVS/NVS, Govt. Equivalent/Council/Committee, Others)	STATE EDUCATION DEPT
Date of Joining of the Current school : ★	
Marital Status : ★ (Unmarried, Married, Widow, Divorced, Separated)	UN-MARRIED
PRMS Code : [★ for Para Teachers]	—
Blood Group : (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-)	—
Recruitment Caste : (GENERAL, ST, SC, OBC, GNC (Other Notified Category), OTHERS)	GENERAL
Disability, if any : ★ (Locomotor, Visually Impaired, Others)	—
% of Disability (if any)	—
Employment of Spouse : Govt, Pvt, Other	—
Home District of Teacher?	—
Home District ?	—
Home Block ?	—
Address :	VILL+POST - CHHALADHER P.S. TAMO DIST - DUMKA (JHARKHAND) 814167
Email ID :	~~afzaldumka100@gmail.com~~ AFZALDUMKA100@GMAIL.COM
Computer Training ★ (YES/NO)	
Basic Pay?: (Gross Monthly Income)	44900
NCS Incharge: (Yes/No)	—
NCE Trained (Yes/No)	—
Classes Taught Mapping (multiple choice) : ★ Primary (1-5), Upper Primary (6-8), Elementary (1-8), Secondary (9-10), Only Higher Secondary, Upper Primary with Secondary(6/7/8 to 10 Secondary and Higher Secondary (9 to 12)	SECONDARY
Teacher associated as: BRC, DRG, SRG, Parivartan Cell, Master Trainer, CRCC, BRCC	—
Language Teaching	
CTET QUALIFIED WITH PERCENTAGE	YES 112/150 74%
TTET QUALIFIED WITH PERCENTAGE	YES

Signature of Teacher with Date

B.Ed. 2014-15 M.Ed. 2015-17 (80) MANUU, CTE, Bhopal



UTTAR PRADESH H-S AFFIXED Rs.10 56AE 871564

शपथ पत्र

सेवा में,

श्रीमान कुलसचिव,
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या।

शपथी मोहम्मद फैजान अंसारी पुत्र श्री अली अहमद अंसारी निवासी डोमन पुरा (हिलवा) मऊ 275101 यू.पी. सशपथ घोषणा करता हूँ कि–

धारा–1 यह कि शपथी का चयन **बी0एड0 प्रवक्ता** के पद पर विश्वविद्यालय से नामित विषय विशेषज्ञों की चयन समिति द्वारा **माँ फूलपत्ती देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय भीखपुर अम्बेडकरनगर (उ0प्र)** में स्थापितापोषित योजना के अन्तर्गत 5 वर्ष के लिए हुआ है।

धारा–2 यह कि शपथी उक्त पद हेतु विश्वविद्यालय/एन0सी0टी0 द्वारा निर्धारित अर्हता रखता है।

धारा–3 यह कि शपथी कहीं अन्यत्र सेवारत नहीं है और अनुमोदन के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करेगा।

धारा–4 यह कि शपथी का आवेदन किसी अन्य महाविद्यालय में न तो आवेदन किया है और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय से अनुमोदित है।

धारा–5 यह कि शपथी का अनुमोदन अन्यत्र कहीं पाया जाता है तो उसको निरस्त समझा जाय।

धारा–6 यह कि शपथी निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा एवं शर्तों के अनुरूप कार्य करेगा।

Declaration Sh. ... identified by Sh. ... SIGNED AND VERIFIED BEFORE ME NOTARY

तस्दीक–

मैं शपथी स्वयं तस्दीक करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा–1 से 6 तक मेरे संज्ञान में सही व सत्य है। इसमें न ही कुछ असत्य है और न ही छिपाया गया है।

हस्ताक्षर शपथी

सेवा में

श्रीमान प्रबन्धक महोदय

श्री फूलपती देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय

भीखपुर अम्बेडकरनगर (उ0प्र0)

विषय– बी0एड0 प्रवक्ता के पद पर चयन हेतु।

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थी को विज्ञापन पढ़कर ज्ञात हुआ कि आपके महाविद्यालय में बी0एड0 प्रवक्ता के पद रिक्त है। प्रार्थी इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित अर्हता रखता है प्रार्थी अपने समस्त शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रहा है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को एक बार महाविद्यालय में कार्य करने हेतु सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

संलग्नक– समस्त प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति।

Faisal

प्रार्थी

दिनांक–

M.Ed. 2015-17 (81) MANUU, CTE. Bhopal

R.P.S. TEACHERS TRAINING COLLEGE

Sitamarhi Road, Jhaphan, Muzaffarpur, BIHAR - 842003

Recognized by NCTE, ERC – Bhubaneswar; Affiliated by BRABU, Muz.(B.Ed) / D.El.Ed Affiliated by BSEB, PATNA

Ref. No. RPSTTC/App./19/03

Dated. 30-11-2019

Appointment letter

To,
Ghulam Mohammad,
Vill - Godhiyari, Po - Barhampur,
Dist - Madhubani, Bihar,
Pin-847409

Subject –Appointment letter for the post of lecturer

Dear Ghulam Mohammad,

I am pleased to inform you that as per the panel of the selection committee and of the managing committee of this college, you are selected for the post of Language in D.El.Ed. On regular basis.

You are, therefore, requested to join the institute within seven days from the date of issued letter.

At the time of joining you are to submit the following documents:-

1. One set of certificates and marksheet (Xerox) with complete Bio-Data.
2. Identity proof.
3. Pan card Xerox.
4. Aadhaar card.

SECRETARY
R.P.S. Teacher's Training College
Jhaphan P.S. - Ahiyapur
Muzaffarpur (Bihar) 842003

From ,

Ghulam Mohammad,
Vill- Godhiyari ,Po- Barhampur,
Dist-Madhubani,Bihar,
Pin-847409

To ,
The Principal,
R.P.S Teacher's Training college,
Jhaphan ,Sitamarhi road, Muz.
Pin-842004.

Subject – Application for Joining.

With reference to your appointment letter RPSTTC/APP./19/03 dated 30.11.2019, I beg you to inform you that I join as Lecturer in Language course on full time basis in your R.P.S Teacher's Training College of Jhaphan ,Sitamarhi road, Muz. pin-842004 on 05.12.2019

This is for your kind information and necessary action.

With kind regards.

Ghulam Mohammad
Yours faithfully,
Ghulam Mohammad

Date: 05.12.2019

Your joining is accepted.
05/12/19

R.P.S. Teacher's Training College
Vill.- Jhaphan P.S. - Ahiyapur
Muzaffarpur (Bihar) 842003

(82)

M.Ed. 2015-17

MANUU. CTE, Bhopal

अनुसूची- 3

जिला का नाम: पश्चिम चम्पारण

प्रखण्ड शिक्षक नियोजनइकाई नौरिया

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली- 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के -8 विषय:-उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखितसूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकितअभ्यर्थी, यदि शिक्षक पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान दे सुनिश्चित करें अन्यथा सम्बंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड (बेसिक/ स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो. फैजान	अब्दुल हमीद	ग्रा.- सिंघरिया, पो.- बरवटियाबंध, था.- सिकरपुर, जि.-प.चम्पारण, पिन-845455	73	अनारक्षित	06.08.1989	स्नातक	उ0 म0 वि0 धर्मपुर उर्दू
2	शबनम खातून	इसमोहम्मद अंसारी	ग्रा.- बरवटिया, पो.- बरवटिया, था.- उफरौलिया, जि.- पश्चिमचंपारण, पिन-845438	85	अनारक्षित (महिला)	03.03.1986	स्नातक	उ0 म0 वि0 बसवरिया, बालक उर्दू

1. सम्बंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BSTET/CTET Result Card कीस्वप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के सम्बन्ध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अनैतिक मान्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करनाआवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने सम्बन्धी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण-पत्र जाली/मेडलैपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. सम्बंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से सम्बंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्तें संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

25/02/22
सचिव
कार्यपालक पदाधिकारी
- सह -
प्रखण्ड पंचायतराज पदाधिकारी
नौरिया, पश्चिमचम्पारण।

ज्ञापांक: 15 दिनांक: 25.02.2022

प्रतिलिपि:1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अविलम्बसंबंधी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अवश्य रूप से देना सुनिश्चित करें।
3. जिलासूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्तनियुक्ति आदेश को जिले के NIC पर अपलोड करना चाहेंगे।

25/02/22
सचिव
कार्यपालक पदाधिकारी
- सह -
प्रखण्ड पंचायतराज पदाधिकारी
नौरिया, पश्चिमचम्पारण।

(83) M.Ed. 2015-17 MANUU. CTE. Bhopal

अनुसूची–3
(जिला का नाम – मधुबनी)
(प्रखण्ड नियोजन इकाई बिस्फी)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक मे वर्ष 2019–20 मे राज्य के प्रारंभिक विद्यालयो में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध मध्य विद्यालय के (उर्दू विषय– 1 से 5) के शिक्षक के रूप मे निम्नलिखित सूची मे अंकित अभ्यर्थियो का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णत. औपवधिक होगी।

अत निम्नलिखित सूची मे अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय मे योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वत: समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियो की सूची :–

क्र0 स0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मो0 मुमताज	मो0 मुशताक	बहादुरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा	425	UR	18-10-1989	बेसिक	मध्य विद्यालय रघौस

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय मे योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र / अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधि घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. प्रमाणपत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5. संबंधति विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव
(प्रखण्ड नियोजन इकाई बिस्फी)

ज्ञापांक 97 / दिनांक– 23.02.2022 /

प्रतिलिपि:– 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

23.02.2022

सचिव
(प्रखण्ड नियोजन इकाई बिस्फी)

(84)

MANUU. CTE. Bhopal.

अनुसूची–3

जिला का नाम– नवादा

नियोजन इकाई का नाम– प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, गोविन्दपुर

–: कार्यालय आदेश :–

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा – शर्त) नियमावली – 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के *स्नातक ग्रेड उर्दू (VI to VIII)* विषय के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 ✓	मो0 महबूब आलम	मो0 इरफान अली	ग्राम – खैरूगंज, पो0 – बनगामा, थाना – अररिया, जिला – अररिया, पिन– 854312	65/ 68.56	EBC	19-Jul-1987	स्नातक ग्रेड उर्दू	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, थातीकला
2	मो0 अशरफ अली	मो0 इस्लाम	ग्राम – पचरूखी, टोला – नेजागा, पो0– राजहाट, थाना – अकबरपुर, नवादा, पिन–	160/ 59.24	BC	12-Nov-1988	स्नातक ग्रेड उर्दू	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बहियारा
3	मो0 अशफाक	मो0 मोजाहिद	गालिब कोलॉनी,ग्राम+पो0 – बालूगाथ, जिला – लातेहार, झारखण्ड, पिन	96/ 65.45	GEN	17-Feb-1993	स्नातक ग्रेड उर्दू	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पटनदेई

M.Ed 2015-17

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अरोनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण–पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

ह0

सदस्य सचिव,
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,
–सह–
प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, गोविन्दपुर

ज्ञापांक:– 63 /दिनांक:– 29/02/2022

प्रतिलिपि:– 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, गोविन्दपुर को अवूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त आदेश को जिले के NIC के वेबसाईट पर अपलोड करना चाहेंगे।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

29/02/2022
सदस्य सचिव,
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,
–सह–
प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, गोविन्दपुर

M. Ed. 2015-17 (85) MANUU. CTE, Bhopal

Khawaja Shahid Hussain

Primary. Teachers Training College
Parent Body-K.S.H.Educational Society, Nista
Recognised by:-ERC NCTE Bhubneshwar Affiliated to :- B.N.M.University, Madhepura
AT-Nista,P.o. Baghwa,Dist-Katihar,State,Bihar (INDIA)
Website:- www.kshes.org
Email ID-info@ksh' es.com,kshes1985@gmail.com

Date.....

Ref.....

To,

Sri Ghulam Ahmad Raza
S/o.- Sri Md Inamul Haque
At- Narayanpur,
P.O.- Mukuria,
Dist- Katihar Pin-854317
(Bihar)

The undersigned is pleased to appoint you in the post of **Asst. Professor** on the recommendation of the selection committee held on 25/11/2019

You are here by requested to join latest on dated 05/12/2019
No T.A. is allowed for joining the post.

Secretary,

N. Shahidi

Khwaja Shahid Hussain Educational Society,
Nista (Chandher)
Secretary
Khawaja Shahid Hussain
Educational Society Nista
Katihar,Bihar

KHAWAJA SHAHID HUSSAIN

Primary Teacher's Training College

Parent Body : K.S.H.Educational Society, Nista

Recognised by: ERC, NCTE Bhubneshwar (Odisha)

At- Nista (Chandhar), P.O.- Baghwa, Distt.- Katihar, State- Bihar (INDIA) Pin- 854317

Website: www.kshes.org Email: info@kshes.org kshes1985@gmail.com Mob.: 8130788437

Ref. K-20/22

Date. 23-01-2022

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Sri **Ghulam Ahmad Raza** S/O. Sri MdInamul Haque Resident of Village Narayanpur, Post- Mukuria, P.S.- Azamnagar, Dist- Katihar (BIHAR) is working as an assistant professor since 05-12-2019 to till date.

He is most gentle and intelligent and having moral character.

I wish him success in life.

Yours faithful

Principal
Khawaja Shahid Hussain
Primary Teacher's Training College
Nista, Katihar

85.1

M.Ed. 2015-17

996/4/6/19

क्रम संख्या	मेधा क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्गवार की कोटि	लिंग	पदस्थापन हेतु अनुशंसित विद्यालय का नाम
39	101	30120276494	IMTEYAZ AHMAD	KHALIL AHMAD	28.06.1976	EBC-2	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, नावाबाजार, 2009-10
40	106	31112277611	MD NADEEM	MD IBRAHIM	10.01.1984	EBC-2	M	राजकीयकृत गिरिधर उच्च विद्यालय, मोदीनीनगर
41	128	11132124724	EQBAL ABUL ALA	ASHFAQUE AHMAD	27.12.1983	EBC-2	M	राजकीयकृत डॉ0अम्बेदकर उच्च विद्यालय, तेतराई
42	207	14156155725	MD IRFAN AHMAD	MOHIUDDIN AHMAD	27.09.1976	EBC-2	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, पीपरा, खरौंगज 2011-12
43	29	27114230458	MUSTAFA RIZVI	AINUL HODA	02.01.1976	UR	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, रेवागढ़, सतबरवा 2009-10
विषयः- कुशुख								
1	1	17111176803	SUKHDEO ORAON	LATHEYA ORAON	03.08.1987	ST	M	स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, लुकैया, नावाबाजार 2011-12
विषयः- बंगला								
1	1	16130171172	BASHISTHA MAHATO	NANDLAL MAHATO	12.03.1989	GEN	M	राजकीय उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), मेदिनीनगर
विषयः- फारसी								
1	1	31116280515	MUSHTAQUE AHAMAD	MASHUDDIN	30.09.1989	UR	M	राजकीय उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), मेदिनीनगर M.Ed 2015-17

शर्तें :-

01. योगदान के पश्चात् 02 वर्षों की सेवा परीक्ष्यमान अवधि की होगी। तदोपरान्त संतोषप्रद सेवा के आधार पर उनकी सेवा सम्पुष्टि पर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।

02. नियुक्त अभ्यर्थियों को पत्र निर्गत तिथि से 15 दिनों के अन्दर पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा युक्तियुक्त कारण नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी।

03. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक योगदान करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं से मुख्य असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/आवासीय/जाति प्रमाण--पत्रों आदि का मिलान संबंधित मूल अभिलेखों से करने के उपरांत ही योगदान कराएगे।

04. संबंधित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्र से शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के मिलान के उपरांत यह अवश्य आश्वस्त हो लेंगे कि उक्त प्रमाण-पत्र सही है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत है। प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित करेंगे। इसकी पूर्ण जवाबदेही योगदान कराने वाले प्रधानाध्यापकों/प्रभारी प्रधानाध्यापको की होगी।

996/4/6/2019

05. संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक नवपदस्थापित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का मैट्रिक प्रमाण–पत्र के आधार पर जाँच कर आश्वस्त हो लेंगे कि दिनांक 01.01.2016 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार निम्नरूपेण है:–

कोटि	उम्र	सरकारी सेवक के लिए
a. सामान्य कोटि	40 वर्ष	45 वर्ष
b. महिला (अ0/पि0व0/अ0पि0व0)	43 वर्ष	48 वर्ष
c. अन्य पिछड़ा वर्ग	42 वर्ष	47 वर्ष
d. अनुसूचित जाति (पुरूष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष
e. अनुसूचित जनजाति (पुरूष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

06. राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबधित विषय में, जिसमें नियुक्ति हुई है, में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक स्तर पर अभ्यर्थी उतीर्ण हो, अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत अंको के साथ उतीर्ण होना अनिवार्य है।

07. **पदस्थापित शिक्षकों का शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा कराया जायेगा। संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से सत्यापन होने के उपरान्त उनके वेतनादि का भुगतान जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश के उपरांत ही किया जायेगा।**

08. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों की जॉच के क्रम में जाली पाये जाने की स्थिति में बिना सूचना के किसी भी समय उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

09. योगदान के समय अभ्यर्थी इस आशय का <u>शपथ पत्र</u> देना होगा कि वे किसी फौजदारी मुकदमें में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किये गये हैं या उनके विरूद्ध किसी तरह का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

10. अभ्यर्थी को अपने विद्यालय में योगदान के समय इस आशय का भी शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे शादी के समय न तो दहेज लेंगे और न देंगे।

11. संबंधित विद्यालय में योगदान के लिए कोई मार्ग व्यय अथवा अन्य भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

12. अभ्यर्थी को सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक (बी0एड0 की बैधता के संबंध में) डिग्री निर्गत करने वाले शैक्षणिक संस्थान का उक्त सत्र में एन0सी0टी0ई0/यू0जी0सी से वैधता से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 987 दिनांक 17.07.2018 के आलोक में कार्यावधि के लिए आगम एवं प्रस्थान के बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतनादि का भुगतान किया जाएगा।

14. अभ्यर्थी यथोक्त सभी निर्देशों/शर्तो की जानकारी प्राप्त कर उसके पूरा करने के संबंध में आश्वस्त होने के पश्चात् योगदान करेंगे, अन्यथा किसी शर्त को पूरा नहीं होने हेतु वे स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा उनकी नियुक्ति बिना किसी कारण–पृच्छा की समाप्त की जा सकती है।

ह0/–
(सुशील कुमार)
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पलामू।

ज्ञापांक 996, मेदिनीनगर, दिनांक 04/06/2019

प्रतिलिपिः– संबंधित नव नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, पलामू/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक/प्रधान सचिव, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

04/06/19
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पलामू।

(86) M.Ed. 2016-18

MANUU. CTE. Bhopal.

अनुसूची–3

(जिला–प0 चम्पारण)

प्रखण्ड नियोजन इकाई– मैनाटाँड़

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय (उर्दू विषय स्नातक ग्रेड) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित चयनित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01	मो0 माजीद अनवर	फैज अहमद	ग्रा0+पो0– माधोपुर, थाना–चिरैया, प0 चम्पारण	33	UA	01.01.1987	स्नातक ग्रेड	उ0 म0 वि0 शाहपुर परसौनी उर्दू
02	नुर अनवर बन्दगी	शै0 मुजम्मील हक	बेनी जलालपुर, पो0–सालमारी, थाना–बलिया बेलौन, कटिहार	55	BC	15.01.1992	स्नातक ग्रेड	उ0 म0 वि0 भगहा

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

— ह0

सचिव

(प्रखण्ड नियोजन इकाई, मैनाटाँड़)

जिला– प0 चम्पारण।

ज्ञापांक 09 /मैनाटांड़ दिनांक 27.02.2022

प्रतिलिपि:–संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि–प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी मैनाटाँड़ को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

प्रतिलिपि–जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेतिया प0 चम्पारण को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0

सचिव 27/2/22

(प्रखण्ड नियोजन इकाई, मैनाटाँड़)

जिला– प0 चम्पारण।

(87)

MANUU, CTE, Bhopal.

M. Ed - 2016-18
16MMED005BH

कार्यालय, प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, फतेहपुर (गया)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निम्न के पदों के विरूद्ध संबद्ध विद्यालय की स्थानीय भाषा (उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का सदन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक का पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः अंशकालिक होगी।

उक्त निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो 30 दिन के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

संशोधित अभ्यर्थियों की सूची –

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेरा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	वि.प्र. शिक्षक / स्नातक	स्वप्रस्तावित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	140	शिक्षक वर्ग	01.01.1991	स्नातक उत्तीर्ण	[redacted]

Md Nadir

1. संशोधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशिक्षणिक प्रमाण-पत्र / अंक-पत्र BSTET/CTET Result Card की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की जांचता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र निर्धारित प्रपत्र में (निर्धारित प्रपत्र शपथ संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से चिकित्सक-दल-द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों की दृष्टिहीन नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जांची / अन्वेषित / गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र को सत्यापन करने के उपरांत ही योगदान सुनिश्चित करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित तथा-शर्तें संबंधित चयनित शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

हस्ताक्षर 23/2/22
(प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई)
फतेहपुर, गया

ज्ञापांक – 80 दिनांक – 23.02.2022

प्रतिलिपि – सचिव सचिवित शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि सचिवित शिक्षक के योगदान की सूचना अविलम्ब कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फतेहपुर, गया को अवश्य ही देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

हस्ताक्षर 23/2/22
कार्यपालक पदाधिकारी
–एवं–
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी
फतेहपुर, गया।

(88) B.ED. (2011-12) & M.ED. (2016-18) MANUU. CTE Bhopal

SEEMANCHAL MINORITY B.ED. COLLEGE

Run and Managed by: Tauheed Ahmad Memorial Charitable Trust, Katihar
Recognised by ERC, NCTE Bhubaneshwar and
Affiliated to: Purnea University, Purnia (Bihar) & B.S.E.B., Patna (Bihar)
Tauheed Nagar, Baigna Road, Katihar (BIHAR) 854105

Ref. No. SMBC-759(J) Date: 02/03/2022

To

Md. Sarwar
S/o- Md. Ibrahim
Vill- Jairam Pur P.O- Dhusmal Hat
P.S- Angarh Hat Via- Kishanganj
Dist- Purnea- 855107 (Bihar)

Sub:- **Appointment to the post of "Asst. Professor" in D.El.Ed. Programme.**

Sir/Madam,

In accordance with the recommendations of the selection committee held on **07.03.2022**. I am pleased to inform that you have been selected for appointment to the post of Asst. Professor (D.El.Ed. Programme) in **Urdu** Subject on temporary basis in the pay scale of UGC/State Government /affiliated colleges of Bihar. Your appointment is on full time and regular basis. During your service you will have to abide by the rules and regulation of this institution and the excellence of teaching standard.

If the above terms and condition are acceptable, please join the post earliest. No T.A will be payable for joining the post.

(Zakir Hussain)
Chairman
Seemanchal Minority B.Ed. College
Tauheed Nagar, Baigna Road, Katihar

MANUU. CTE. Bhopal

SEEMANCHAL MINORITY B.ED. COLLEGE

Run and Managed by: Tauheed Ahmad Memorial Charitable Trust, Katihar
Recognised by ERC, NCTE Bhubaneshwar and
Affiliated to: Purnea University, Purnia (Bihar) & B.S.E.B., Patna (Bihar)
Tauheed Nagar, Baigna Road, Katihar (BIHAR) 854105

Ref. No. SMBC- 781(J) Date: 28/03/2022

TWO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr./Mrs. MD SARWAR
S/o., D/o. Md Ibrahim has been working in this college (D.El.Ed. Programme) since 09-03-2022 as an Asst. Professor till today. During his service we observe him dedicated to his/her assignment.

(Zakir Hussain)
Chairman
Seemanchal Minority B.Ed. College
Tauheed Nagar, Baigna Road, Katihar

(89) M.Ed - 2017-19 MANUU . CTE . Bhopal

Date.25.06.2022

To
The Project Coordinator
MANUU_UNFPA ,AEP Project
Darbhanga

Sub- : Joining duty as Facilitator in MANUU_UNFPA AEP Project-Reg

Ref. No- :MANUU/CTE-DBG/UNFPA/Project/2022/57, Dated. 24.06.2022

Sir,

With reference to the subject citedabove Ijoin my duty today on 25.06.2022 in the forenoon as a Facilitator in a UNFPA_MANUU,AEP project at MANUU, College of Teacher Education, Darbhanga.

I am thankful to you for this.

Thanking you

Yours sincerely

Signature Yahya Rahmani 25.6.2022

Name: YAHYA RAHMANI

Address with Contact No.

vill - Sankanhai, Post Kanhai ps - Ghanshyampur
Dist - Darbhanga (847203)
Mob - 8084356053

90

Date. 25.06.2022

To
The Project Coordinator
MANUU_UNFPA ,AEP Project
Darbhanga

Sub- : Joining duty as Facilitator in MANUU_UNFPA AEP Project-Reg

Ref. No- :MANUU/CTE-DBG/UNFPA/Project/2022/57, Dated. 24.06.2022

Sir,

With reference to the subject cited above I join my duty today on 25.06.2022 in the forenoon as a Facilitator in a UNFPA_MANUU,AEP project at MANUU, College of Teacher Education, Darbhanga.

M.Ed.
2017-19

I am thankful to you for this.

Thanking you

Yours sincerely

Signature Obaidullah Ataullah

Name: OBAIDULLAH ATAULLAH

Address with Contact No. AT+PO = PHULWARIA, P.S = DHAKA
DIST+EAST = CHAMPARAN (845304)
Mobile No = 8084084008

(91) M.Ed. 2017-19 MANUU, CTE, Bhopal

पत्राक सं./R. No. 1598 /एस०टी०एस०/S.T.S.
दिनांक / Date 16/07/2022
एस०टी०एस० स्कूल/S.T.S. School
अ०मु०वि०, अलीगढ़/A.M.U., Aligarh

OFFICE OF THE REGISTRAR
(ADMINISTRATION SECTION)
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH

Dated: 16 · 07, 2022

OFFICE MEMO

On the recommendation of the Local Selection Committee held on 04.07.2022, the Vice-Chancellor has approved the temporary appointment of **Mr. Shahab Ullah Khan** as **TGT-PTT (Urdu) in the S.T.S. School (against the tenure post)** on a fixed salary of Rs. 18,700/- per month till the end of the academic session 2022-23 or till the General Selection Committee is held or until further orders, whichever is earlier, with effect from the date he joins his duties, on usual terms and conditions as applicable to such appointments.

The salary of the above teacher will be released as and when funds under the head "Salaries & Allowances" are made available by the UGC and after execution of Service Contract on Non-Judicial Stamp Paper worth Rs.100/- through the Principal and the Director, DOSE.

(S.M. SUROOR ATHAR)
JOINT REGISTRAR (T)
Dated: 16 · 07 ,2022

No. Admin./LD/1642 /T
Copy to:

1. Director, Directorate of School Education
2. Principal, STS School
3. Joint Registrar (Councils)/(Records)/(SB & PS),
4. Joint Finance Officer (Salary)(Budget)/(Grants)/(Leave)/(PR Cell)/(PF),
5. Internal Audit Officer,
6. Assistant Registrar (Vice-Chancellor's Secretariat)/(PVC's Secretariat)/(SC-NT),
7. Person concerned through the Principal,
8. PS to Registrar/Finance Officer/Controller,
9. Guard File (P/F Mr. Shahab ullah Khan (98)

JOINT REGISTRAR (T)

Shakeel/1472022

Mr. Shahab Ullah Khan

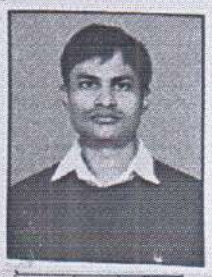
प्रधानाचार्य/Principal
एस०टी०एस० स्कूल/STS School
ए०एम०यू०, अलीगढ़/A.M.U., Aligarh

(92)

कार्यालय, ग्राम पंचायती राज.....हवाकोल....., प्रखंड.....टेढ़ागाछ.....
जिला–किशनगंज

MANUU, CTE, BPL.

M.Ed – 2017 – 19



नियुक्ति–पत्र

उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना का ज्ञापांक–7/विविध–25/2019–864, दिनांक–05.07.2019 के आलोक में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के तहत वर्ष 2019–2020 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में अन्तिम मेधा सूची में अंकित प्रशिक्षित अभ्यर्थी का चयन निर्धारित कॉउसिलिंग के आधार पर नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

मेधा क्र0	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/जाति कोटि	स्थायी पता	जन्म तिथि	बेसिक ग्रेड (अन्य/उर्दू)	आरक्षण कोटि	दिव्यांगता की श्रेणी	पदस्थापित विद्यालय का नाम
97	नकीब आलम पिता–नैयर आलम (पिछड़ा वर्ग)	ग्राम+पो0–झाला प्रखण्ड– टेढ़ागाछ जिला– किशनगंज पिन–855101	05–03–1992	अन्य	UR	–	प्रा0 वि0 फोहिदटोला खजुरबाड़ी

शर्त्तें :–

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण–पत्रों आदि की सत्यता के सबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएँगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23/02/2022

पंचायत सचिव–सह–पदेय सचिव,
पंचायत नियोजन समिति, हवाकोल

ग्राम पंचायत हवा कोल
प्रखण्ड–टेढ़ागाछ

ज्ञापांक 03 ग्रा0पं0.....हवाकोल....., दिनांक 23.02.2022

प्रतिलिपि :– संबंधित नव नियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विद्यालय प्रधान शिक्षक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियुक्त आदेश को जिला के एन0आई0सी0 के वेबसाईट पर अपलोड करना चाहेंगे।

23/02/2022

पंचायत सचिव–सह–पदेय सचिव,
पंचायत नियोजन समिति, हवाकोल

ग्राम पंचायत हवा कोल
प्रखण्ड–टेढ़ागाछ

(93)

अनुसूची–3

(जिला का नाम) भोजपुर

(नियोजन इकाई का नाम) खंडावचतुर्भुज

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (..... विषय...उर्दू.....) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी , यदि शिक्षक के पद पर नियुक्ति होना चाहते हो तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित चयनित अभ्यर्थियों की सूची:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्थानतक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01	मो० नजरूल होदा	नेयाज अहमद	अकौना सहार भोजपुर	06	UR	12.12.95	बेसिक	कन्या प्रा० वि० सखुआना

M.Ed. 2018-20

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक –पत्र BET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक /प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक /प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

23/2/2022

सचिव

(नियोजन इकाई का नाम)

ज्ञापांक 05 दिनांक 23-02-22

प्रतिलिपि:– 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2 विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चत करें

3 जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियुक्त आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेगें।

23/2/2022

सचिव

(नियोजन इकाई का नाम)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत खड़ाँव चतुर्भुज
प्रखण्ड-सहार (भोजपुर)

(94)

M.ED. (2018-20)
MANUU CTE. Bhopal

सेवा में,

श्रीमान् प्रधानाध्यापक महोदय

उ० मा० वि० हायाघाट, प्रखंड-हायाघाट (दरभंगा)

विषय :– विद्यालय में योगदान करने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रखंड नियोजन समिति, हायाघाट दरभंगा के ज्ञापांक 08

दिनांक 25-02-2022 के द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदनपूर्वक कहना है कि मेरी नियुक्ति प्रखंड नियोजन समिति, हायाघाट दरभंगा के ज्ञापांक 08 दिनांक 25-02-2022 के द्वारा प्रखंड शिक्षक ~~लाइब्रेरियन~~ ग्रेड (वर्ग 6-8) विषय उर्दू के रूप में उ० मा० वि० हायाघाट में की गयी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि संलग्न नियुक्ति पत्र एवं प्रमाण पत्रों को देखते हुए आज दिनांक 12-03-2022 समय 09 बजे पूर्वाह्न विद्यालय में मेरा योगदान स्वीकृत करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।

संलग्न प्रति :–

1. नियुक्ति पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. सिविल सर्जन द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
3. शैक्षणिक / प्रशैणिक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. CTET अंक पत्र / प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
5. शपथ पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
6. दहेज न लेना देना की घोषणा पत्र।

विश्वासभाजन

नाम :– मेहबूब आलम
पिता :– मो० अतहर रहमान
ग्राम :– बेलवारी
पो०+थाना :– पैगम्बरखाली
जिला :– दरभंगा
राज्य :– बिहार
पिन कोड :– 855108
मोबाइल नं० :– 9560586245

मेहबूब आलम
12/3/2022

MANUU, CTE, Bhopal

(95) M.Ed – 2018 - 20

अनुसूची – 3
सीतामढ़ी

कार्यालय: नगर परिषद् बैरगनिया

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालय के सामान्य/उर्दू शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जावेद अख्तर	वसी अख्तर	ग्रा. फुलवरिया, ढाका, जिला – पूर्वी चम्पारण	03	UR	25/04/89	बेसिक ग्रेड (उर्दू)	प्रा. वि. भकुरहर उर्दू, बैरगनिया

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, **BETET/CTET Result Card** की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण-पत्रो आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियो को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज़ नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा –पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अंतर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधकारी के के द्वारा नियुक्ति रद कर दी जाएगी और आवश्यक क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक /प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों का प्रभावी होगा।

ह./-
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् बैरगनिया, सीतामढ़ी

ज्ञापांक 160 दिनांक- 23.02.2022

प्रतिलिपि:- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सुचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि:- जिला सुचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिला के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् बैरगनिया, सीतामढ़ी

M.Ed. 2018-20

MANUU. CTE. Bhopal.

(96)

अनुसूची 3

(जिला का नाम) समस्तीपुर

(नियोजन इकाई का नाम) मुक्तापुर

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2018-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्रखण्ड/नगर विद्यालय के (..I-C.. विषय ..Sc..) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची :-

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	श्रेणी शिक्षक/अध्यापक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	मो० जावेद रजा	मो० रजा	ग्राम- औता पो०- सुआलपुर थाना- गंडरवा जिला- समस्तीपुर	03	UR	10-05-1992	बेसिक	प्राथमिक मारिचा

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्राप्तांक संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को प्राधिकृत चिकित्सक सह-मुख चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेखन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्तें संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव

(नियोजन इकाई का नाम)

मुक्तापुर

ज्ञापांक - 01 /दिनांक 24/9/22

प्रतिलिपि- 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अवश्य रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी 24/9/22 को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

सचिव

(नियोजन इकाई का नाम)

मुक्तापुर

ABSENTEE REPORT FROM FEBRUARY TO JUNE

NAME OF SCHOOL :- PRIMARY SCHOOL MARICHA, GARKHA, SARAN

BLOCK - GARKHA

NAME OF CRC :- URDU PRIMARY SCHOOL GARKHA, SARAN

MONTH - 25-Feb.-To - 30-J

PANCHAYAT :- GRAM PANCHAYAT MUKIMPUR

SN	TEACHER NAME	DATE OF JOINING	DATE OF BIRTH	PEN CODE	AC NO	UAN NO	WORKING DAYS	BASIC PAY	DA 34%	HR A 4%	TA	TOTAL	EPF DEDUCTION	PAYABLE AMOUNT
1	MD JAWED RAZA	25-02-2022	10-05-92	SBLN00 12560	40899999 3788	101843266365	FEB	2197	747	88	143	3175	1800	1375
							MARCH	15380	5229	615	1000	22224	1800	20424
							APR 30	15380	5229	615	1000	22224	1800	20424
							MAY 31	15380	5229	615	1000	22224	1800	20424
							JUNE 30	15380	5229	615	1000	22224	1800	20424
	GRAND TOTAL							63717	21663	2548	4143	92071	9000	83071

PAYABLE AMOUNT IN WORDS - Eighty Three Thousand and Seventy One rupees only.

ब्रज किशोर सिंह
प्रधानाध्यापक
प्रा0 वि0, मरीचा
अंचल- गड़खा (सारण)

HEAD MASTER SIGNATURE

M.Ed. 2018-20 MANUU, CTE, Bhopal

कार्यालय ग्राम पंचायत साकिरबिगहा, बेलागंज (गया)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्तें) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्तें) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राथमिक / मध्य विद्यालय के (सामान्य / उर्दू) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो 30 दिनों के अंदर में सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	संजीव कुमार निराला	गिरानी दास	ग्राम–ग्राणपुर पो0+थाना– बेलागंज जिला–गया	189	अ0जाति	01.03.1993	बेसिक	प्रा0वि0 धनार्चो
2	सीमा रानी	मोहन चौधरी	मुहल्ला–शहीद भगत सिंह कॉलोनी गया पो0+थाना–रामपुर जिला–गया	351	अ0जाति महिला	10.01.1987	बेसिक	प्रा0वि0घासी
3	सबीहा जहाँ	मो0 जहाँगीर	नियर–मस्जिद गली, बेलागंज पो0+थाना– बेलागंज जिला–गया	48	आर्थिक रूप से कमजोर	30.06.1992	बेसिक	प्रा0वि0घासी
4	मो0 गुलाम मुजताबा	मो0 जेयाउद्दीन	ग्राम+पो0–बारा थाना–खाकन्द जिला–गया	20	आर्थिक रूप से कमजोर	12.10.1995	बेसिक	उर्दू कन्या प्रा0वि0समसपुर
5	मो0 समद अंसारी	मो0 हामिद अंसारी	ग्राम–जफरगंज पो0+थाना– जहानाबाद	67	अ0पि0व	25.09.1988	बेसिक	प्रा0वि0मखदुमपुर अ0 जाति टोला

(98) M.Ed. 2018-20 MANUU. CTE. Bhopal,

प्रखण्ड पंचायत राज कार्यालय, इस्माईलपुर (भागलपुर)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्रारंभिक/मध्य विद्यालय के (विषय उर्दू) के शिक्षक के रूप में अंकित अभ्यर्थी का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः अंशकालिक होगी।

अतः अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/ स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो० अख्तर हुसैन	अब्दुस शकुर	दुमरी मजगांवां पुर्णिया	13	EBC(M)	10-02-1991	बेसिक ग्रेड	म० वि० लक्ष्मीपुर इस्माईलपुर

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक पत्र, BETET/CTET Result Card/आरक्षण संबंधित प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक/दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थी को अलैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय पर इस निमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित अन्य शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षक पर प्रभावी होगा।

कार्यालय पदाधिकारी, पंचायत समिति-सह-
प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी, इस्माईलपुर, भागलपुर।

ज्ञापांक 705 - 97 दिनांक 23-02-2020

प्रतिलिपि :-संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के वेबसाईट पर अपलोड करना चाहेंगे।

Md Akhtar Hussain

कार्यालय पदाधिकारी, पंचायत समिति-सह-
प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी, इस्माईलपुर, भागलपुर।

(99) M.Ed. - 2018-20 अनुसूची-30 MANUU. CTE. Bhopal.

जिला– बेगूसराय

नियोजन इकाई का नाम–प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, मटिहानी

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक, (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019–20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के बेसिक ग्रेड विषय– उर्दू के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची–

क्रं0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो0 आसिफ ओवैस	मो0 ओवैस	बारो दुर्गा स्थान, पोस्ट–बारो, थाना–बरौनी जिला–बेगूसराय पिन–851118	75	EBC	03-01-1987	बेसिक ग्रेड उर्दू	उ0 म0वि0 रचियाही दक्षिण

M-Ed 2018-20

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, BETET/CTET Result card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियो को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली/ अन्तर्लेपन/ गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचना नियमावली में वर्णित सेवा–शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

25.02.2022

सचिव

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई

–सह–

प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

मटिहानी।

ज्ञापांक 06(शि०नि०) दिनांक 25.02.2022 /

प्रतिलिपि:–1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति ओदश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

25.02.2022

सचिव

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई

–सह–

प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

मटिहानी।

(100)

MANUU, CTE, Bhopal

Lalita Park-GBSSS-1003264

GUEST TEACHER ENGAGEMENT LETTER 2021-22

Date: 29/10/2021

Application Id: 2020020297

Mr./Ms **RUMMANA** Son of /Daughter of **ABDUL AZEEM** resident of **Mohalla Devisthan Town Mohammadi Kheri District Lakhimpur Kheri UP-262804** is engaged as Guest Teacher in capacity of **TGT ENGLISH**, w.e.f. **29/10/2021 for the session 2021-22** from this School.

Your engagement is subject to following terms and conditions:-

1. Your engagement is purely adhoc & stop gap arrangement till the post is filled up on regular basis. Your engagement shall not entitle you to any regular appointment.
2. That no claim for salary, allowances, facilities and other benefits accruing to the regular teachers shall be made and you shall not file any court case regarding salary and regularization etc.
3. Request for change of school shall not be entertained at all at any time during the engagement.
4. You will be dis-engaged from the school as soon as a regular teacher joins the school irrespective of your standing in the order of merit list.
5. The rates of remuneration payable to you will be daily based at the rates approved by honorable LG vide U.O. No. 27930 dated 23-02-2017 and 03-03-2017 and conveyed through order No. DE 18.2(36)/plg/2016/2970-80 dated 03-03-2017. You will not be entitled for any remuneration on holidays / on days of absence /and on days of non engagement.
6. During the course of engagement if it is found that your performance is not up to the mark by HOS concerned, your engagement will be dis-continued/cancelled.
7. Your services can be terminated if you remain absent without prior permission of the HOS.

If you agree to the above terms & conditions, you must join immediately, failing which the offer of appointment will be cancelled.

SPSingh 29/10/21

Signature Of HOS.
G.B.S.S.S.
Lalita Park, Delhi-9

To:-
Mr/Ms RUMMANA -2020020297

M.Ed - 2018-20

2018-20

M.Ed- 2018-20 MANUU, CTE, Bhopal

(101)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, श्यामला हिल्स, भोपाल (म0प्र0)

(एन.सी.ई.आर.टी. की इकाई, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत)

फोन नंबर : 0755–2661463,2522003 फैक्स : 0755–2661868, ई–मेल : principal.riebpl@gmail.com

फा.सं.क. 3अ–8(अ)/स्था./क्षे.शि.सं.भो/2020/1474 दिनांक : 02/02/21

To,

Mohammad Shahid,
D/o Shri Anwarul Haque,
Mohalla-Neyaz Mohammad Pura,
Mau Nath Bhanjan,
Dist. – Mau (U.P.) 275101

विषय :– सहायक प्राध्यापक (ऊर्दू) के पद के लिये संविदा के आधार पर नियुक्ति करने संबंधी।

दिनांक 28.01.2021 को आयोजित ऑन–लाईन साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा आपका चयन **सहायक प्राध्यापक (ऊर्दू)** के रूप में बड़ी सहर्षता के साथ संविदा आधार पर संस्थान में **रूपये 45,000/– (रू0 पैतालीस हजार मात्र/–) मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ करने की तिथि से 30.04.2021 तक** या जब तक नियमित पदधारी कार्य पर आये, जो भी पहले हो तक नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है और आपका परिषद् में नियमित रूप से रोजगार के लिए किसी भी प्रकार का दावा या अधिकार नहीं होगा।

अनुबंध निम्नलिखित शर्तो के आधार पर किया जायेगा :–

1. आपको अंतिम कार्यरत संस्थान/विद्यालय से कार्यमुक्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. आपके द्वारा कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की उपाधि प्रमाण–पत्र (बी0एड/अन्य उपाधि/प्रशिक्षण) इत्यादि हेतु किसी अन्य संस्थान/विद्यालय में नियमित प्रवेश नहीं होना चाहिये।
3. आपको आर0आई0ई0 स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा परीक्षा (मेडिकल एग्जामिनेशन) प्रक्रिया से गुजरना होगा।
4. संस्थान द्वारा बिना कोई कारण बताए आपको किसी भी समय कार्यमुक्त किया जा सकता है।
5. आपका अवकाश भारत सरकार के अवकाश नियमों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।
6. आप अन्य सामान्य भत्ते, जो आमतौर पर एनसीईआरटी के नियमित कर्मचारियों को भुगतान किये जा रहे है, के लिए हकदार नहीं होंगे।
7. आप छुट्टी की अवधि के दौरान वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होंगे।
8. आप एलटीसी/चिकित्सा सुविधाओं और अन्य लाभों के हकदार नहीं होंगे, जो सामान्य रूप से एनसीईआरटी के नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं।
9. आप संस्थान के अन्य कर्मचारियों की तरह अनुशासन और मर्यादा बनाये रखेंगे अन्यथा किसी भी कदाचार के लिए आपके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

इस मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव ऊपर उल्लेखित नियमों एवं शर्तो के साथ आपको स्वीकार्य है, तो बिना शर्त **दिनांक 08-2-2021 तक कार्य के लिए अपनी उपस्थिति व स्वीकृति दें**, अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि प्रस्ताव में आपकी कोई रूचि नहीं है और बगैर कोई सूचना दिये आपका प्रस्ताव रद्द मान लिया जायेगा।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. संबंधित व्यक्ति।
2. विभागाध्यक्ष, भाषा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल।
3. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल।
4. चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य केन्द्र संबंधित अभ्यर्थी के चिकित्सा परीक्षण हेतु सूचनार्थ।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, श्यामला हिल्स, भोपाल (म0प्र0)

(एन.सी.ई.आर.टी. की इकाई, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत)

फोन नंबर : 0755-2661463,2522003 फैक्स : 0755-2661668, ई-मेल : principal.riebpl@gmail.com

फा.सं.क. 33-8(अ) / स्था. / क्षे.शि.सं.भो / 2021 /

दिनांक : .....

Mohammad Shahid,
D/W/o Shri Anwarul Haque,
Mohalla – Neyaz Mohammad Pura,
Maunath Bhanjan,
Dist – Mau (U.P.) 275101,

विषय :– सहायक प्राध्यापक (Urdu) के पद के लिये संविदा के आधार पर नियुक्ति करने संबंधी।

दिनांक 21.10.2021 को आयोजित ऑन–लाईन साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा आपका चयन **सहायक प्राध्यापक (Urdu)** के रूप में बड़ी सहर्षता के साथ संविदा आधार पर संस्थान में **रूपये 45,000/– (रू0 पैतालीस हजार मात्र/–) मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ करने की तिथि से 30.04.2022 तक** या जब तक नियमित पदधारी कार्य पर आये, जो भी पहले हो तक नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है और आपका परिषद् में नियमित रूप से रोजगार के लिए किसी भी प्रकार का दावा या अधिकार नहीं होगा।

अनुबंध निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जायेगा :–

1. आपको अंतिम कार्यरत संस्थान/विद्यालय से कार्यमुक्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
2. आपके द्वारा कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की उपाधि प्रमाण–पत्र (बी0एड/अन्य उपाधि/प्रशिक्षण) इत्यादि हेतु किसी अन्य संस्थान/विद्यालय में नियमित प्रवेश नहीं होना चाहिये।
3. आपको आर0आई0ई0 स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा परीक्षा (मेडिकल एग्जामिनेशन) प्रक्रिया से गुजरना होगा।
4. संस्थान द्वारा बिना कोई कारण बताए आपको किसी भी समय कार्यमुक्त किया जा सकता है।
5. आपका अवकाश परिषद् के नियमानुसार विनियमित किया जायेगा। जिसके तहत आप पूर्ण माह कार्य करने उपरान्त 2.5 दिन के अवकाश के लिये पात्र रहेगें, उपरोक्त अवकाश का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह पूर्ण होने पश्चात् लिया जा सकता है। तथा उपरोक्त अवकाश पर संचयी लाभ (Comulative) नहीं दिया जायेगा।
6. आप अन्य सामान्य भत्ते, जो आमतौर पर एनसीईआरटी के नियमित कर्मचारियों को भुगतान किये जा रहे है, के लिए हकदार नहीं होगे।
7. आप अवैतनिक अवकाश की अवधि के दौरान वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगे।
8. आप एलटीसी/चिकित्सा सुविधाओं और अन्य लाभों के हकदार नहीं होगे, जो सामान्य रूप से एनसीईआरटी के नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं।
9. आप सस्थान के अन्य कर्मचारियों की तरह अनुशासन और मर्यादा बनाये रखेंगे अन्यथा किसी भी कदाचार के लिए आपके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
10. **आपको विज्ञापन में दी गई निहीत शैक्षणिक योग्यता अनुसार संस्थान स्तर पर दस्तावेजों की जॉच एवं सत्यापन उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करने दिया जायेगा।**

इस मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव ऊपर उल्लेखित नियमो एवं शर्तों के साथ आपको स्वीकार्य है, तो बिना शर्त **दिनांक 24/11/21 तक कार्य के लिए अपनी उपस्थिति व स्वीकृति दें**, अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि प्रस्ताव में आपकी कोई रूचि नहीं है और बगैर कोई सूचना दिये आपका प्रस्ताव रद्द मान लिया जायेगा।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

26/11/21

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. संबंधित व्यक्ति।
2. विभागाध्यक्ष, भाषा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल।
3. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल।

MANUU,
CTE,
BPL. M.Ed - 2019-21

(102)

कार्यालय , प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी,पोठिया,(किशनगंज)



नियुक्ति-पत्र

जिला पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा -शर्त) नियमावली -2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा -शर्त) नियमावली -2012 (यथा संशोधित)के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध मध्य विद्यालय के (**बेसिक ग्रेड, विषय-अन्य**) में शिक्षक के रुप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपचारिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण श्रेणी	जन्म तिथि	"ग्रेड" बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	**तौहिद आलम** (जाति कोटि -EBC)	**जुबेर आलम**	ग्राम:-फुलकाबाड़ी पो०:- मरधिया थाना:-बरारी जिला:-कटिहार (बिहार) 854104	477	UR	30-09-1994	बेसिक	म०वि०कलियागंज प्रखंड:- पोठिया

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षिणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारुप संलग्न) प्रधानाध्यापक /प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण-पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/ प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यार्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,
पोठिया,जिला:-किशनगंज

ज्ञापांक केम्प-19, म०वि० खरगवा, किशनगंज दिनांक 23/02/2022

प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रुप देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना), किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी **किशनगंज** को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload कराना चाहेंगे।

23.02.2022
सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,
पोठिया,जिला:-किशनगंज

(103) M.Ed- 2019-21 MANUU, CTE, BP2

Phone/ Fax : (06452) 239996

KATIHAR TEACHERS' TRAINING COLLEGE

ESTABLISHED BY ALIM EDUCATIONAL SOCIETY, KATIHAR
Affiliated to B.N. Mandal University, Laloo Nagar, Madhepura &
Recognised by ERC, NCTE, BHUBANESWAR
ZAFAR BAGH, SIRSA, KATIHAR - 854 106 (BIHAR) INDIA
E-mail : kttcollege@rediffmail.com Website : www.kttcollege.org

Letter No. : KTTC/Appoint/02-722/22 Date : 20.03.2022

To,

Md Akif Haider
S/o: Md Gulam Haider
Vill- Schragachi, Salman
Azamnagar, Kodikar, Bihar

Sub :- Appointment to the post of "Assistant Professor" (B. Ed. Programme)

Sir/Madam,

On the recommendation of the Selection Committee held on 19. 03. 2022, I am pleased to appoint you on the post of "Asst. Professor" (B. Ed. Programme) on temporary basis in the pay scale of UGC/ State Govt. Your appointment is on full time and regular basis. Your probation period will be of two years. During your service, you will have to abide by the rules and regulations of this Institution and the excellence of teaching standard.

No T. A. will be payable for joining the post. If the above terms and conditions are acceptable, please join the post at the earliest.

Thanking you.

Yours faithfully,

Shahnawaz Zafar 20.3.22

Secretary

Copy Recived
Md Akif Haider

(104) M.Ed - 2019-21 MANUU. CTE, Bhopal

Phone/ Fax : (06452) 239996

KATIHAR TEACHERS' TRAINING COLLEGE

ESTABLISHED BY ALIM EDUCATIONAL SOCIETY, KATIHAR
Affiliated to B.N. Mandal University, Laloo Nagar, Madhepura &
Recognised by ERC, NCTE. BHUBANESWAR
ZAFAR BAGH, SIRSA, KATIHAR - 854 106 (BIHAR) INDIA
E-mail : kttcollege@rediffmail.com Website : www.kttcollege.org

Letter No. : KTTC/Estt/02-349/22 Date : 25.03.2022

To,

Kazi Sarfuddin
S/o Kazi Anwar
At. Kazi Tola
Basant pur
P.O. Shivanandpur
Dist. Katihar.

Sub :- Appointment to the post of "Assistant Professor" (D. El. Ed. Programme)

Sir/Madam,

On the recommendation of the Selection Committee held on 28. 03. 2022, I am pleased to appoint you on the post of "Asst. Professor" (D.El. Ed. Programme) on temporary basis in the pay scale of UGC/ State Govt. Your appointment is on full time and regular basis. Your probation period will be of two years. During your service, you will have to abide by the rules and regulations of this Institution and the excellence of teaching standard.

No T. A. will be payable for joining the post. If the above terms and conditions are acceptable, please join the post at the earliest.

Thanking you.

Yours faithfully,

Shahnawaz Zafar 28.3.22
Secretary

From
KAZI SARFUDDIN
S/O :- KAZI ANWAR
AT :- KAZITOLA BASANTPUR
P.O :- SHIVANANDPUR
DIST :- KATIHAR

Sub:- **Joining Report.**

Ref:- Your letter No. KTTC/Appt./02-749/22 Dated 28:03:2022

Sri,

In pursuance of your above referred, letter, I hereby join my duty on the post of "Assistant Professor" (D.El.Ed. Programme) in this college, today the 28:03:2022 (Forenoon / Afternoon). I have voluntarily accepted the terms of employment as contained in your above referred letter. I also undertake to maintain the discipline, rules regulation and teaching efficiency of the institution during my employment here.

You are requested to kindly accept my joining and oblige.

Thanking You.

Your faithfully,

Kazi Sarfuddin
(KAZI SARFUDDIN)